सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,

नई दिल्ली-110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2021-2022

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029

संक्षिप्तियां

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.डी.आर.आई.	आपदा समुत्थानशील अवसंरचना का गठबंधन
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई.(फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.एम.डी.	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.एफ.आर.	चिकित्सा हेतु प्राथमिक मोचक
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर–सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन बल
यू.टी.	केंद्र शासित प्रदेश

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षिप्तियां	iii
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	कार्यकलाप एवं उद्देश्य	5
अध्याय 3	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	7
अध्याय 4	आपदा खतरा प्रशमन परियोजनाएं	19
अध्याय 5	क्षमता विकास	47
अध्याय 6	कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन	55
अध्याय 7	प्रशासन एवं वित्त	89
	अनुबंध – I	92
	अनुबंध – II	94

अध्याय 1

प्रस्तावना

अतिसंवेदनशीलता विवरण

1.1 भारत, अपनी अनोखी भू–जलवायु एवं सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे भिन्न–भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से 27 आपदा प्रवण हैं, 58.6% भू–भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प प्रवण क्षेत्र है: इसकी भूमि का 12% बाढ़ प्रवण और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू–भाग चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू–भाग भूस्खलन प्रवण है। कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शहरी बाढ़ प्रवण हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव–जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएं शामिल हैं, वे अतिरिक्त खतरे हैं जिन्होंने आपदाओं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी और उनके लिए मोचन संबंधी उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनसांख्यिकी और सामाजिक–आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू–गर्भीय संकट, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती असुरक्षितताओं में और भी अधिक वृद्धि हुई है। स्पष्टतः, इन सब बातों से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां ये आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 किसी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों के निष्पादन की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में राज्य सरकार के प्रयासों में, उन्हें संभार–तंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, मदद करती है। संभारतंत्र सहायता में एयरक्राफ्टों, नावों, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्थाएं, जिनमें मेडिकल स्टोर शामिल हैं, महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं की पुनर्बहाली जिनमें संचार नेटवर्क शामिल हैं, और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कोई सहायता सम्मिलित है।

1.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के राहत–केंद्रित दृष्टिकोण वाले तरीके में बदलाव लाकर समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन पद्धति को अपनाया है जिसमें आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं (रोकथाम, प्रशमन,

तैयारी, मोचन, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली) को शामिल किया गया है। यह पद्धति इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि विकास तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि आपदा प्रशमन विकास प्रक्रिया के अंदर ही शामिल न हो।

1.5 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था। तथापि, हिंद महासागर में आई वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भारत सरकार ने, भारत में आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित दृष्टिकोण बनाने और उसे कार्यान्वित करने हेतु संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना करके, देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया।

1.6 भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम आपदाओं के दुष्प्रभावों को रोकने तथा प्रशमित करने और किसी आपदा की परिस्थिति में तुरंत मोचन हेतु सरकार के विभिन्न पक्षों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करके, आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए संस्थागत तंत्र को निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संरचना

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात्, 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संरचना

1.8 भारत के प्रधानमंत्री एन.डी.एम.ए. के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्तमान सदस्य और प्राधिकरण में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निम्नानुसार हैं:

1.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से) सचिव (01.10.2021 से प्रभारी)
2.	श्री संजीव कुमार	सदस्य सचिव (27.01.2021 से 30.09.2021 तक)
3.	लेफ्टिनेन्ट जनरल सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बीएआर (सेवानिवृत्त)	सदस्य (21.02.2020 से)
4.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (02.02.2020 से)
5.	श्री कृष्ण स्वरूप वत्स	सदस्य (04.05.2020 से)

1.9 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ–साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) उपायों के एकीकरण के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। राज्यों द्वारा अपनी संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार

करने और आपदाओं को रोकने के लिए उपायों अथवा इसका असर कम करने के साथ–साथ, किसी आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण, जैसा राज्य जरूरी समझे, करने हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी एन.डी.एम.ए. तैयार करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संगठनात्मक संरचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय का नेत्तृत्व एक सचिव करते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। संगठन में दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को उसके काम में सहायता करते हैं। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिवालय के संगठन की विस्तृत परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध II में दिया गया है।

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके सांविधिक कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है:

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां निर्धारित करना;

(ख) राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ड़) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशियों (फंड्स) की व्यवस्था की सिफारिश करना;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

(ज) आपदा की रोकथाम के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(त्र) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) पर सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन अधिप्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव–जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का निकटता से

तालमेल होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (जवाबी कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 वैसे भी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश तैयार करेगा तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को आसान बनाएगा। प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी एन.डी.एम.ए. अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध वे संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भविष्य निरूपण (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति से निःसृत भविष्य निरूपण (विजन) निम्न प्रकार से है:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना प्रक्रिया में मुख्य स्थान प्रदान करना।

(घ) सक्षमकारी नियामक वातावरण और एक अनुपालनकारी व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय–विधिक ढांचों को स्थापित करना।

(ड़) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी (मॉनिटरिंग) करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा–रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल प्रभावी मोचन और राहत के कार्य सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा का सामना करने में सक्षम इमारतें खड़ी करने को, एक अवसर के रूप में मानते हुए, पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

''रोकथाम, प्रशमन, तैयारी एवं मोचन प्रेरित संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना।''

अध्याय 3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) 2009

3.1 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित किया गया था और इसे 18 जनवरी, 2010 को लोकार्पण किया गया। इसमें पूर्ववर्ती 'मोचन–केंद्रित' तरीके के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाकर किए गए आमूल–चूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

3.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी। नवंबर, 2019 में विस्तृत विचार–विमर्श के बाद इसे संशोधित किया गया है। संशोधित योजना में नए खतरे (आंधी तूफान, आकाशीय बिजली, प्रचंड हवा, धूल तूफान और तेज हवा/बादल फटना और ओला–वृष्टि/हिमानी झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ)/ग्रीष्म लहर/जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अपातस्थिति (बीपीएचई)/जंगल की आग), नए अध्याय (2015 वैश्विक ढांचा/सामाजिक समावेशी/डीआरआर का मुख्यधारा में लाने हेतु डीआरआर के लिए सुसंगतता और पारस्परिक सुदृढ़ीकरण शामिल हैं तथा जलवायु के बाद जोखिम सूचित डीआरआर के लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन भी शामिल है।) इस एनडीएमपी ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए समयबद्ध कार्रवाई दर्शायी है, ताकि, डीआरआर के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की समयसीमा के साथ तालमेल हो सके। योजना को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/केंद्र "शासित क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया गया है, ताकि वे सेंडाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनुरूप अपनी योजनाओं और रणनीतियों को विकसित करें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

3.3 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) के सहयोग से अनेक प्रस्तावों (इनीशियेटिव्स) को शामिल करते हुए एक मिशन–आधारित दृष्टिकोण (मिशन–मोड अप्रोच) को अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और सभी अन्य हितधारकों को दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी के लिए आधार प्रदान करते हैं। विषय की जटिलता के आधार पर, दिशानिर्देशों को बनाने में न्यूनतम 12 से 18 महीनों का समय लगता है। इस दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ एक '**नौ–चरण**' वाली सहभागितापूर्ण तथा परामर्शी प्रक्रिया शामिल है जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है।

3.4 दिशानिर्देशों की तैयारी प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:–

- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों पर आपदा–वार किए गए अध्ययनों की एक त्वरित समीक्षा।

- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम निगरानी को आसान बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों को, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य/मंजिल की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में की गई हो, करके हासिल किया जाए।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात् क्या किया जाना है? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है?–के उत्तर दिए जाने थे।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए जो इस कार्य योजना के प्रचालनीकरण की निगरानी करे।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

नौ चरण

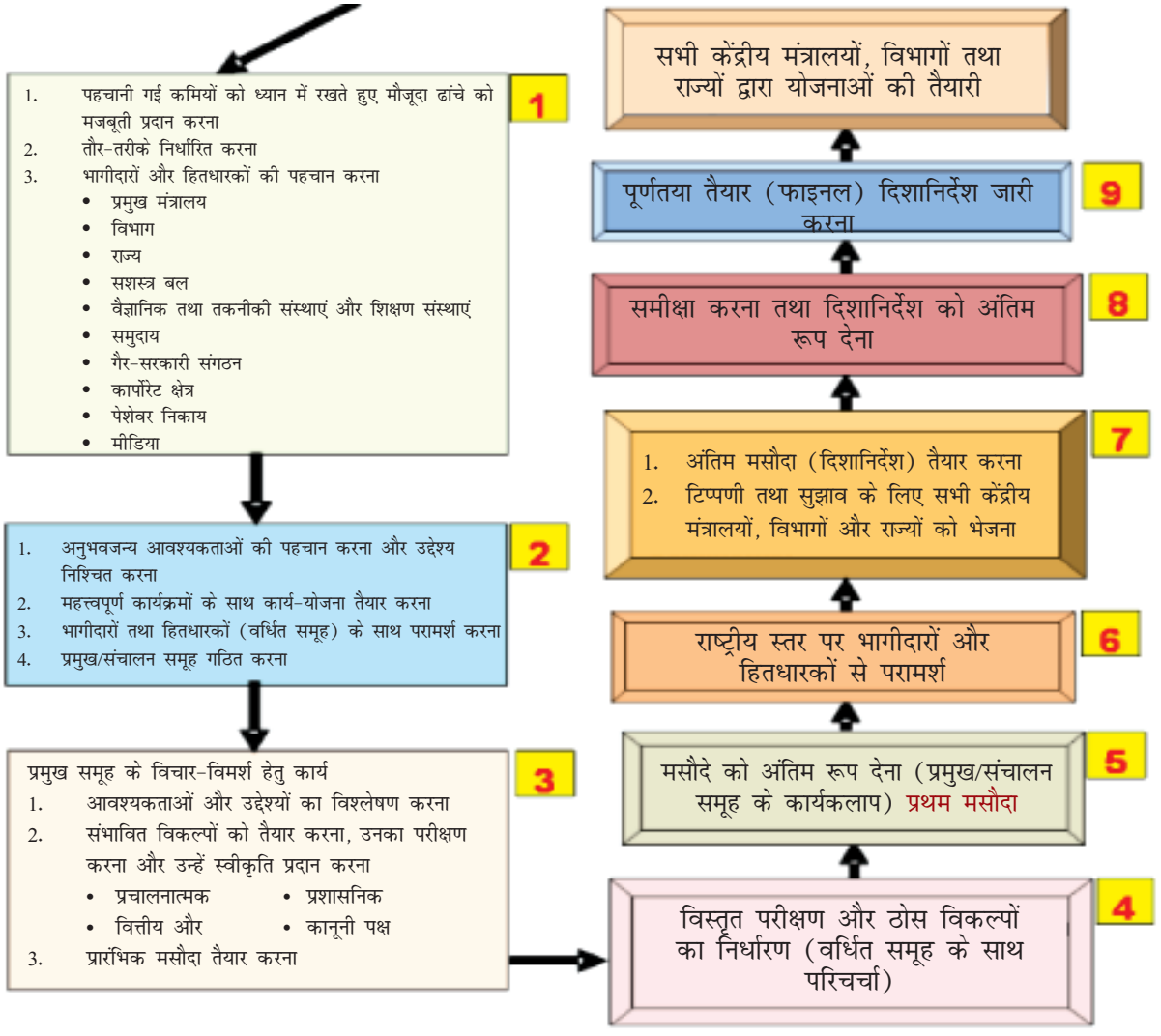

चित्र 3.1

3.5 जारी किए गए दिशानिर्देश, रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज :

(i) जारी किए गए दिशानिर्देश :

एनडीएमए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की सूची		
क्र.सं.	**राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश**	**उनको तैयार करने/जारी करने का महीना तथा वर्ष**
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल, 2007
2.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक) प्रबंधन	अप्रैल, 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना	जुलाई, 2007
4.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन	अक्तूबर, 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी, 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल, 2008
7.	जैव आपदा प्रबंधन	जुलाई, 2008
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन	फरवरी, 2009
9.	भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रबंधन	जून, 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन	जून, 2009
11.	आपदाओं में मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर, 2009
12.	घटना मोचन प्रणाली	जुलाई, 2010
13.	सुनामी प्रबंधन	अगस्त, 2010
14.	आपदाओं के कारण मारे जाने वाले मृतकों के शवों का प्रबंधन	अगस्त, 2010
15.	शहरी बाढ़ प्रबंधन	सितंबर, 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर, 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली	फरवरी, 2012
18.	अग्नि शमन सेवाओं का स्तर–निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण	अप्रैल, 2012
19.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)	जून, 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी, 2016
21.	अस्पताल सुरक्षा	फरवरी, 2016
22.	राहत के न्यूनतम मानक	फरवरी, 2016
23.	संग्रहालय	मई, 2017
24.	सांस्कृतिक विरासत स्थलों तथा आस–पास का परिसर	सितंबर, 2017
25.	नौका सुरक्षा	सितंबर, 2017
26.	आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली/हवा के थपेड़ों/धूल/ओलावृष्टि और तीव्र हवा की रोकथाम और प्रबंधन–कार्य योजना की तैयारी	मार्च, 2019
27.	आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए अस्थाई आश्रय	सितंबर, 2019

28.	दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	सितंबर, 2019
29.	भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति	सितंबर, 2019
30.	कार्य योजना की तैयारी–लू की रोकथाम तथा प्रबंधन (संशोधित दिशानिर्देश)	अक्तूबर, 2019
31.	हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ का प्रबंधन (जीएलओएफ)	अक्तूबर, 2020
32.	भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 से भवनों की भूकंप सुरक्षा के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश	मई, 2021
33.	शीत लहर और पाला की रोकथाम और प्रबंधन–की कार्य योजना की तैयारी के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश	जून, 2021

(ii) जारी की गई रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज:

क्र.सं.	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा संगठन का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी उपायों का सुदृढ़ीकरण
4.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
5.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
6.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिकाः भाग I एवं II
7.	भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों पर भीड़ का प्रबंधन
8.	भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों के लिए प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु संक्षिप्त रूपरेखा
9.	आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/कानूनों/विनियमों/अधिसूचनाओं का सार–संग्रह
10.	जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) की मॉडल रूपरेखा तथा डी.डी.एम.पी. को तैयार करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां
11.	चक्रवात हुदहुद–भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेहतर तैयारी तथा जोखिम समुत्थानशीलता को और सुदृढ़ करने के लिए रणनीतियां तथा सबक
12.	प्रशिक्षण मैनुअल : आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का संचालन कैसे करें
13.	भवनों तथा अवसंरचना के आपदा समुत्थानशील निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश
14.	भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता हेतु क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना
15.	जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं "शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों हेतु क्षमता निर्माण
16.	"शहरी बाढ़ के प्रशमन हेतु कार्य योजना
17.	गुजरात की बाढ़ 2017–एक प्रकरण अध्ययन
18.	खतरा जोखिम निर्माण पर राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर नियम
19.	तमिलनाडु बाढ़ : सीखे गए सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट
20.	गाजा चक्रवात पर अध्ययन रिपोर्ट–2018

21.	चक्रवात और भूकंप सुरक्षा के लिए गृह स्वामी की मार्गदर्शिका
22.	भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक रिपोर्ट
23.	भारत में अग्नि सुरक्षा (एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस की कार्यवाही)
24.	भारत में लू की चेतावनी के लिए तापमान सीमा का अनुमान लगाने के लिए एक प्रारंभिक अध्ययन
25.	विभिन्न आपदाओं पर 'क्या करें' और 'क्या न करें' में पॉकेट बुक
26.	कोविड–19 पर 'क्या करें' और 'क्या न करें' तथा FAQ पर एक डिजिटल किताब
27.	2020 की लू की तैयारी और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट
28.	वन अग्नि प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्ट
29.	आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता स्वीकार करने पर एसओपी
30.	दिव्यांगत समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआईडीआरआर) पर आलेख

3.6 वर्ष 2021-22 के दौरान जारी दिशा-निर्देश/रिपोर्ट:

(i) **ठंडी छत : मकान मालिक के लिए ठंडी छत के विकल्प के समाधान का मार्गदर्शन**

जैसे कि तापमान में औसत वृद्धि 1.5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, देश में ग्रीष्म लहर तेजी से बढ़ रही है। चरम गर्मी के मौसम के दौरान, भीतरी तापमान 45 डिग्री तक बढ़ सकता है। शहरी क्षेत्रों में ग्रीष्म द्वीप के प्रभाव (आईलैंड हीट इफैक्ट) के साथ, लोगों के स्वास्थ्य, पारिवारिक व्यय और उत्पादकता पर प्रभाव कहीं अधिक गंभीर है। इस पुस्तिका का उद्देश्य घर के मालिकों को तकनीक और सामग्री का उपयोग करके ठंडी छत के समाधान का मार्गदर्शन करना है, जो मौजूदा घरों में सस्ती और उपयोग करने में आसान है। पूरे भारत में प्रचलित भवन के प्रारूपों और विविध भू–जलवायु क्षेत्रों के लिए उचित विचार किया गया है। घर के मालिक इस पुस्तिका का उपयोग उन समाधानों का चयन करने के लिए कर सकते हैं जो उनके स्थान, सामर्थ्य और कार्यान्वयन में आसानी के लिए सबसे उपयुक्त हों।

(ii) **कार्य योजना - शीत लहर और पाला की रोकथाम और प्रबंधन 2021 तैयार करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 'कार्य योजना – शीत लहर और पाला की रोकथाम और प्रबंधन 2021 तैयार करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश' तैयार किया है और सितंबर, 2021 में दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद, एनडीएमए ने सभी संबंधित हितधारकों और विशेष रूप से शीत लहर प्रवण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अक्टूबर, 2021 के महीने में अग्रेषित किया गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य स्तर के साथ–साथ जिला स्तर पर तैयारी और प्रशमन उपायों के लिए अपनी शीत लहर कार्य योजना (सीडब्ल्यूएपी) विकसित करने का अनुरोध किया गया था।

3.7 तैयार किए जा रहे दिशानिर्देश तथा अन्य दस्तावेज

आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए घरेलू सहायता और मानवीय सहायता को चैनलबद्ध करने पर मसौदा मानक संचालन प्रक्रिय (एसओपी)

बचाव, राहत और पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार ही होती है। घरेलू सहायता में इन मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों को घरेलू सहायता के समन्वय

और प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें आवश्यकता का आकलन, सहायता के लिए अनुरोध, सहायता प्राप्त करना, छंटाई, स्टोर, पैकिंग, सहायता का वितरण और अप्रयुक्त सहायता का प्रबंधन शामिल हैं। एनडीएमए द्वारा तैयार की जा रही एसओपी का उद्देश्य घरेलू सहायता के प्रबंध में अंतर को पाटना है। इस एसओपी का विशिष्ट उद्देश्य है:

(i) घरेलू सहायता को चैनलबद्ध करने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराना, जिसको राज्य सरकारें और अन्य हितधारकों/केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनाया जा सकता है।

(ii) सहायता के समन्वय और कुशल वितरण में सुधार।

(iii) उन प्रक्रियाओं का मानकीकरण जो आपदा राहत के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने की वितरण प्रणाली को महत्व दे।

(iv) राहत की आवश्यकताओं का आकलन करना और आपदा प्रभावितों के लिए राहत सहायता प्रदान करना।

(v) घरेलू सहायता प्राप्त करने, प्रबंध करने और वितरित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मानदंड और संस्थागत तंत्र का होना है।

3.8 एनडीएमए द्वारा आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम:

I. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 7 अप्रैल 2021 को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए 'खतरे की संवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन (एचवीआरए) के अध्ययन के आयोजन' पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में व्याख्यान/प्रस्तुतियां/प्रदर्शन के माध्यम से अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के लिए एचवीआरए आयोजित करने और जोखिम कम करने की रणनीतियां प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाया गया। वेबिनार के दौरान प्रशिक्षण/विचार–विमर्श का उद्देश्य अधिकारियों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना है, जिससे वे स्वयं एचवीआरए के छोटे घटकों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। इसने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर), पेरिस समझौते और पीएम के 10–सूत्रीय एजेंडे के तहत संकेतकों को विकसित करने और अद्यतन करने में सहायता की।

II. मंत्रालयों/विभागों को उनकी आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) का मसौदा तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला: मंत्रालयों/विभागों को अपनी आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) का मसौदा तैयार करने में सुविधा प्रदान के लिए, एनडीएमए ने 8 सितंबर, 2021 को (i) उपभोक्ता मामले विभाग, (ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, (v) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, (vi) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, (vii) जनजातीय कार्य मंत्रालय, (viii) खान मंत्रालय, (ix) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, (x) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, (xi) नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (xii) जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, (xiii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय तथा (xiv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ एनडीएमए भवन में ऑनलाइन मोड में एक प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला का आयोजन किया।

III. मंत्रालयों/विभागों को उनके डीएमपी तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए 2 मार्च, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए कार्यशाला

का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव, भारत सरकार ने किया और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आपदा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य किसी भी तरह की आपदा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना और मंत्रालयों/विभागों को अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की मुख्यधारा में सहायता करना था।

निम्न बिंदुओं पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए:

(i) भारत में आपदा प्रबंधन का संक्षिप्त विवरण,

(ii) भारत में आपदा प्रबंधन योजना और

(iii) डीएम योजनाओं की तैयारी पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा सामूहिक अभ्यास पर क्रियाशील होना, जिसमें सक्रिय चर्चा और विचार–विमर्श शामिल था।

इसके बाद मंत्रालयों/विभागों द्वारा समूहवार प्रस्तुतिकरण किया गया। माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा, ने कार्यशाला के लिए समापन भाषण दिया और नोडल अधिकारियों को अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों में आपदा प्रबंधन को एकीकृत करने का निदेश दिया। यह कार्यशाला आपदा जोखिम प्रबंधन की अधिक प्रभावी, अधिक प्रतिक्रियाशील प्रणाली बनाने और एक सुरक्षित देश, सुरक्षित विश्व और अधिक सहनशील समुदायों की दिशा में कार्य करने की दिशा में एक कदम है।

IV. **एसडीएमए का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन:** राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में 8–9 मार्च, 2022 को तमिलनाडु सरकार के सहयोग से किया गया था, जिसमें 11 तटीय और द्वीप राज्यों और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी शामिल हैं। कार्यशाला का उद्देश्य एनडीएमए और एसडीएमए के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना और विभिन्न एसडीएमए के बीच सामूहिक सीख को बढ़ावा देना था। यह मंच प्रभावी और कुशल आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पहल के लिए एसडीएमए के बीच तथा एसडीएमए–एनडीएमए के बीच भी संबंधों को मजबूत करना है। कार्यशाला ने एसडीएमए/संस्थानों को अपने सर्वोत्तम अभ्यासों, सीखी गए सीख को साझा करने और अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों/चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य विशिष्ट एजेंसियों ने भी अपने वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों को साझा किया, जिन्हें अन्य एसडीएमए द्वारा दोहराया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों की क्षमता में वृद्धि होगी, एसडीएमए के बीच क्रॉस लर्निंग और कुशल एसडीएमए–एनडीएमए समन्वय होगा।

V. **ग्रीष्म लहर, 2022 पर राष्ट्रीय वेबिनार:** वर्ष 2022 में ग्रीष्म लहर की तैयारी के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 15 मार्च 2022 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA), बिहार सरकार के सहयोग से ग्रीष्म लहर, 2022 पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। कार्यशाला के व्यापक उद्देश्यों में विशेषज्ञों द्वारा सूचना साझा करना, अनुभव साझा करना और स्थायी दीर्घकालिक प्रशमन उपायों के लिए सीखे गए सबक और ग्रीष्म लहर पर कार्रवाई के लिए भविष्य के पाठ्यक्रम शामिल थे।

3.9 राज्य आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण:

36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 के पास उनकी अपनी स्वीकृत राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) है। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसने एसडीएमपी को भी मंजूरी दी थी, को दो केंद्र शासित प्रदेशों (i) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों (i.) दादरा और नगर हवेली और (ii.) दमन और दीव, दोनों ने एसडीएमपी को मंजूरी दे दी थी, को एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया है। इन तीन नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश अलग एसडीएमपी तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।

3.10 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना:

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी.एम.पी.) की तैयारी में सहायता के लिए, एन.डी.एम.ए. ने 'आपदा प्रबंधन योजना हेतु प्रस्तावित संरचना–भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों का प्रतिपादन किया और उसे सभी संबंधितों को परिचालित किया। यह योजना–डीएम योजना टेम्प्लेट्स के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर उपलब्ध है। डीएम योजना के लिए एक सरलीकृत टेम्प्लेट उन मंत्रालयों/विभागों, जो आपदा प्रबंधन से प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, के लिए तैयार किया गया है।

(ख) डीएमपी पर मंत्रालयों से बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और उनके उत्तरों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की गई है और एनडीएमए की वेबसाइट में नीति और योजना – डीएम प्लान टेम्प्लेट के तहत अपलोड भी किया है।

(ग) आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के मामले को उनके साथ बैठकों और अ.शा. पत्रों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

(घ) (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित किया:

1. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
2. मत्स्य विभाग
3. पशु पालन एवं डेयरी विभाग
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5. इस्पात मंत्रालय
6. परमाणु ऊर्जा विभाग
7. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सामान्य योजना नामतः राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
8. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सामान्य योजना नामतः राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
9. विद्युत मंत्रालय
10. कोयला मंत्रालय
11. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
12. पंचायती राज मंत्रालय
13. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
14. न्याय विभाग

(ङ)(31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) की जांच की और उनके संशोधन के लिए टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

1. आयुष मंत्रालय
2. उर्वरक विभाग
3. नागर विमानन मंत्रालय
4. वाणिज्य विभाग
5. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
6. दूरसंचार विभाग
7. संस्कृति मंत्रालय
8. रक्षा उत्पादन विभाग
9. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
10. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
11. भारी उद्योग विभाग
12. आंतरिक सुरक्षा विभाग
13. राज्यों का विभाग
14. राजभाषा विभाग
15. गृह विभाग
16. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग
17. सीमा प्रबंधन विभाग
18. आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय
19. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
20. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
21. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
22. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
23. खान मंत्रालय
24. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
25. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
26. रेल मंत्रालय
27. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
28. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
29. युवा कार्य विभाग
30. अंतरिक्ष विभाग
31. विदेश मंत्रालय
32. लोक उद्यम विभाग
33. ग्रामीण विकास विभाग
34. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
35. औषध विभाग
36. भूमि संसाधन विभाग
37. आर्थिक कार्य विभाग

3.11 कार्यान्वयाधीन योजना:

(i) **आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा को लागू करना:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा को लागू करने की योजना को लागू करने की तिथि से, वर्ष 2018–19 से 2025–2026 तक तीन वर्षों के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने हेतु 2010.6 लाख रुपए की लागत राशि एनडीएमए द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीएमए में एक आपदा प्रबंधन पेशेवर को नियुक्ति करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। आपदा प्रबंधन पेशेवर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई रूपरेखा को लागू करने के लिए उपायों को अपनाने में राज्य प्रशासन की मदद/सहायता करेंगे। योजना के संघटकों के लिए वित्तीय सहायता के विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) 1 लाख रु. प्रति मास की दर पर एक वरिष्ठ परामर्शदाता को हायर करना।

(ii) 22,000/–रु. प्रति मास की दर पर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करना।

(iii) पहले वर्ष 25,000/रु. प्रति मास की सीलिंग, दूसरे वर्ष 27,500/–रु. प्रति मास की सीलिंग और तीसरे वर्ष 30,250/–रु. प्रति मास की सीलिंग के साथ वाहन को किराए पर लेना।

(iv) कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रु. (एककालिक) की वित्तीय सहायता।

योजना के अंतर्गत (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधियां जारी की गईं, उनकी संख्या	जारी की गई कुल राशि
2018–19	31 (29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश)	594.56 लाख रुपए
2019–20	3 (3 केंद्र शासित प्रदेश)	22.16 लाख रुपए
2020–21	8 (7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश)	134.90 लाख रुपए
2021–22	13 (11 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश)	235.26042 लाख रुपए
	कुल	986.88042 लाख रुपए

(ii) **115 चिन्हित पिछड़े जिलों में से खतरा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) का सुदृढ़ीकरण:** 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के सुदृढ़ीकरण की योजना को गोवा जहां किसी पिछड़े जिले की पहचान नहीं की गई है, को छोड़कर सभी राज्यों में योजना के शुरू होने की तारीख से, 2018–19 से 2025–26 के दौरान, तीन वर्षों हेतु लागू करने के लिए 28.98 करोड़ रु. लागत राशि की एनडीएमए द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में 28 राज्यों में 115 चिह्नित जिलों के प्रत्येक खतरा प्रवण क्षेत्रों में योजना की अवधि के दौरान 70,000/रु. (सत्तर हजार) की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर को नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। डीमए पेशेवर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा देने/सहायता देने का कार्य करेगा।

इस योजना (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) के अंतर्गत राज्यों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधियां जारी की गईं, उनकी संख्या	जारी की गई कुल राशि
2018–19	27 राज्य	524.30 लाख रुपए
2019–20	18 राज्य	315.00 लाख रुपए
2020–21	11 राज्य	221.20 लाख रुपए
2021–22	12 (11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश)	287.00 लाख रुपए
	कुल	**1347.50 लाख रुपए**

3.12 कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं:

(i) **भारत के चार शहरों में लू से संबंधित स्वास्थ्य खतरों के अतिसंवेदनशीलता और सीमा (थ्रेशहोल्ड) का मूल्यांकन:**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण (एनडीएमए) ने दिसंबर, 2019 को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई), हरियाणा को भारत के चार शहरों अर्थात ओंगले (आंध्र प्रदेश), करीमनगर (तेलंगाना), अंगुल (ओडिशा) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 48,98,300/–रुपए की एक अनंतिम लागत से लू से संबंधित स्वास्थ्य खतरों के अतिसंवेदनशीलता और सीमा (थ्रेशहोल्ड) के मूल्यांकन पर अध्ययन के लिए सौंप दिया।

इस अध्ययन से देश में चार शहरों/कस्बों में ग्रीष्म लहर के संपर्क में आने से स्वास्थ्य प्रभाव का आंकलन करेगा। इसके अतिरिक्त देश के चार शहरों/कस्बों में ग्रीष्म लहर के बोझ का भी आंकलन करेगा और इन चार

शहरों पर वर्तमान सामाजिक–सांस्कृतिक अभ्यासों का मैप तैयार करेगा। यह उन अवसरों और चुनौतियों का पता लगाएगा और उन्हें दस्तावेजीकरण करेगा जो संवेदनशील आबादी ग्रीष्म लहरों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए सामना कर रही है। इसके अलावा इस अध्ययन से भारत के चार शहरों को इस नीति की जानकारी देने के लिए मजबूत साक्ष्य मिलेंगे जिससे वर्तमान स्थिति और बेहतर तैयारी के लिए क्षेत्रवार भारतीय मौसम चेतावनी प्रणाली को मजबूत करेंगे। नीति का संक्षिप्त विवरण जो प्रत्येक राज्य के लिए विकसित किया जाएगा, ग्रीष्म लहर से निपटने के लिए तैयारियों में सुधार के लिए विशिष्ट सुझाव प्रदान करेगा।

पीएचएफआई ने अपनी पहली सुपुर्दगी/अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे एनडीएमए ने स्वीकार कर लिया। पीएचएफआई ने संबंधित राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परियोजना के परिणाम को साझा करने के लिए 10.01.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनडीएमए के सहयोग से एक प्रसार कार्यशाला का भी आयोजन किया। पीएचएफआई ने परियोजना के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। अध्ययन ने चार अलग–अलग भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार अलग–अलग शहरों के लिए भौगोलिक समायोजन की सीमा के लिए गर्मी से संबंधित संवेदनशीलता और तापमान सीमा का परिमाणीकरण जोड़ा है। इस विश्लेषण के निष्कर्ष नीति निर्माताओं को मुद्दे की गंभीरता के बारे में सवालों के जवाब देने और सहन करने के तंत्र के लिए रणनीति विकसित करने की अनुमति दे सकते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष कई शहरी स्थानीय निकायों के बीच कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं को स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं और शहर विशिष्ट लू कार्य योजना के लिए एक रणनीतिक ढांचे को विकसित करने में बढ़ावा दे सकते हैं, जो गर्मी में स्वास्थ्य के खतरों को ध्यान रखने और कम करने की कल्पना करता है। अध्ययन ने गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए लघु, मध्य और दीर्घकालिक सामान्य नीतिगत अनुसंशा दीं।

(ii) **भारतीय शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैपिंग और मॉडल लू कार्य योजना के लिए रूपरेखा विकसित करनाः**

एनडीएमए ने भारतीय शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैपिंग और गर्मी के लिए मॉडल कार्य योजना भी रूपरेखा विकसित करने के लिए विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर को 46,94,612/–रुपए की अनंतिम लागत राशि सौंप दी है।

परियोजना के सुपुर्दगी में शामिल हैं:

1. आउटडोर थर्मल कम्फर्ट, मौसम संबंधी मापदंडों और रूपात्मक मापदंडों के बीच संबंध दिखाने वाले अध्ययन
2. विदर्भ क्षेत्र के 2 शहरों के लिए गर्मी संवेदनशीलता मैप
3. किसी चयनित शहरों के लिए ग्रीष्म कार्य योजना
4. एचवी मैपिंक के लिए सामान्य पद्धति
5. मॉडल एचएपी के लिए रूपरेखा

वीएनआईटी ने परियोजना के लिए पहली रिपोर्ट (प्रथम छमाही रिपोर्ट) प्रस्तुत कर दी है। उक्त रिपोर्ट को एनडीएमए द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। वीएनआईटी ने परियोजना की दूसरी छमाही रिपोर्ट भी जमा कर दी है। एनडीएमए में रिपोर्ट की समीक्षा की गई और रिपोर्ट पर टिप्पणियों को वीएनआईटी के साथ साझा किया गया। वीएनआईटी को राष्ट्रीय नीति और योजनाओं के साथ अध्ययन को एकीकृत करने का सुझाव दिया गया है और अध्ययन को आगे की ओर रास्ता या आंशिक रूप से परिवर्तनों को देखने तथा शहरी क्षेत्रों में भविष्य की योजना के लिए क्या सिफारिश

की जा सकती है, के बारे में सुझाव देना चाहिए। वीएनआईटी छमाही आधारों पर आगे की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अगली रिपोर्ट अप्रैल, 2022 में प्राप्त की जाएगी। अध्ययन दिसंबर, 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(iii) **गुवाहाटी टाउन में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकासः**

एनडीएमए ने गुवाहाटी टाउन में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली को वर्ष 2018–19 में 49,20,664/–रुपए की संभावित लागत सौंप दी थी और कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के सुपुर्दगी में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

1. (i) प्राथमिक और माध्यमिक डाटा संग्रह, सर्वेक्षण और विश्लेषण और (ii) मॉडल स्थापित करना तथा मॉडल अनुकरण और ट्यूनिंग
2. (i) परिणामों का विश्लेषण और सत्यापन और (ii) चित्रात्मक उपयोगकर्ता इंटरफेस, जीयूआई प्रशिक्षण, मसौदा और मुख्य निष्कर्षों और कार्य की समीक्षा के साथ अंतिम रिपोर्ट। गुवाहाटी नगर निगम द्वारा उपयोग की जाने वाली, टीईआरआई द्वारा विकसित बाढ़ चेतावनी प्रणाली, एनडीएमए/असम एसडीएमए को अंतिम उत्पाद सौंपने से पहले टीईआरआई टीम की उपस्थिति में उनके द्वारा चलाई जाएगी।

परियोजना की पहली सुपुर्दगी एनडीएमए द्वारा प्राप्त और स्वीकार कर ली गई। टीईआरआई द्वारा परियोजना की दूसरी और अंतिम सुपुर्दगी प्रस्तुत कर दी गई है और एनडीएमए द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई और टीईआरआई को एनडीएमए की टिप्पणियों और अन्य हितधारकों के सामग्रियों (इनपुट्स) को शामिल करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। टेरी की टीम से एएसडीएमए के साथ मिलकर कार्य करने और उन लोगों को प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया गया है जो इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं।

(iv) **वनाग्नि के प्रबंधन के संबंध में सर्वोत्तम अभ्यासों और स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का संग्रह**

एनडीएमए ने अप्रैल, 2021 में 28,49,000/–रुपए की अनुमानित लागत से एफआरआई, देहरादून को 'वनाग्नि के प्रबंधन के संबंध में सर्वोत्तम अभ्यासों और स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का संग्रह' तैयार करने की एक परियोजना प्रदान की और कार्य प्रगति पर है। परियोजना की सुपुर्दगी निम्नलिखित उद्देश्यों पर सूचना और विश्लेषण को संकलित करने वाली एक रिपोर्ट होगी:

- विभिन्न राज्यों से वनअग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के स्वदेशी ज्ञान और पारंपरिक अभ्यासों के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- सीमांत वन गांवों के लोगों से (सीधे/प्रश्नावली सर्वेक्षण के माध्यम से) बातचीत करना, जहां वनअग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पारंपरिक अभ्यासों का उपयोग किया जाता है। सीमांत वनों के निकट रहने वाले ग्राम समुदायों के पास उपलब्ध अग्नि निवारण और नियंत्रण के स्वदेशी ज्ञान का संकलन करना।
- पारंपरिक अभ्यासों को आधुनिक अग्निशामक प्रणाली में मुख्यधारा में कैसे लाया जाए उसका विश्लेषण करना।

2. परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए 21 मार्च, 2022 को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी।

अध्याय 4

आपदा खतरा प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)

4.1 भारत सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन (एनसीआरएमपी) की मंजूरी इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी है जिससे की चक्रवात संवेदनशीलता को कम किया जाए और अवसंरचनाओं एवं लोगों को आपदा के प्रति सहनशील बनाया जाए जो भारत के चक्रवात खतरा प्रवण राज्यों/यूटी के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के अनुकूल हो। इस परियोजना के चार घटक हैं, नामतः i) घटक क : अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने वाली पूर्व–चेतावनी प्रसारण प्रणाली ii) घटक ख : चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना जैसे, बहु–उद्देशीय चक्रवात आश्रय–स्थल (सुरक्षित निकास हेतु सड़कें, पुल, लवणीय तटबंध एवं भूमिगत केबलिंग) iii) घटक ग : बहु खतरा जोखिम प्रबंधन और क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता और iv) घटक घ : परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता। घटक क, ग और घ पूर्णतः केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित है और घटक ख का वित्त पोषण केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में होता है। केंद्रीय सरकार का हिस्सा विश्व बैंक सहायता (ऋण) द्वारा वित्तपोषित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना का कार्यान्वयन निकाय है। परियोजना को निम्नलिखित दो चरणों में केंद्र प्रायोजित परियोजना (सीएसएस) के रूप में मंजूरी दी गई है।

4.2 एनसीआरएमपी का प्रथम चरण आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रु. 1496.71 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ 5 वर्षों के अंदर पूरा करने हेतु जनवरी, 2011 में मंजूर की गई थी। चक्रवात के बारंबार अनुभव के पश्चात एनसीआरएमपी चरण–I की अनुमानित लागत को जुलाई 2015 में 2331.71 करोड़ रु. कर दिया गया जिसमें अतिरिक्त अवसंरचना शामिल था और इस परियोजना को पूरा करने का समय तदनुसार संशोधित कर 31.03.2018 कर दिया गया। परियोजना संचालन वाले राज्यों से पुनः अनुरोध प्राप्त होने पर परियोजना लागत को पुनः मई 2017 में संशोधित कर 2541.60 करोड़ रु. कर दिया गया और इसे पूरा करने की तिथि 31 दिसंबर,2018 तय की गई। एनसीआरएमपी का प्रथम चरण पूरा हो चुका है।

4.3 एनसीआरएमपी का दूसरा चरण गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 2361.35 करोड़ रु. की लागत की मंजूरी जुलाई 2015 में दी गई और इस परियोजना को पूरा करने की तारीख 15.03. 2021 रखी गई। एनसीआरएमपी चरण–II के लिए परिव्यय को दिसंबर 2020 के दौरान 80 मिलियन अमरीकी डालर के रद्दीकरण/समर्पण के कारण, परियोजना को पूरा होने की संशोधित तिथि 15 सितंबर 2022 के साथ संशोधित कर 2059.83 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

4.4 एनसीआरएमपी चरण–II के केंद्रीय हिस्सा 1327. 38 करोड़ रु. राज्यों को 31.03.2022 तक निर्गत की जा चुकी थी और वित्तीय वर्ष 2021–22 (31 मार्च, 2022 तक) के दौरान राज्यों को 158.92 करोड़ रु. जारी किए गए। पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) आंध्र प्रदेश और

ओडिशा में स्थापित और चालू की गई है तथा गोवा, कर्नाटक और केरल के राज्य में यह प्रगति पर है। कुल 775 बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (एमपीसीएस), 1291.52 किलोमीटर सड़कें, 110. 03 किलोमीटर खारा तटबंध (एसई), 1077.93 किलोमीटर भूमिगत इलेक्ट्रिक केबलिंग (यूजीसी) और 31 मार्च 2022 तक 34 पुलों का निर्माण किया गया। 2021–22 के दौरान, 31 मार्च 2022 तक 45 बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों, यूजीसी के 465.5 किलोमीटर और 12.96 किलोमीटर खारे तटबंध का निर्माण किया गया है।

4.5 आपदा जोखिमों को कम करने और विभिन्न सरकारी विभागों और समुदायों की क्षमता को सुदृढ़ करने के एक हिस्से के रूप में, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना के उप–घटकों में से एक है। एनसीआरएमपी चरण–I और II के तहत 15681 सरकारी अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर 648 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, साथ–साथ 61099 समुदाय के प्रतिनिधियों को भी 2942 आश्रय स्तर के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

4.6 इसके अलावा, आश्रय व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए 8 परियोजना राज्यों में 766 चक्रवात आश्रय प्रबंधन और रखरखाव समितियों का भी गठन किया गया हैं। प्रत्येक समिति में विभिन्न सरकारी अधिकारियों, समुदाय के प्रतिनिधियों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों आदि की भागीदारी शामिल थी।

4.7 एनसीआरएमपी के तहत निर्मित चक्रवात आश्रयों का उपयोग कोविड–19 महामारी और हाल के चक्रवातों के दौरान विभिन्न राहत और पुनर्वास उद्देश्यों के लिए किया गया था। जब पश्चिमी तट पर चक्रवात ताउते ने गुजरात पर प्रहार किया तब गुजरात राज्य में 31 ऐसे एमपीसीएस का उपयोग निकासी केंद्रों के रूप में किया गया और 25 गांवों के 4080 लोगों को एमपीसीएस में स्थानांतरित कर दिया गया। जब चक्रवात यास पूर्वी तट से टकराया था, इसी तरह, 316 एमपीसीएस को राहत सामग्री के भंडार के रूप में इस्तेमाल किया गया था और 49150 लोगों को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के राज्यों में बनाए गए विभिन्न एमपीसीएस में पहुंचाया गया था।

क्रम सं.	गतिविधि का नाम	कुल योजना (चरण I और II)	कुल प्राप्ति (चरण I और II) (मार्च, 2022 तक)	कुल 2021-22 के दौरान
1	एमपीसीएस (सं.)	796	775	45
2	सड़क (कि.मी.)	1291.52	1291.52	0
3	यूजीसी (कि.मी.)	1258.46	1077.93	465.5
4	पुल (सं.)	36	एनसीआरएमपी चरण–II के तहत 34 पूर्ण और 2 पुलों के लिए 75% प्रगति (संचयी) प्राप्त की गई है	एनसीआरएमपी चरण–II के तहत 2 पुलों के लिए 35% प्रगति प्राप्त की
5	एसई (कि.मी.)	118.18	110.03	12.96

Photographs of Assets created under NCRMP Phase-II

Figure 1: MPCS at Zankar, Gujarat

Figure 2: MPCS at Maktupur, Gujarat

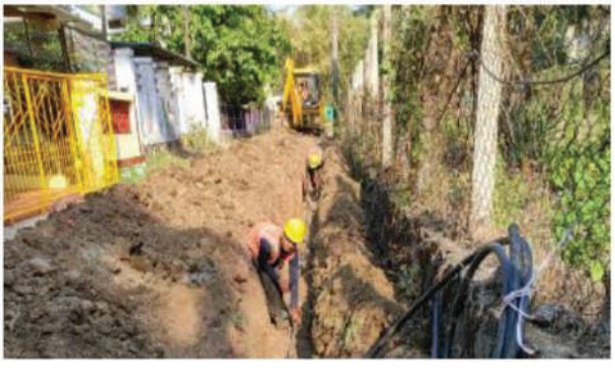

Figure 3: UGC work under progress at Alibag, Maharashtra

Figure 4: SE work under progress at Benavale, Maharashtra

Figure 5: SE work under progress at Manikatta, Karnataka

Figure 6: Bridge work under progress at Udpi, Karnataka

Photographs of Assets created under NCRMP Phase-II

Figure 7: Road at Mangalore, Karnataka

Figure 8: MPCS at Hosebette, Karnataka

Figure 9: MPCS at Kasargude, Kerala

Figure 10: MPCS at Taranagar, West Bengal

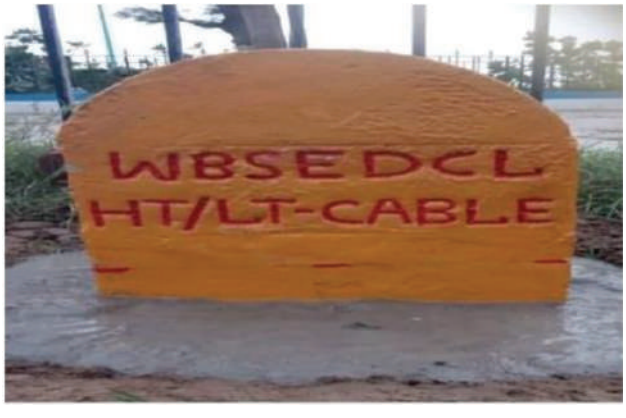

Figure 11: UGC at Digha, West Bengal

Figure 12: MPCS at Dabolim, Goa

Photographs of Assets created under NCRMP Phase-II

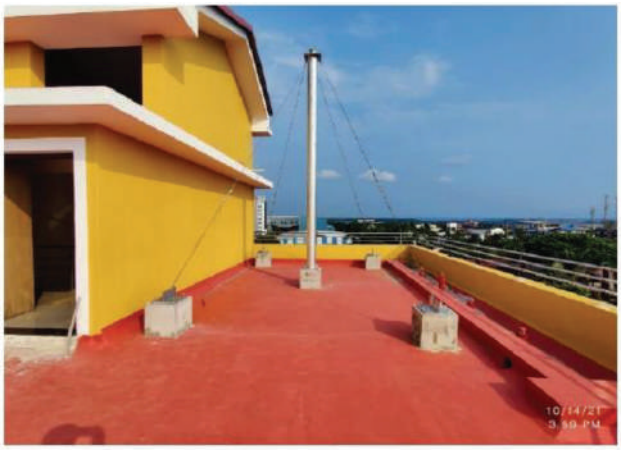

Figure 13: Mono pole tower of EWDS at MPCS, Goa

Figure 14: Spun tower of EWDS at MPCS, Goa

Photographs of Assets created under NCRMP Phase-I

Figure 1: Bridge at Narayanapuram, Andhra Pradesh

Figure 12: MPCS at Solmon, Andhra Pradesh

Figure 3: SE at Kruthivennu, Andhra Pradesh

Figure 4: EWDS (Alert Siren) at Donuku, Andhra Pradesh

Photographs of Assets created under NCRMP Phase-I

Figure 5: Road at Dindi, Andhra Pradesh

Figure 6: EWDS (Alert Siren) at Basudevpur, Odisha

Figure 7: MPCS at Satrusola, Odisha

Figure 8:SE at Chasisaba, Odisha

एनडीएमए के प्रशमन प्रभाग की पहल

4.8 प्रशमन प्रभाग ने ख्याति प्राप्त संस्थानों/संगठनों के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आदि प्राकृतिक और मानव–निर्मित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए क्रॉस कटिंग विषय पर प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) और अध्ययन शुरू किए। एनडीएमए द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:–

क. हस्तक्षेप- प्राकृतिक खतरे

भूस्खलन

4.9 **मेसो लेवल 1:10,000 स्केल उपयोगकर्ता के अनुकूल एलएचजेड मानचित्र और हरिद्वार-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन-व्यासी गलियारे (कॉरीडोर) के लिए भूस्खलन की सूची तैयार करने पर प्रायोगिक परियोजना**

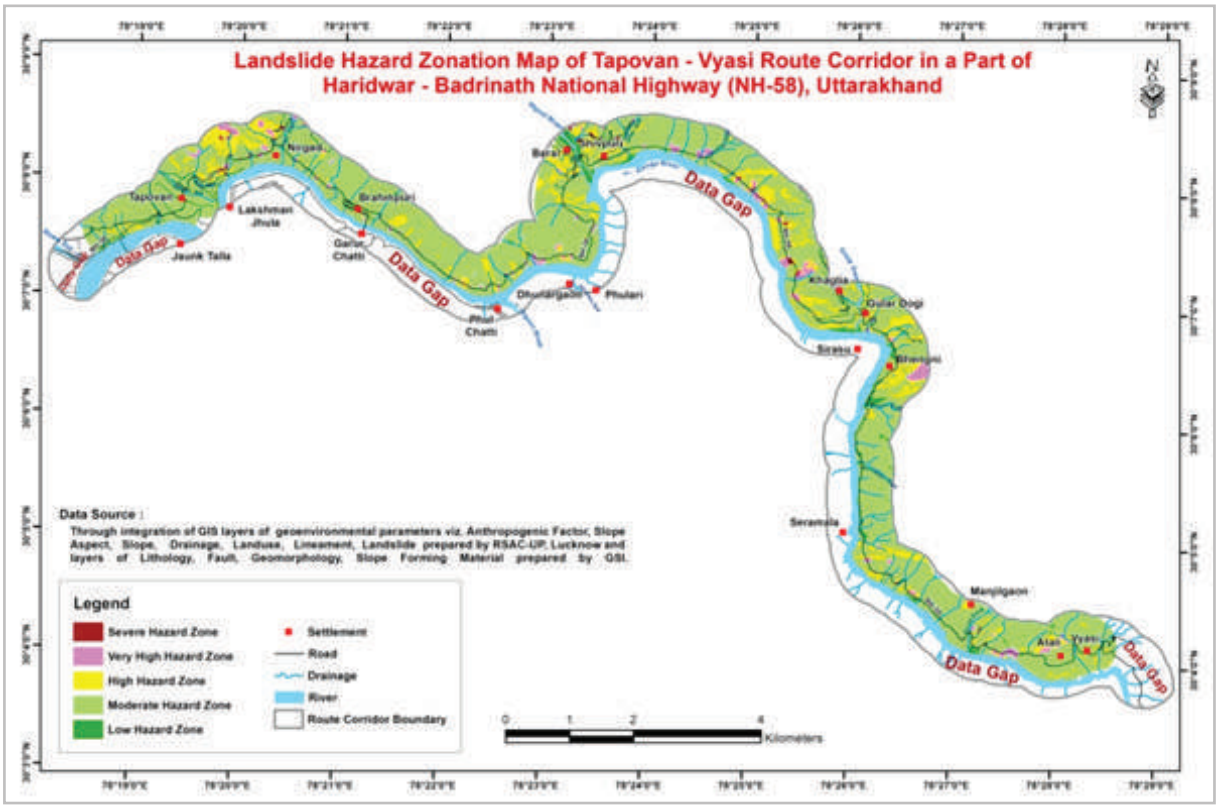

मई, 2018 में एनडीएमए ने **'मेसो लेवल 1:10,000 स्केल प्रयोगकर्ता के अनुकूल एलएचजेड मानचित्रों और हरिद्वार-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन-व्यासी गलियारे (कॉरीडोर) के लिए भूस्खलन की सूची की तैयारी'** पर प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत और शुरू की गई। यह परियोजना दूरसंवेदी अनुप्रयोग केंद्र (आरएसएसी) उत्तर प्रदेश के सहयोग से जिसमें भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) और भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), आईआईटी–रुड़की और उत्तराखंड सरकार अपने इनपुट और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान रह रहें हैं। उच्च विभेदन उपग्रह डेटा द्वारा 1:10,000 गति के एलएचजेड मानचित्रों और 142 भूस्खलनों की भूस्खलन सूची इस परियोजना के तहत तैयार की गई।

4.10 भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजन (एलआरएमएस)

- एनडीएमए ने एसडीएमए/डीडीएमए आपदा जोखिम शासन सुधार के तहत "भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना (एलआरएमएस)" को जुलाई 2019 में अनुमोदित किया, इस योजना का उद्देश्य स्थल विशिष्ट भूस्खलन प्रशमन के लिए भूस्खलन प्रवण राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराना।
- एलआरएमएस भूस्खलन निगरानी, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण आदि के साथ भूस्खलन प्रशमन उपायों के लाभों का प्रदर्शन करने की एक प्रायोगिक योजना है।
- योजना के कार्यान्वयन हेतु सिक्किम, मिजोरम, नगालैंड और उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना सभी चार राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।
- नगालैंड में भौतिक कार्य पूर्ण हो चुका है।

- मिजोरम में भी भौतिक कार्य का 80% पूर्ण हो चुका है और उत्तराखंड और सिक्किम में स्थल कार्य प्रगति पर है।

4.11 **'भूस्खलन प्रशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

एनडीएमए ने "भूस्खलन प्रशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी" विषय पर विभिन्न विशेषज्ञों संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), उत्तर–पूर्वी हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू) शिलांग, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) मिजोरम आदि के सहयोग से दो और पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मंजूरी दी है। इन संस्थानों ने राज्य सरकार के अधिकारियों को 18 प्रशिक्षण दिए क्योंकि राज्य सरकारों को भूस्खलन प्रशमन और स्थिरीकरण पर डीपीआर तैयार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक भूस्खलन प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के विभागों जैसे बीआरओ, एनएचएआई, जीएसआई आदि से 430 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान कोविड–19 अवधि के प्रशिक्षण एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किए गए। अब, परियोजना को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा।

4.12 **भूस्खलन प्रतिरोधी विशेषताओं पर भवन संहिता का निर्माण, आवधिक समीक्षा/अद्यतनीकरण**

एनडीएमए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) समिति अर्थात् सीईडी 48 और सीईडी 56 के तहत आईआईटी रुड़की और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई)–रुड़की के सहयोग से निम्नलिखित तीन दिशानिर्देश तैयार कर रहा है:

- 'भूस्खलन प्रभावित ढलानों की आधारशिला (बेड रॉक) में चट्टान द्रव्यमान (रॉक मास) कतरनी तीव्रता (शीयर स्ट्रेंथ) का निर्धारण' पर दिशानिर्देश
- भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भवनों और बुनियादी अवसंरचना के लिए सुरक्षा और प्रशमन उपाय
- भूस्खलन या ढलान स्थिरीकरण के प्रशमन के लिए सूक्ष्म ढेर पर दिशानिर्देश।

बीआईएस समितियों अर्थात् सीईडी–48 और सीईडी–56 के तहत आईआईटी रुड़की, सीबीआरआई–रुड़की और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भूकंप

4.13 **भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 से भवनों की भूकंप सुरक्षा के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश**

एनडीएमए ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद–केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से भारतीय मानक कोड और राष्ट्रीय भवन संहिता–2016 के

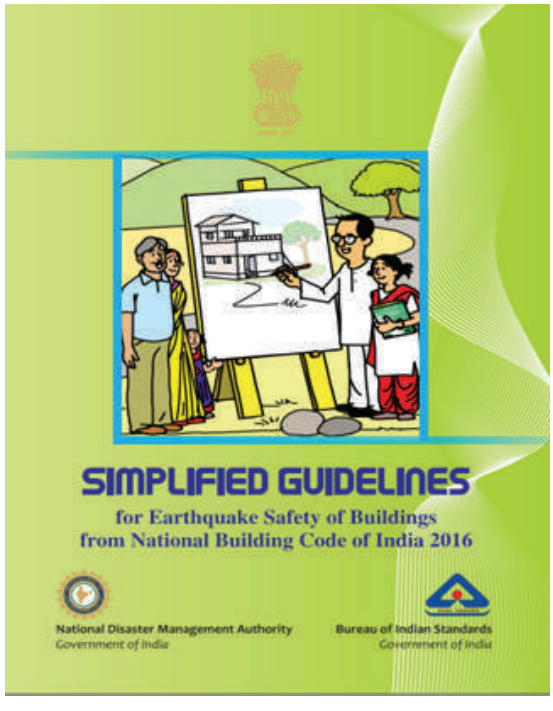

आधार पर एक सरलीकृत दिशानिर्देश विकसित किया है, जिसमें समग्र रूप से आम जनता के हित में भूकंप प्रतिरोधी निर्माण की बुनियादी आवश्यकता को समझाया गया है। बीआईएस कोड और एनबीसी–2016 पर आधारित सरलीकृत दिशानिर्देश ₹ 10 लाख की लागत से विकसित किए जा रहे हैं।

यह मार्गदर्शिका संभावित गृहस्वामियों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है, और बुनियादी जानकारी प्रदान करती है जो उन्हें अलग–अलग घरों का निर्माण करते समय या बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट खरीदते समय होनी चाहिए। यह आधार, अनिवार्य नियम के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का इरादा रखता है जो घरों/फ्लैटों के निर्माण, खरीद और रखरखाव में लागू होता है। इसमें बीआईएस और एनबीसी–2016 की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले चित्र/कार्टून शामिल हैं। यह मार्गदर्शिका घर के निर्माण या खरीद से संबंधित पाँच पहलुओं पर बुनियादी जानकारी प्रदान करती है, अर्थात्:

- एनबीसी 2016 के बारे में – इसकी प्रयोज्यता और उपयोग,
- स्थल – एक घर बनाने के लिए उपयुक्त स्थल,
- वास्तुकला रूप – उपयुक्त भूमिति और एक घर का आकार बनाना,
- संरचनात्मक सुरक्षा – एक घर और विशेष के निर्माण के लिए सामग्री की गुणवत्ता
- एक घर का इंजीनियरिंग विवरण, और
- नियमितता तंत्र – एक घर के निर्माण के लिए सक्षम हाथ (पेशेवर और कारीगर), और हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारी।

अंतिम दिशानिर्देश तैयार और 28 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस पर विमोचन किया गया। इसके प्रभावी उपयोग के लिए दिशानिर्देश सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रसारित किया गया था।

4.14 60 शहरों के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई-II)

किसी क्षेत्र में किसी विशेष खतरे के लिए जोखिम को पहचानने की आवश्यकता है। आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्रारंभिक बिंदु खतरों और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के ज्ञान में निहित है। अल्प और दीर्घावधि में खतरों और संवेदनशीलता में बदलाव के विभिन्न तरीकों को प्रलेखित करने की आवश्यकता है, इसके बाद उस ज्ञान के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

देश में भूकंप के संबंध में शहरों में आसन्न जोखिम की पहचान करने के लिए, प्रारंभ में चरण–I का अध्ययन 50 कस्बों और 1 जिले के भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक पर किया गया था और 2019 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। निरंतरता में, परियोजना के अगले चरण में पिछले 50 के अलावा नए 60 शहरों के लिए जोखिम सूचकांक का मूल्यांकन करने की योजना है। चरण–II का कार्य मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT), जयपुर को 24 माह की अवधि के लिए ₹116.2 लाख की लागत से प्रदान किया गया है। जोखिम सूचकांक एक एकल सूचकांक में तैयार किए गए शहर के लिए खतरे, संवेदनशीलता और जोखिम का संयोजन होगा। यह शहर को आसन्न भूकंपीय जोखिम के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और शहरों के बीच जोखिम की अंतर–तुलना प्रदान करेगा और आसन्न जोखिम को टालने के लिए आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया उपाय के लिए उचित कार्रवाई करने में सहायता करेगा। जोखिम मूल्यांकन को पूरा करने की पद्धति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने

के बाद, जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए 60 शहरों में क्षेत्र सर्वेक्षण किया जाएगा।

4.15 भूकंप अभियांत्रिकी के लिए संसाधन सामग्री को विकसित करना

भूकंपीय प्रतिरोधी निर्मित वातावरण की योजना तैयार करने और निर्माण करने में अभियांत्रिकी और वास्तुकला एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। स्नातक स्तर से भूकंप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के बारे में पेशेवरों को शिक्षित और प्रशिक्षण देना नए स्नातकों के लिए भूकंप इंजीनियरिंग के बारे में पर्याप्त तकनीकी ज्ञान रखने के लिए आवश्यक माना जाता है, जो अब तक केवल स्नातकोत्तर स्तरों पर उपलब्ध था।

एनडीएमए ने 192 लाख की लागत से आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला के विषयों में स्नातक के लिए भूकंप इंजीनियरिंग/वास्तुकला पर शिक्षण संसाधन सामग्री विकसित करने की पहल की है। संसाधन सामग्री को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य भूकंप इंजीनियरिंग में बुनियादी अवधारणाओं की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करना है ताकि निर्मित पर्यावरण की भूकंपीय सुरक्षा के बारे में व्यापक ज्ञान प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। प्रमुख विशेषज्ञों के द्वारा संरचनात्मक क्रियाशील (स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स), आरसी– अवसंरचना, भूकंप भू–प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग, इस्पात अवसंरचना और वास्तुकला स्टूडियो नामक पांच विषयों को विकसित किया जा रहा है। यह योजना बनाई गई है कि इन पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र में टियर I/II कॉलेज में स्नातक छात्रों के लिए प्रायोगिक तौर पर पेश किया जाए। इन विस्तृत पाठ्यक्रम सामग्री के विकास से स्नातक स्तर पर भूकंप इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक संसाधन सामग्री की अनुपलब्धता की कमी को पूरा किया जा सकेगा। यह नए स्नातक सिविल इंजीनियरों और वास्तुकारों की समझ को भी बढ़ाएगा ताकि उन्हें भूकंप प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे 'आपदा प्रतिरोधी भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

4.16 भारत का संभाव्य भूकंपीय जोखिम मानचित्रण (पीएसएचएम)

भारत में भूकंप खतरा मैप को अद्यतन करने के लिए एनडीएमए ने आईआईटी, मद्रास के सहयोग से रु.12.3 लाख की लागत से पहल शुरू की है। अंतिम रिपोर्ट IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई है। पीजीए के लिए संभाव्य भूकंपीय जोखिम विश्लेषण, और भारतीय भू–भाग में फैले सभी ग्रिड बिंदुओं के लिए विभिन्न अवधियों में वर्णक्रमीय त्वरण किए गए हैं। अनुमान प्रत्येक क्षेत्र के लिए संबंधित उपयुक्त जमीनी गति का पूर्व अनुमानित समीकरण जीएमपीई का उपयोग करके प्राप्त किए जाते हैं। अंतिम खतरे की रूपरेखा तीन दृष्टिकोणों से आती है, जो दोष–आधारित, वृत्ताकार निर्बाध आधारित और दीर्घवृत्ताकार निर्बाध हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के सीईडी–39 की भूकंप इंजीनियरिंग समिति द्वारा परियोजना की निगरानी सह मूल्यांकन किया गया है। सीईडी–39 समिति की 32वीं बैठक में इसकी सिफारिश की गई है। मानचित्र विश्लेषण और डिजाइन प्रक्रिया विभिन्न हितधारकों के लिए सहायक होगा और विश्वभर में अपनाए जाने वाले आधुनिक मानकों के अनुरूप होगा।

4.17 भूकंप प्रतिरोधी निर्माण पर्यावरण के लिए कोड निर्माण का सृजन, आवधिक समीक्षा एवं अपडेशन/संशोधन

बीआईएस की सीईडी–39 समिति के विचार–विमर्श के आधार पर, यह समिति भूकंप अभियांत्रिकी के कोड संबंधी कार्य देखती है, एनडीएमए ने

'संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा मानचित्र', पाइलपलाइन कोड ऑफ प्रैक्टिस के भूकंपीय डिजाइन, 'प्रदर्शन आधारित डिजाइन और भूकंपीय डिजाइन' और 'नई अवसंरचनाओं का विस्तृतीकरण–इस्पात भवन' पर आर एण्ड डी परियोजना के लिए एनडीएमए ने वित्तपोषण का निर्णय लिया। तत्संबंधी कोड की संचयी राशि रु.22.98 लाख है जिसे लगभग 24 महीनों में पूरा करना है। सभी भुगतान संबंधित संस्थान को जारी कर दिए गए हैं क्योंकि कोड के विकास के लिए अनुसंधान कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी तीन कोड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा व्यापक प्रसार की प्रक्रिया में हैं।

4.18 ज्ञान साझा करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण अभ्यास का संकलन पारंपरिक निर्माण अभ्यासों का संवर्धन

पारंपरिक निर्माण पद्धति, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में, अद्वितीय हैं क्योंकि वे मुख्य रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करती हैं जो बहुत ही लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल है। इसके अलावा, अगर ठीक से बनाया गया है, तो वे एक अच्छा भूकंपीय प्रदर्शन को दर्शाता है। इन पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता हाल की भूकंपीय आपदाओं के दौरान स्पष्ट रूप से सामने आई है। उदाहरण के लिए, 2001 में भारत में भुज भूकंप के दौरान, बड़ी संख्या में पारंपरिक निर्माणों ने निम्न स्तर की क्षति का अनुभव किया, जबकि उनके पड़ोसी आधुनिक भवनों को व्यापक क्षति और जीवन का नुकसान हुआ। 1999 में तुर्की में मरमारा भूकंप, 1993 में भारत में किलारी भूकंप और हाल के कई अन्य भूकंपों में भी इसी तरह के अनुभव दोहराए गए हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि स्थानीय पारंपरिक निर्माण अभ्यास ने भूकंप प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित किया था, जो अब आधुनिक निर्माणों की भूकंपीय सुरक्षा को संबोधित किए बिना इन क्षेत्रों में आधुनिक सामग्रियों और निर्माण तकनीकों को शामिल करने के कारण खो रहे हैं।

इन विभिन्न निर्माण अभ्यास के संग्रह को विकसित करने और भूकंप के दौरान उनकी प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए, हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक और समकालीन भूकंप प्रतिरोधी निर्माण अभ्यासों पर एक प्रायोगिक अध्ययन 25 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ आईआईटी रोपड़ को आईआईटी रुड़की और एईसी गुवाहाटी के साथ एक संघ में आवंटित किया गया था। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालय में पारंपरिक और समकालीन भवन प्रारूपों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना, भूकंपीय संवेदनशीलता मूल्यांकन करना और इस तरह के भवन प्रारूपों के लिए सुरक्षा उपायों का सुझाव देना था।

4.19 अभियांत्रिकी/वास्तुकला महाविद्यालयों में भूकंप अभियांत्रिकी सुविधाओं के संसाधन मैपिंग

एनडीएमए ने 24 महीने की अवधि के लिए 23.5 लाख रुपए की लागत से एक पोर्टल पर भूकंप इंजीनियरिंग पेशेवरों को तैयार करने के लिए एमएनआईटी जयपुर के साथ एक परियोजना शुरू की है। परियोजना का लक्ष्य भूकंप विशेषज्ञों और अन्य भूकंप इंजीनियरिंग संसाधनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल बनाया गया है जिसमें देश भर में भूकंप इंजीनियरिंग के विषय में कार्य कर रहे शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक पेशेवरों के बारे में जानकारी शामिल है। ये विवरण जल्द ही एनडीएमए की वेबसाइट पर भी दर्शाया जाएगा। संकट की स्थिति में विशिष्ट शोध करने के लिए पेशेवरों की पहचान करने में ये विवरण महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक निर्माण पद्धतियां

थाथारा आवास

शुष्क पत्थर आवास

मिट्टी की दीवार आवास

धज्जादेवरी आवास

कोटि–बनाल आवास

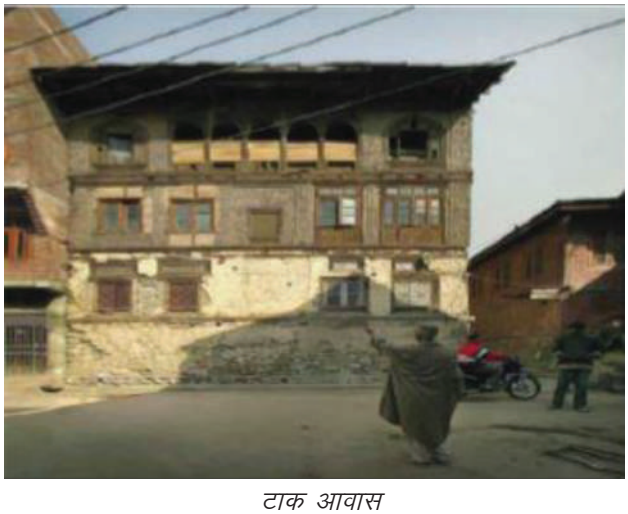

टाक आवास

असम टाइप आवास

नागा टाइप आवास

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में समकालीन निर्माण पद्धतियां

चिनाई के साथ आरसीसी भवन

जली हुई मिट्टी की ईंट की चिनाई वाली इमारत

कंक्रीटब्लॉक के साथ आरसी फ्रेम इमारतें

रिटेनिंग सिस्टम और स्टिल्ट पर समर्थित के साथ समकालीन भवन

4.20 **मेसनरी जीवनरेखा संरचनाओं और आगामी निर्माणों के भूकंप प्रतिरोधी क्षमता में सुधार के लिए प्रायोगिक परियोजना**

भारत में हाल के दिनों में आए भूकंपों से व्यापक क्षति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप जान–माल का नुकसान हुआ है। इन हानिकारक भूकंपों ने मौजूदा बिल्डिंग स्टॉक की उच्च संवेदनशीलता को उजागर किया है, मुख्य रूप से भारतीय मानकों और भवन संहिता में निर्दिष्ट भूकंप प्रतिरोधी विशेषताओं का पालन नहीं करने, नियामक तंत्र की अनुपस्थिति और भवन उप–नियमों के पालन की उचित निगरानी की कमी के कारण। आम तौर पर भूकंप की स्थिति में, अप्रतिबंधित मेसनरी इमारतें और गैर–इंजीनियर इमारतें अंतर्निहित नाजुकता, लचीले बल की कमी के कारण खराब प्रदर्शन दिखाती हैं, जिसका अर्थ है अप्रतिबंधित मेसनरी में इस्पात सुदृढ़ीकरण द्वारा प्रदान किए गए गुणों की कमी। बिल्डिंग स्टॉक का 70% से अधिक मेसनरी निर्माण है और यहां तक कि एक मध्यम भूकंप भी इन इमारतों को तबाह कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मृत्यु हो सकती हैं।

एनडीएमए ने जीवनरेखा संरचनाओं को भूकंप प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिपुरा, उत्तराखंड और एनडीएमसी, दिल्ली के साथ मिलकर एक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की है जिसमें चिह्नित मेसनरी जीवनरेखा निर्माण, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाई का निर्माण और इंजीनियरों का क्षमता निर्माण, बार बेंडर और कारपेंटरों के क्षमता निर्माण शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 950 लाख रु. है।

परियोजना का प्रमुख उद्देश्यः–

- चयनित जीवनरेखा मेसनरी भवनों की संरचनात्मकता की सुरक्षा ऑडिट
- चयनित जीवनरेखा भवनों का पुनः संयोजन
- भूकंप प्रतिरोधी तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन इकाइयों का निर्माण (परियोजना राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में एक–एक)
- क्षमता निर्माण–इंजीनियर, राजमिस्त्री, बार बेंडर और कारीगरों का प्रशिक्षण

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और आईआईटी रुड़की की सहायता से त्रिपुरा के इंजीनियरों के लिए भूकंप रेट्रोफिटिंग रणनीतियों पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मेलाघर गर्ल्स उ.वि. (+2) स्कूल, त्रिपुरा की रेट्रोफिटिंग

अतिप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभावाला, देहरादून, उत्तराखंड की रेट्रोफिटिंग

4.21 **जागरूकता अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भूकंपीय परिदृश्य विकसित करना**

परिदृश्य विकसित करने का आशय है, यदि समान परिमाण वाले किसी पिछला भूकंप फिर से दोहराया जाए तो प्रारूपता, जनसंख्या धनत्व और विकास में परिवर्तन के कारण क्या होता है तथा एक समुदाय पर समग्र रूप से क्या कर सकता है, इस बारे में जागरूकता सुधार करना। एक प्रशंसनीय भूकंप परिदृश्य स्थानीय भूकंपीयता और भूविज्ञान के वर्तमान ज्ञान पर आधारित है, और जोखिम में समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ के भीतर भवन स्टॉक, जीवन रेखा और अन्य बुनियादी ढांचे की विशेषताओं को शामिल करता है। भविष्य के लिए योजना को बेहतर ढंग से समझने और मदद करने के लिए परिदृश्यों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एक ऐसा परिदृश्य जो वास्तविक रूप से भूकंप के जोखिम और संभावित प्रभावों का वर्णन करता है, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और निर्णय लेने वालों और नीति निर्माताओं को विनाशकारी नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कार्य करने के लिए स्पष्ट कारण देता है। एक परिदृश्य प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्बहाली के लिए रणनीतियों का परीक्षण कर सकता है। वे विभिन्न डिजाइन कोड और नीतियों के तहत भवनों और अन्य संरचनाओं के प्रदर्शन स्तर को दिखा सकता हैं।

अतीत में, एनडीएमए ने दो भूकंपीय परिदृश्य किए हैं अर्थात् उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र के लिए 2012–2013 में एमडब्ल्यू 8 मंडी भूकंप परिदृश्य परियोजना और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए 2013–2015 में एम 8.7 शिलांग भूकंप परिदृश्य परियोजना। हिमालयी बेल्ट में भूकंपीय गतिविधि और विनाशकारी भूकंपों के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, एनडीएमए ने 1934 बिहार नेपाल भूकंप (एम 8.4) और 1991 उत्तरकाशी भूकंप (एम 6.6) आधारित बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भूकंप परिदृश्य पर परियोजना और राज्यों में जागरूकता सृजन पर विचार किया। यह परियोजना भूकंप के परिदृश्य को विकसित करने के लिए कार्यान्वित की जाती है जिसके आधार पर एकीकृत कार्य योजना बनाई जाती है, जो विभिन्न हितधारकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया, उपयोगिताओं की योजना बनाने और समन्वय करने में सहायता करेगी और इसके अतिरिक्त यह एक बड़े भूकंप के परिणामों की समझ प्रदान करेगी और यह आईआईटी रुड़की के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत ₹ 302 लाख है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- 1934 बिहार नेपाल भूकंप और 1991 उत्तरकाशी भूकंप पर दोबारा गौर करके दो वैज्ञानिक भूकंप परिदृश्यों विकसित करना: जनसंख्या प्रदर्शन, अपेक्षित क्षति और नुकसान सहित कलर कोडित जोखिम मानचित्र
- बेहतर भूकंप जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के लिए राज्यों के नीति निर्माताओं को अध्ययन के परिणाम की सुविधा प्रदान करना
- अध्ययन के परिणाम को सुगम बनाने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला
- जिला अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए संबंधित राज्यों में जिला स्तरीय कार्यशालाएं

इस परियोजना में बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जीएसआई, राज्य भू–विज्ञान और खनन निदेशालयों, क्षेत्रीय अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थानों, एनजीओ की भागीदारी और एनडीएमए की सहायता और मार्गदर्शन की परिकल्पना की गई है। परिदृश्य विकसित करना और परियोजना समन्वयन गतिविधियों में आईआईटी, रुड़की द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सुविधा मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में किसी भूकंप पर परिदृश्य विकसित हो रहा है।

ख. हस्तक्षेप- मानव निर्मित खतरे

नाभिकीय और विकिरणकीय

4.22 **भ्रमणशील विकिरण खोज प्रणाली (एमआरडीएस)-**

एनडीएमए ने एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है जिसके तहत 56 शहरों के पुलिस विभागों को प्रशिक्षित किया गया है और सार्वजनिक स्थलों पर विकिरणकीय आपातस्थिति से निपटने के लिए लैस किया गया है। इस परियोजना के तहत शहरों के पुलिस कार्मिकों को टीओटी के अंतर्गत एनडीएमए ने रेडियोधर्मी डिटेक्टर और प्रशिक्षण प्रदान किए। 930 पुलिस गश्ती वाहनों को विकिरण गो–नोगो उपकरणों से सुसज्जित किया गया था और 339 पुलिस स्टेशनों को विकिरण माप उपकरण और सुरक्षा किट प्रदान किए गए थे। परियोजना को एनडीएमए के समर्थन से 5 वर्षों (एएमसी) के लिए वित्तपोषित किया गया है और अब एमटीई (मध्य अवधि मूल्यांकन) किया जाएगा।

4.23 **40 बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर आपातकालीन प्रबंधकों के लिए रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय (सीबीआरएन) आपातकाल प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण:-**

सीबीआरएन स्थिति की तैयारी को बढ़ाने के लिए प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। मूलतः यह सीबीआरएन की स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी रोकथाम और प्रतिक्रिया कार्रवाई पर केंद्रित है। सीबीआरएन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूलभूत खतरा, सुरक्षा कार्रवाई, हैंड्स–ऑन, फील्ड अभ्यास को शामिल किया जाता है जिसका लक्ष्य घटना स्थल पर प्रशिक्षित प्रतिक्रियादाता के पहुंचने तक सीबीआरएन संबंधी घटनाओं की रोकथाम और प्रशमन के लिए पोर्ट को तैयार करना है।

अब तक सीबीआरएन आपातकाल बुनियादी बंदरगाह प्रशिक्षण के 28 सत्र पूरे हुए और विभिन्न अभिकरणों के लगभग 1400 स्टाफ सदस्यों को जो पोर्ट प्रचालन के उत्तरदायी हैं, उन्हें विषय विशेषज्ञों और एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। एनडीएमए प्रत्येक माह दो स्थानों पर सीबीआरएन प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बना रहा है। दूसरे चरण में आठ हवाई अड्डों पर सीबीआरएन प्रशिक्षण पूरे हुए। 5–7 अप्रैल 2022 को जयपुर हवाई अड्डे में सीबीआरएन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

4.24 **'नाभिकीय तथा विकिरणकीय आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन पर परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड सुरक्षा कोड' (एईआरबी) का पुनरीक्षण (एईआरबी/एनआरएफ/एससी/एनआरई)**

'नाभिकीय तथा विकिरणकीय आपातालीन स्थितियों के प्रबंधन' (एईआरबी/एनआरएफ/एससी/एनआरई) पर एईआरबी सुरक्षा संहिता का मसौदा एईआरबी को टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर 21 में एईआरबी से 'एन एंड आर आपात स्थितियों के प्रबंधन पर एईआरबी सुरक्षा कोड' पर एनडीएमए के टिप्पणियों का प्रस्तावित समाधान प्राप्त हुआ।

4.25 **गृह मंत्रालय के लिए एनडीएमए की कार्य योजना और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना की तैयारी**

एनडीएमए की कार्य योजना और एनपीपी प्रस्तुति में तैयारी और उस पर एक नोट तैयार किया गया था और एम–एस, एनडीएमए और एनडीएमए के सदस्यों को प्रस्तुत किया गया था और इसे अंतिम रूप देने से पहले दो बार प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में एनपीपी संचालित करने वाले जिलों के जिला प्राधिकारियों/डीएम/डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी ताकि उनके जिले में किसी भी नाभिकीय आपात स्थिति से निपटने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनकी तैयारियों पर चर्चा की जा सके।

4.26 **नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) के लिए ऑफ-साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई)**

एनपीपी के लिए ओएसईई प्रशिक्षण आयोजन हेतु एनपीसीआईएल ने तीन राज्यों में नई पद्धति तैयार की है (टेबल–टॉप, समेकित कमांड, नियंत्रण और प्रतिक्रिया (आईसीसीआर) तथा जनता की

सहभागिता से पूर्ण अभ्यास)। हाल ही में सितंबर 21, नवंबर 21 और दिसंबर 21 के महीने में डीएई द्वारा तारापुर, नरोरा, कुडाकुलम और कलपक्कम में चार आईसीसीआर ओएसईई आयोजित किए गए और एनडीएमए ने पर्यवेक्षकों के रूप में इसमें भाग लिया और एनडीएमए को एक रिपोर्ट दी। महामारी के कारण केजीएस ओएसईई (जनवरी 2022) अभ्यास (ड्रिल) में ऑनलाइन रूप से भाग लिया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

4.27 **संबंधित डीडीएमपी में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के साथ सात जिलों के लिए ऑफ साइट आपातकालीन योजना का एकीकरण**

डीडीएमपी के मसौदे की समीक्षा की जा चुकी है और संबंधित जिलों से संशोधित प्रारूप प्राप्त हो गए हैं। पालघर जिले से प्राप्त मसौदा एनडीएमए के दस्तावेज़ तैयार करने की रूपरेखा को अपनाते हुए अच्छी तरह से तैयार पाया गया है। इसे संस्थागत समीक्षा के लिए सीएमजी, डीएई को भेजा जाता है। डीएई ने संस्थागत समीक्षा पूरी कर ली है और एनडीएमए को भेज दिया गया है। एनडीएमए ने अपनी टिप्पणियां दी हैं और सभी 7 जिलों के डीएम को डीएई और एनडीएमए की टिप्पणियों को शामिल करने के लिए भेज दिया गया है।

ग. हस्तक्षेप- क्रॉस-कटिंग मुद्दे

मनोसामाजिक देखभाल

4.28 **कोविड 19 संक्रमित लोगों के लिए मनोसामाजिक परामर्श**

कोविड–19 के रोगियों को जो मनोचिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं उन्हें परामर्श देने के लिए एनडीएमए ने एक हेल्पलाइन शुरू की है जिससे कोविड–19 संक्रमित रोगियों को दूरस्थ मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध करवाया गया। अलग–थलग और एकांतवास में होने के चलते कोविड–19 के रोगी असंख्या चिंताओं और परेशानियों से घिर जाते हैं–जैसे उनके स्वस्थ होने की अनिश्चितता, उनकी सहरुग्नताएं, उनके अपनों की स्वास्थ्य और कल्याण, वित्तीय सुरक्षा आदि। इस वजह से उनमें एकाकीपन, असहायता और कुंठा का बोध घर कर जाता है।

एनडीएमए ने परामर्शदाता स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध किया और कोविड–19 रोगियों को टेली–परामर्श देने हेतु उनकी सेवाएं ली गईं। इस प्रकार के हस्तक्षेप का उद्देश्य कोविड–19 संक्रमित रोगियों को मूलभूत मनोसामाजिक सहायता टेली–परामर्श 'सदाशयतापूर्ण बातचीत' के माध्यम से योग्य और अनुभव परामर्शदाता द्वारा प्रदान किया जाना है। इस प्रकार की सदाशयपूर्ण बातचीत या परामर्श में विशिष्ट पीएफए कारक अवश्य होते हैं जैसे अनिर्णायक होकर सुनना, सामान्य सूचना और आश्वासन देना और स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना एवं अन्य सहायक रणनीतिक जानकारी प्रदान करना।

यह परामर्श दूरस्थत प्राप्त होता है, इसलिए इस परामर्श का कोई निश्चित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या उपचार नहीं होता है। यह पारंपरिक मनोसामाजिक परामर्श के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, जैसे तत्काल आवश्यकता को पूरा करने

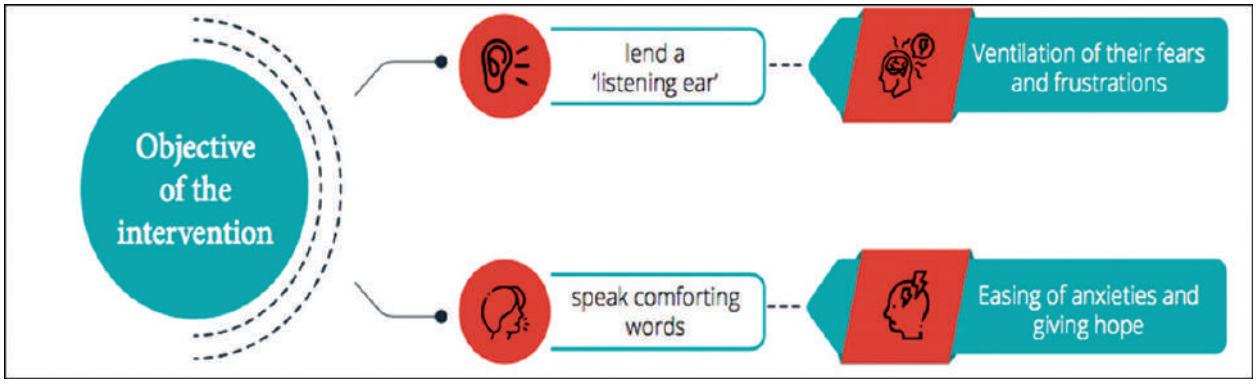

हेतु व्यावहारिक सहायता प्रदान करना, सामाजिक सहयोग स्थापन में सहायता करना या रेफरल सेवाओं के लिंक मुहैया कराना।

'रिवर्स' हेल्पलाइन अपने तरह का देश में एक अनोखा हस्तक्षेप है जिसमें कोविड–19 संक्रमित मरीज को हेल्पलाइन पर कॉल करने की जरूरत नहीं है। अपितु, परामर्शदाता आगे बढ़कर स्वयं रोगी को कॉल कर संपर्क करते हैं और उसकी मनोदशा की जांच करते हैं एवं परामर्श देकर रोगी को राहत पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के कॉल आने पर कोविड संक्रमित रोगी राहत अनुभव करते हैं। इस वार्तालाप में सलाहकार रोगी की समस्याओं को सुनने का भरोसा देते हैं और सब कुछ गोपनीय रखा जाता है। यदि रोगी पुनः संपर्क करने की याचना करता है अथवा परामर्श प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है तो एनडीएमए द्वारा आवश्यक सेवा की व्यवस्था की जाती है।

इस परामर्शदायी सेवा हेतु स्वयंसेवकों का चयन गहन जांच–पड़ताल के बाद होता है जिसमें उनकी योग्यता और अनुभव का सत्यापन होता है। इन स्वयंसेवकों में मुख्यतः मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता और मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। देश भर में विभिन्न स्थानों से दूरस्थ परामर्शी सेवा संचालित होती है।

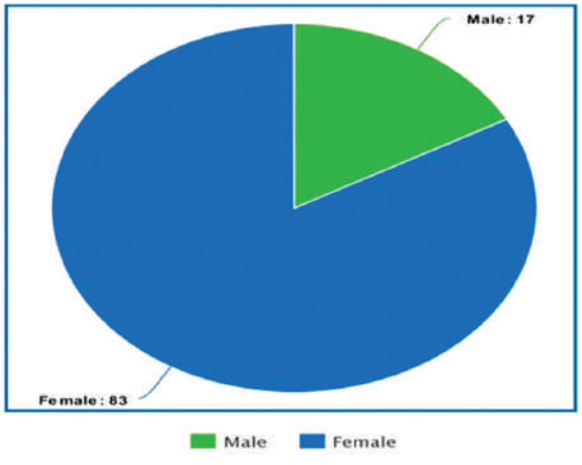

परमर्शदाताओं का लिंग वितरण

परामर्शदाताओं को संचालन कार्यवाही हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। एनडीएमए तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आचारनीति और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी का स्वयंसेवक सेवाओं के प्रदाता को कड़ाई से अनुपालन करना होता है। सेवा पूर्ण होने पर स्वयंसेवकों को "प्रशंसा प्रमाणपत्र" प्रदान किया जाता है। स्वयंसेवी परामर्शदाताओं द्व ारा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बहुत–सी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं जिससे लाभार्थियों के बहुत बड़े दायरे में सेवा देने में सक्षम बनाता है।

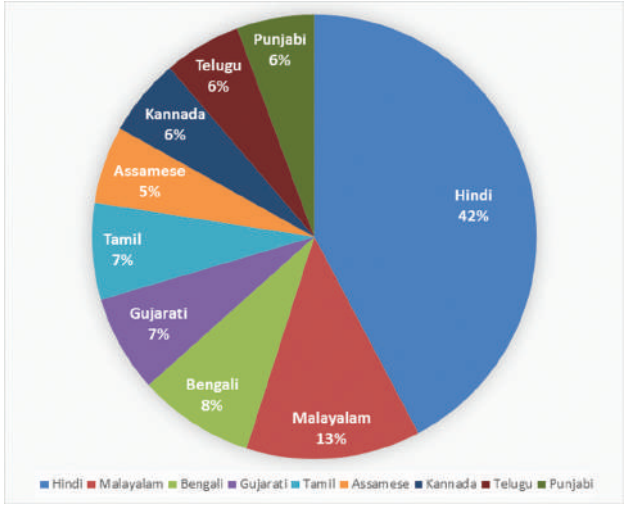

सलाहकारों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं

4.29 परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण

परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण हेतु एनडीएमए ने 'रहबर' टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के साथ मिलकर काम किया है। मनोसामाजिक सहायता हेल्पलाइन के लिए एनडीएमए में पंजीकृत स्वयंसेवी परामर्शदाताओं के लिए 'टिस' ने प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। वीडियो–आधारित प्लेटफार्म द्वारा दो घंटों का साप्ताहिक सत्र आयोजित किए गए थे। परामर्शदाताओं की जरूरतों और उनसे जुड़ी हुई चुनौतियों तथा कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों के साथ प्रकट होने वाली मनोसामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण योजना और इसकी रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

'टिस' द्वारा आयोजित पर्यवेक्षण सत्र का उद्देश्य

परामर्शदाताओं को प्रेरित करना, उनके पेशेवर दक्षता में वृद्धि, उनमें क्षमता सृजन और प्रतिक्रियात्मक अभ्यास कराना है। पर्यवेक्षण सत्र समूह प्रारूप में आयोजित किए गए जिससे परामर्शदाताओं को प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से सहकर्मियों के साथ मिलकर सीखने, प्रतिक्रयात्मक बातचीत और दक्षता निर्माण पाठ के अवसर प्राप्त हुए। परामर्शदाता की आवश्यकता और दक्षता के अनुरूप पर्यवेक्षण सत्र के मुद्दों को केंद्रित किया गया।

4.30 पूरे भारत में-विस्तृत परामर्श के लिए मोबाइल एप

एक विशेष प्रकार का मोबाइल एप तैयार कर परामर्शदाताओं के मोबाइल फोन में संस्थापित किया गया और इस एप से परामर्श का कार्य किया जाता है। इस एप में यह सुनिश्चित किया गया है कि रोगी को परामर्शदाता का नंबर दिखाई न दे और परामर्शदाता को भी रोगी का नंबर न दिखे। एनडीएमए कोविड–19 संक्रमित रोगी के आंकड़े संग्रह कर इसे संस्थापित करता है। जब एप के द्वारा कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति को फोन किया जाता है तो केवल मूल सूचना काउंसिलिंग के लिए प्रकट किया जाता है। इससे रोगी और परामर्शदाता दोनों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय बनी रहती है।

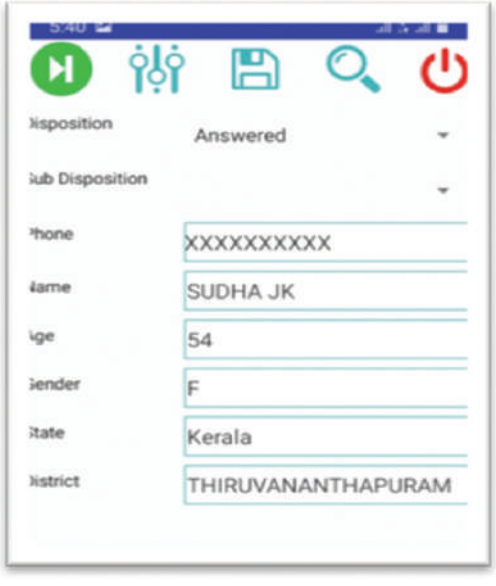

4.31 कोविड-19 के मरीज मनोसामाजिक मुद्दों से जूझते हुए

परामर्शदाता कोविड–19 के मरीज को शोकाकुल होने पर ढाढस बढ़ाना, शिक्षा और रोगी को आश्वस्त रहने की भावना जगा कर मनोसामाजिक सहायता प्रदान करते हैं। कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति को परामर्श के दौरान जो मुद्दे सामने आए वे हैं:–

- एकांतवास/संगरोध की निर्धारित अवधि को लेकर भ्रम
- जांच संबंधी चिंताएं
- जांच रिपोर्ट की विवेचना में असमर्थता
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य की चिंता, परिवार का कुलश क्षेम
- संगरोध किए जाने के कारण क्रोध
- भविष्य को लेकर चिंता
- सामाजिक कलंक और परिवार के साथ भेदभाव से चिंतित
- परिवार के बुजुर्ग जिन्हें अधिक खतरा है, उनको लेकर तनाव
- अकेलापन महसूस करना

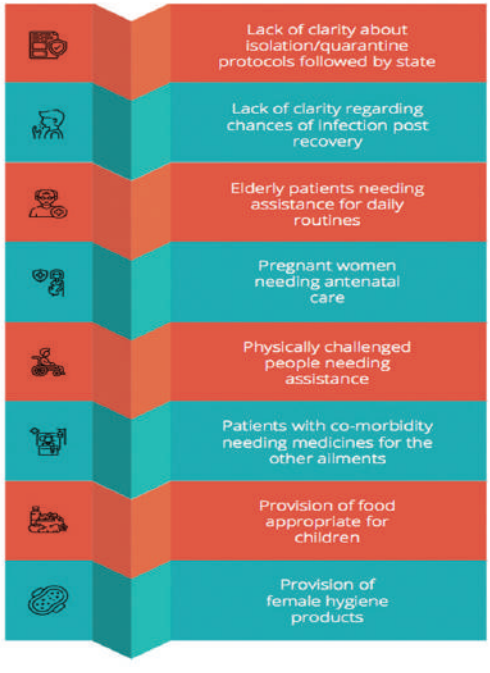

- परिवार के लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं करने पर चिंता
- अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी का परिवार वालों से न मिलना
- परिवार से संपर्क न कर पाना
- किसी अभीष्ट व्यक्ति की मृत्यु का दुःख
- माली नुकसान और ऋण की चिंता

4.32 प्रभाव/लाभ/परिणाम

एनडीएमए मनोसामाजिक देखभाल हेल्पलाइन (अप्रैल से जुलाई 2021) के दूसरे चरण में, एनडीएमए के साथ स्वेच्छा से परामर्शदाताओं ने 70,000 से अधिक कोविड–19 रोगियों तक पहुंच बनाई थी। एनडीएमए के स्वयंसेवी परामर्शदाताओं ने उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी बातों को सुना गया। परामर्शदाताओं को हस्तक्षेप के रूप में प्रयोग कर सहायता की गई।

इसके अतिरिक्त, परामर्शदाताओं ने उन्हें समझने में मदद की कि उनके अपने नियंत्रण में क्या है और वे खुद की भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कैसे सक्रिय रहें। उन्हें अपनी भावनाओं को पहचान कर उसका हिसाब रखने, दूसरों से बातचीत करने और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने जैसे उपाय बताए गए। उन्हें बताया गया कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जैसे स्वास्थ्यप्रद भोजन, कुछ व्यायाम और अच्छी नींद लेने पर उनके विचारों और भावनाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

दूसरों की सहायता और देखभाल प्राप्त होने पर लोगों में चुनौतियों का मुकाबला करने में इसका प्रबल प्रभाव पड़ता है। सहायता करने वाले

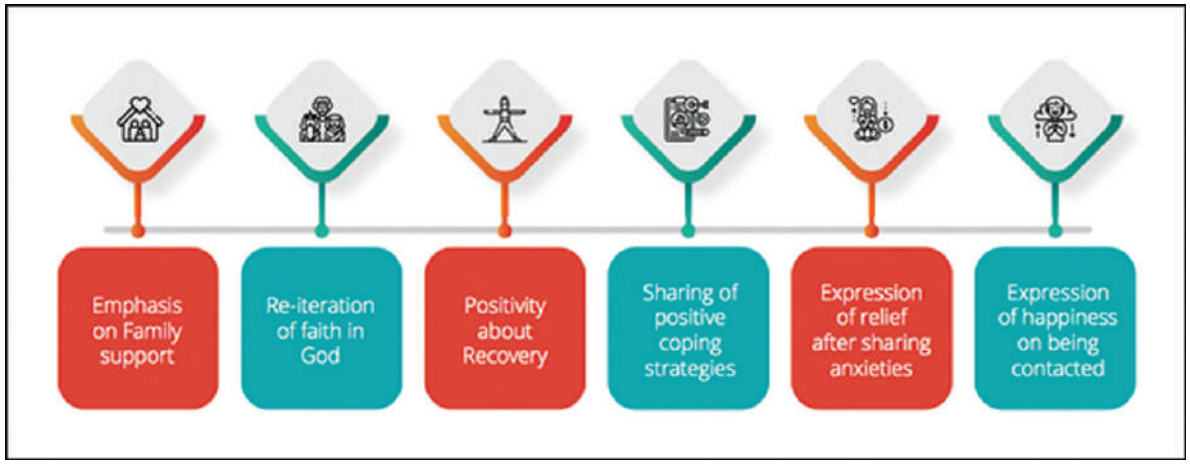

को उन बातों के लिए शिक्षित किया गया जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते थे। उन्हें बताया गया कि कैसे वे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य रख सकते हैं। सहायक मनोचिकित्सा लोगों में कारगर रहा, उन्हें आश्वस्त किया गया कि हालात अच्छे हो जाएंगे। रोगी में चिंताओं के कुछ मामलों को ठीक करने के लिए उन्हें आरंभिक तकनीक, मनभावन पहल और सांस लेने के व्यायाम द्वारा सहायता की गई। जहां लोग अपनी हालात पर कुंठित थे वहां उन्हें क्रोध प्रबंधन

परिवारों और मित्रों के साथ समय बिताने से सुकून और स्थायित्व महसूस करता है। दूसरों के साथ चिंताओं, विचारों और भावनाओं के स्तर पर बात करने से तनावपूर्ण स्थिति के बारे में सोचने या उससे निपटने के प्रभावी तरीकों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

अधिकांश लोगों ने इस पहल की सराहना की और बताया कि उन्हें समझा गया और उनकी देखभाल हुई। एक कठिन परिस्थिति में होने के कारण उनको सहायता मिली और लोगों ने उन्हें स्वीकार किया।

रोगी का क्या कहना था......................

'मेरा अपना परिवार सगे संबंधी और मित्रगण इस समय मुझसे संपर्क नहीं कर रहे हैं और आप.....एक अनजान व्यक्ति.........जिससे मैं कभी नहीं मिला हूं.......आप अपना समय मुझे आराम पहुंचाने और राह दिखाने में कर रहे हैं.......मैंने कभी भी इसकी आशा नहीं की थी।'

"आपके संगठन की ये सदाशयता ही है जो अवसाद की इस घड़ी में मेरी सुध लें रहे हैं जबकि हमारे अपने सगे संबंधी उपलब्ध नहीं हैं। आपके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद शब्द भी अपर्याप्त है।"

रोगियों की सदाशयता से परामर्शदाता अभीभूत हुए.........

'एक रोगी, जब हमारी बातचीत समाप्त होने को थी, मेरे बारे में और अधिक जानने को उत्सुक दिखे तथा मेरा कुशल क्षेम और उम्र जाननी चाही। जब वह सुना कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं, तो मुझे अपना ध्यान रखने को कहा और घर पर रहने की सख्त हिदायत दी जिससे मैं वायरस की चपेट में न आऊं।'

'एक ऐसा मामला मेरे पास आया जिसमें एक वृद्ध सज्जन ने पूछने पर अपनी कुशल क्षेम को दरकिनार कर मुझे सलाह दी कि मैं फ्रंटलाइन वर्कर से बात करूं (पुलिस, डॉक्टर, नर्स आदि) और उनके हौसलें को बढ़ाऊं। बड़े ही निःस्वार्थ भाव से उन्होंने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर दूसरों की जरूरतों को तवज्जो दी।'

4.33 कार्यक्रम से परिणामित अनुसंधान और दस्तावेजीकरण

अनुसंधान रिपोर्टः— एनडीएमए और टिस ने परामर्शदाताओं द्वारा उल्लिखित मनोसामाजिक देखभाल हेल्पलाइन से उत्पन्न प्रक्रिया और अंतर्दृष्टि का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक शोध रिपोर्ट तैयार की है।

Psychosocial Support for Individuals Diagnosed with CoVid-19: Experiences of Volunteer Counsellors from India

Report

By

National Disaster Management Authority

In collaboration with

Rahbar,

Tata Institute of Social Sciences, Mumbai

प्रशिक्षण नियमावली (मैनुअल):— एनडीएमए ने कोविड—19 रोगियों के लिए दूरस्थ मनोसामाजिक परामर्श पर परामर्शदाताओं के लिए एक प्रशिक्षण नियमावली तैयार करने के लिए टिस के साथ भागीदारी की है। शामिल किए गए विषय एक महामारी के दौरान मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा, उच्च जोखिम और संकट में ग्राहकों की सहायता करना, सामाजिक कलंक को कम करना, नैतिक अभ्यास सुनिश्चित करना और परामर्शदाताओं के लिए स्वयं की देखभाल करना है। इन दोनों दस्तावेजों को एनडीएमए की वेबसाइट पर जारी किया गया है। कोविड—19 रोगियों तक सक्रिय

Providing Psychosocial Support in the CoVid-19 Pandemic: A Training Manual for Counsellors

Report

By

National Disaster Management Authority

In collaboration with

Tata Institute of Social Sciences, Mumbai

रूप से पहुंचने और उन्हें प्रारंभिक मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करने के अभ्यास ने न केवल रोगियों को लाभान्वित किया है, बल्कि कोविड–19 के प्रबंधन और इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए समग्र प्रणाली को मूल्यावान प्रतिक्रिया भी प्रदान की है। एनडीएमए अब इस पहल को मनोसामाजिक देखभाल में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों और लोक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली व प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की साझेदारी से मिलकर बड़े पैमान पर करने जा रहा है।

4.34 मनोसामाजिक देखभाल और तैयारी मॉड्यूल और आईईसी सामग्री की तैयारी

एनडीएमए ने 'मनोसामाजिक देखभाल और तैयारी मॉड्यूल और आईईसी सामग्री की तैयारी' शीर्षक से एक परियोजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य भारत में सामुदायिक स्तर पर मनोसामाजिक समर्थन के प्रावधान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सभी स्तरों पर मनोसामाजिक सहायता प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के लिए मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना है। इस तरह के प्रशिक्षण उपकरण संबंधित विभागों, क्षेत्रों और आबादी को कवर करने वाली संस्कृति, भाषा और विशिष्ट आपदा जोखिमों के प्रति व्यापक और संवेदनशील होंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) इन मॉड्यूलों की तैयारी के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बेंगलुरु के साथ साझेदारी कर रहा है। एनडीएमए कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता के लिए तकनीकी और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रहा है। निमहंस मॉड्यूल और आईईसी सामग्री के डिजाइन, विकास और मानकीकरण में शामिल तकनीकी भागीदार है। मॉडल के चार स्तर स्तर 1, (राष्ट्रीय), स्तर 2 (राज्य), स्तर 3 (जिला) और स्तर 4 (ब्लॉक) विकसित किए जा रहे हैं। मॉड्यूल वर्तमान में निमहंस और एनडीएमए द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं।

घ. हस्तक्षेप- तकनीकी

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)

क्लाउड आधारित अनुप्रयुक्त सूचना प्रणाली को विकासित करना:

4.35 कोविड-19 प्रचालन डैशबोर्ड को विकासित करना:

वर्ष 2020 में कोविड–19 की घटना के बाद एनडीएमए ने इस महामारी प्रबंधन के लिए एक

कोविड–19 डैशबोर्ड का प्रतिनिधित्व

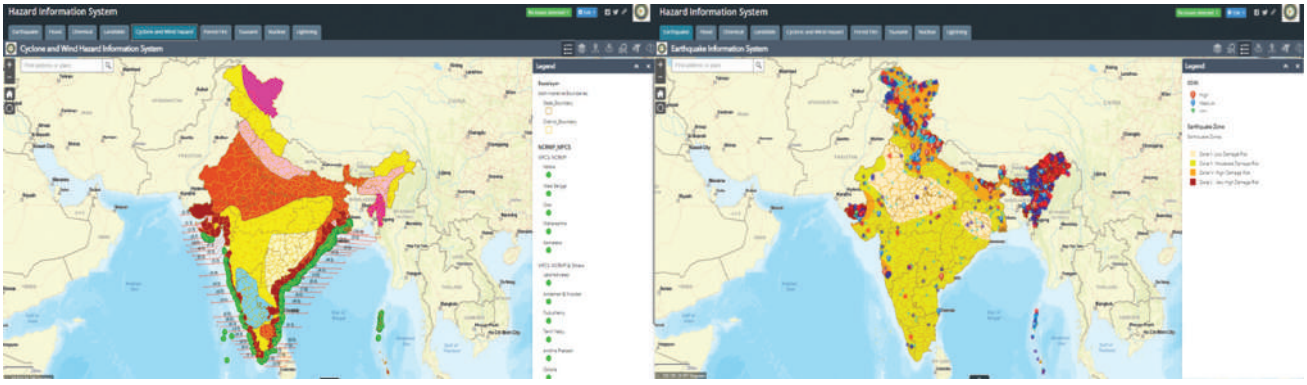

ये चित्र, खतरा सूचना प्रणाली के चक्रवात और हवा के खतरे तथा भूकंप टैब्स (अखिल भारतीय मानचित्र) का प्रतिनिधित्व करते हैं

जीआईएस पोर्टल विकसित किया है। कोविड–19 जीआईएस पोर्टल भारत में इस महामारी के बढ़ते प्रकोप का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें दैनिक स्थिति और मामलों की नियमित आवधिक अपडेट देना, सर्विलांस स्थिति, अवसंरचना की उपलब्धता, देश में त्रिस्तरीय अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और जिला पर हाटस्पॉट और राहत कैंप की जानकारी शामिल हैं। आम लोगों, एसडीएमए तथा अन्य हितधारकों को कोविड–19 मामलों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए जियो–सक्षम डैशबोर्ड विकसित किया गया। इन तीन स्तरों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का समेकन इसको पारस्परिक मंच का स्वरूप प्रदान करता है जहां डेटा और सूचनाएं अपील योग्य फार्मेट में दृष्टिगोचर होती हैं।

4.36 खतरा सूचना प्रणाली पोर्टल विकसित करना

भू–वैज्ञानिक खतरों की रोकथाम और प्रशमन हेतु इसके प्रबंधन, आंकलन और पूर्वानुमान की

ये आंकड़े खतरा सूचना प्रणाली के पोर्टल का प्रतिनिधित्व करते हैं

पद्धति विकसित की गई है। विभिन्न राज्यों से भू–वैज्ञानिक खतरों की रोकथाम संबंधी आंकड़ों का समुच्चय संकलित किया जाता है और खतरा विशिष्ट भू–डाटाबेस जैसे भूकंप, बाढ़, रासायनिक, भूस्खलन, चक्रवात और आंधी–तूफान, वनाग्नि, सुनामी, नाभिकीय और आकाशीय बिजली का खतरा संवेदनशीलता अखिल भारतीय मानचित्र के लिए ऐतिहासिक आंकड़े, बुनियादी और जनोपयोगी सेवाओं के खतरों को भी समेकित किया गया।

4.37 **आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना में जीआईएस पर हितधारकों का क्षमता निर्माण:**

दिनांक 07 जनवरी, 2022 को डीआरआर में भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी पर एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है और देश भर से 160 से अधिक पेशेवरों ने भाग लिया है।

4.38 **एनईएसएसी के सहयोग से 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस के अनुप्रयोग' पर प्रशिक्षण आयोजित करना**

एनडीएमए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग पर सभी एसडीएमए और हितधारकों/आपदा प्रबंधकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रायोजित कर रहा है। जो उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, उमियाम द्वारा आयोजित दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाया ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न राज्यों के कई प्रतिभागी शामिल हैं ताकि वे जीआईएस प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक हो सकें और वे भूगर्भीय आपदा या वैश्विक महामारी की घटना के समय निर्णय लेने में इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। वर्ष 2021–2022 में आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी एसडीएमए, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से 250 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है।

4.39 **आईआईआरएस के सहयोग से 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस के अनुप्रयोग' पर प्रशिक्षण आयोजित करना**

एनडीएमए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग पर सभी एसडीएमए और हितधारकों/आपदा प्रबंधकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले एनईएसएसी प्रस्तुतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व

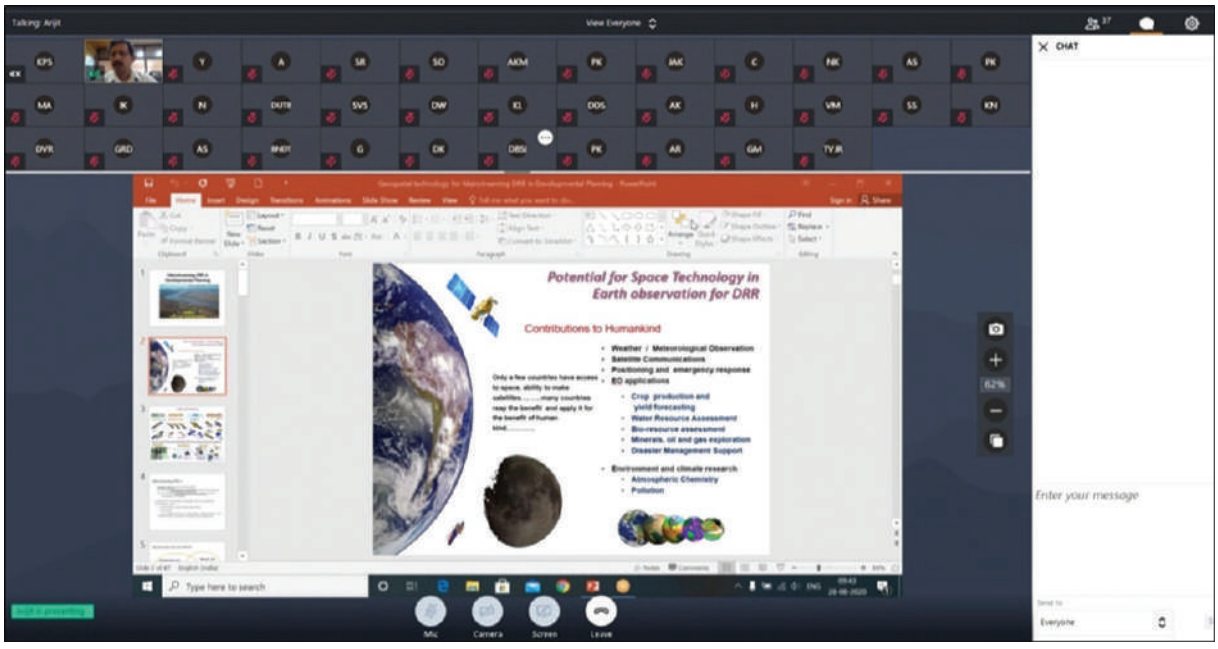

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले आईआईआरएस देहरादून प्रस्तुतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए

आयोजित करने के लिए प्रायोजित कर रहा है। जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून द्वारा संचालित पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाया ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न राज्यों के कई प्रतिभागी शामिल हैं ताकि वे जीआईएस प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक हो सकें और वे भूगर्भीय आपदा या वैश्विक महामारी की घटना के समय निर्णय लेने में इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी एसडीएमए, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से 250 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है।

अध्याय 5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीकों पर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) आदि शामिल हैं। साथ ही, इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों का आबंटन से संबंधित समाधान किए जाते हैं।

5.2 क्षमता विकास के दृष्टिकोण में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधताओं और बहु–संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी आर आर) प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य–निष्पादन के रेकॉर्ड वाले ज्ञान–आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुकरणों (सिमुलेशंस), कृत्रिम अभ्यासों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

आपदा मित्र योजना को बढ़ाना

5.3 प्रायोगिक योजना की सफलता के साथ–साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशंसा और अनुरोध के आधार पर, एनडीएमए 369.40 करोड़ रुपए की कुल लागत से बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और भूकंप प्रवण 350 चुनिंदा अतिसंवेदनशील जिलों में मार्च 2023 तक 1,00,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए आपदा मित्र योजना को आगे बढ़ाने की योजना शुरू कर रही है।

5.4 इस योजना को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की तैयारी और क्षमता निर्माण निधि खिड़की से वित्तपोषित किया जा रहा है।

5.5 सभी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को मृत्यु/स्थायी अपंगता/अस्पताल में भर्ती होने के बीमा सहित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया किट (ईआरके) प्रदान की जाएगी। सभी 350 जिलों में, एक आपातकालीन आवश्यक संसाधन रिजर्व (ईईआरआर) वितरित किया जाएगा।

5.6 28 सितंबर, 2021 को एनडीएमए के 17वें स्थापना

दिवस के दौरान माननीय गृह मंत्री द्वारा आपदा मित्र के लिए योजना दस्तावेज और पुस्तिका विमोचन करके इस योजना को औपचारिक रूप से जारी किया गया है।

वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
1. तेलंगाना और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एनडीएमए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2. 3032 स्वयंसेवकों को असम (201), बिहार (299), गुजरात (2112), और उत्तर प्रदेश (420) में प्रशिक्षित किया गया है। मणिपुर, सिक्किम और उत्तराखंड में प्रशिक्षण चल रहा है।	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्रावधानित 221.40 करोड़ रुपए की कुल राशि में से परियोजना के तहत 205.72 करोड़ रु. खर्च किया गया है। व्यय में 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहली किस्त (10:), 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी किस्त (50:) और एनडीएमए में रखे गए पीएमयू कर्मचारियों का वेतन शामिल है।

5.7 श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ दो समीक्षा बैठकें (अक्टूबर, 2021 में पहली और फरवरी, 2022 में दूसरी) आयोजित की गई थी, एनडीएमए द्वारा योजना के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

सीडीएम एलबीएसएनएए में आपदा प्रबंधन में आईएएस और केंद्रीय सेवा अधिकारियों का क्षमता निर्माण

5.8 एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के साथ फरवरी, 2022 में सीडीएम, एलबीएसएनएए, मसूरी में प्रति वर्ष 950 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पांच साल (2021–22 से 2025–26) के लिए 3.75 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय में आपदा प्रबंधन में आईएएस/केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

परियोजना का उद्देश्य सरकार के विभिन्न कार्यकारी और नीति निर्माण स्तरों पर आपदा प्रबंधन की मौजूदा प्रणालियों के प्रति संवेदनशील बनाना है; केस अध्ययन करने; और आपदा प्रबंधन पर ज्ञान भंडार विकसित करने के लिए है।

भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
489 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया	23.04 लाख रु.

स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए संयुक्त निगरानी समिति की बैठक

5.9 12वीं संयुक्त निगरानी समिति की बैठक 31 अगस्त, 2021 को स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। समग्र त्रैमासिक प्रगति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा की गई थी। बैठक में, एनडीएमए ने छात्रों और शिक्षकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा (फास्ट) मॉड्यूल पर एक प्रस्तुति दी। फास्ट ऐप छात्रों, शिक्षकों और सभी संबंधित हितधारकों के लाभ के लिए गूगल प्ले स्टोर (एंडराइड) और एप्पल स्टोर (आईओएस) पर उपलब्ध है।

लोक प्रशासन, आईआईपीए, नई दिल्ली में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ वार्ता

5.10 केंद्र सरकार के 40 वरिष्ठ अधिकारियों (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों) और एनडीएमए के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 14 मार्च, 2022 को

एनडीएमए भवन, नई दिल्ली में एक संवादात्मक बैठक आयोजित की गई थी।

5.11 इस वार्ता का उद्देश्य प्रतिभागियों द्वारा भारत में आपदा प्रबंधन की बेहतर समझ बनाना है। एनडीएमए के अधिकारियों ने बेहतर प्रशासन के लिए सभी हितधारकों के साथ कौशल और सुचारु समन्वय बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि साझा की और एनडीएमए तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

गैर-सरकारी संगठनों/सीबीओ/सीएसओ के साथ समन्वय बैठकें

5.12 एनडीएमए ने जमीनी स्तर से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और कोविड–19 की तैयारी/प्रबंधन में एनजीओ/सीबीओ/सीएसओ की संभावित भूमिका को समझने के लिए चुनिंदा गैर–सरकारी संगठनों और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बैठकों की श्रृंखला आयोजित की। वित्त वर्ष 2021–22 में 13 समन्वय बैठकें आयोजित की गईं।

5.13 बैठकों के दौरान, कोविड–19 प्रबंधन में एक समन्वित और ठोस प्रयास सुनिश्चित करने के लिए एक गैर–सरकारी संगठन समन्वय केंद्र स्थापित करने और राज्य एवं जिला स्तर पर पूर्णकालिक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसरण में, 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 240 जिलों ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके अपने–अपने राज्य/जिला स्तर के एनजीओ समन्वय केंद्र स्थापित किए हैं।

5.14 इन बैठकों के दौरान उभरी प्रमुख बातों को महामारी के प्रशमन के लिए विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा किया गया।

की गई विदेश यात्रा/दौरे

5.15 श्री कमल किशोर, सदस्य और सचिव – प्रभारी, एनडीएमए ने 1 से 9 नवंबर, 2021 तक पार्टियों (सीओपी–26) के सम्मेलन के 26वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया।

5.16 श्री कुणाल सत्यार्थी, संयुक्त सचिव (नीति और योजना), एनडीएमए ने 1 से 7 नवंबर, 2021 तक पार्टियों (सीओपी–26) के सम्मेलन के 26वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया।

5.17 आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली

क) <u>केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 15 जून, 2021 को सम्मेलन कक्ष संख्या-119, गृह मंत्रलय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में बाढ़ की तैयारियों के उपायों की समीक्षा बैठक की गई</u>

- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने 15.06.2021 को एक बैठक की और देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के उपायों और देश की बारहमासी बाढ़ की समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यापक और अतिव्यापी नीति के लिए दीर्घकालिक उपायों के गठन की समीक्षा की। बैठक के दौरान, माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि विभिन्न मीडिया पर चेतावनी के प्रसार के लिए आकाशीय बिजली की चेतावनी पर एक एसओपी जारी की जाए।
- दिशानिर्देश का पालन करते हुए एनडीएमए ने 'आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली पर पूर्व चेतावनी प्रसार के लिए एक प्रोटोकॉल' विकसित

करने के लिए विशेषज्ञ सदस्यों की एक छोटी टीम का गठन किया, और विशेषज्ञ सदस्यों की पहली बैठक 22.06.2021 को आयोजित की गई थी। टीम ने प्रोटोकॉल विकसित किया और एनडीएमए को सौंप दिया गया। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली पर पूर्व चेतावनी प्रसार के प्रोटोकॉल को एनडीएमए वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। प्रोटोकॉल की एक प्रति जानकारी के लिए डीएम डिवीजन, एमएचए के साथ भी साझा की गई थी।

ख) **<u>भारतीय आकाशीय बिजली संरक्षण संघ के साथ बैठक</u>**

एनडीएमए ने आकाशीय बिजली संरक्षण की प्रभावशीलता के लिए ईएसई आकाशीय बिजली पकड़क (लाइटनिंग अरेस्टर्स) की प्रासंगिकता को समझने के लिए 11.06.2021 को भारतीय आकाशीय बिजली संरक्षण संघ (एलपीएआई) के साथ एक बैठक बुलाई। आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली पर विशेषज्ञ समूह के सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया।

ग) **<u>आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली की तैयारी पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक</u>**

सदस्य सचिव, एनडीएमए की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2021 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली एवं बाढ़ पर तैयारियों और प्रशमन उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

घ) **<u>आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली पर सलाह और क्या करें तथा क्या न करें:</u>**

एनडीएमए ने पत्र दिनांक 08.06.2021 के माध्यम से व्यापक प्रसार के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली पर सलाह तथा क्या करें एवं क्या न करें, को अग्रेषित किया है।

ड) **<u>आकाशीय बिजली की रोकथाम और प्रशमन पर व्यापक रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक</u>**

एनडीएमए ने सदस्य सचिव की अध्यक्षता में 03.08.2021 को एक बैठक की और आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली की रोकथाम तथा प्रशमन के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की।

च) **<u>देश में आकाशीय बिजली के गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए की जाने वाली विभिन्न उपायों की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए बैठक-संबंधी</u>**

- केंद्रीय गृह सचिव ने 29.09.2021 को एक बैठक की और देश में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की। बैठक के दौरान सदस्य (केएसवी) ने 'भारत में आकाशीय बिजली के कारण होने वाली मौतें: रोकथाम और प्रशमन' पर एक प्रस्तुति दी।

- गृह सचिव की बैठक के विचार–विमर्श के बाद 24.03.2022 को आईएमडी, आईआईटीएम और सबसे संवेदनशील राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सदस्य (केएसवी) की अध्यक्षता में एक वेबिनार आयोजित किया गया था और देश में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए की जाने वाली विभिन्न उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की। बैठक के

दौरान, आईएमडी और आईआईटीएम ने अपनी स्थिति और आकाशीय बिजली के प्रभाव को रोकने के लिए आगे की योजना प्रस्तुत किया। एनडीएमए ने आकाशीय बिजली से सबसे अधिक प्रभावित जिलों को प्रस्तुत किया। साथ ही आकाशीय बिजली कार्यक्रम में शामिल करने के लिए सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) पर भी चर्चा की गई थी। बैठक में भाग लेने वाले राज्यों ने मौतों के प्रभाव और नुकसान को कम करने के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रस्तुत किया गया।

5.18 कार्य योजना – शीत लहर और पाला 2021 की रोकथाम और प्रबंधन की तैयारी के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश

- हाल के वर्षों में, उत्तर से उप–महाद्वीप में शुष्क, ठंडी हवाओं के आगमन के साथ अत्यधिक निम्न तापमान की घटनाएं होती हैं, जिन्हें शीत लहर कहते हैं, जिससे असुविधा, बीमारियों और यहां तक कि जीवन की हानि भी होती है। शीत लहर के प्रभाव को देखते हुए एनडीएमए ने दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है।

- एनडीएमए ने 9 चरणों की प्रक्रिया का पालन किया और 'कार्य योजना – शीत लहर और पाला 2021 की रोकथाम और प्रबंधन की तैयारी के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश' तैयार किया। दिशानिर्देशों का उद्देश्य शीत लहर के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर शीत लहर कार्य योजना (सीडब्ल्यूएपी) विकसित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करना है। दिशानिर्देश को एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। दिशा–निर्देशों को संबंधित हितधारकों को परिचालित किया गया है। दिशानिर्देश एनडीएमए की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं।

- एनडीएमए ने 29.11.2021 के पत्र के माध्यम से शीत लहर और पाला पर सलाह तथा क्या करें और क्या न करें पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित किया और शीत लहर से संबंधित प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए जनता एवं सभी हितधारकों के बीच आवश्यक तैयारी, प्रशमन उपायों और जागरूकता सृजन पैदा करने की गतिविधियों को पूरा करने का अनुरोध किया तथा सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरूकता पैदा करने का भी अनुरोध किया।

- 08.12.2021 को सचिव (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों और शीत लहर प्रवण राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक वेबिनार आयोजित किया गया और शीत लहर के मौसम 2021–22 के लिए तैयारियों और प्रशमन उपायों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सभी राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे 2021–22 के मौसम में शीत लहर से शून्य मौतों का लक्ष्य रखें और शीत लहर के लिए आश्रयों के उचित प्रावधान के प्रयासों को लक्षित किया जाना चाहिए।

5.19 आपदा प्रबंधन में यूएवी/ड्रोन की भूमिका पर व्यापक अध्ययन करने का प्रस्तावः

एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन में यूएवी/ड्रोन की भूमिका पर व्यापक अध्ययन करने का प्रस्ताव शुरू किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (सीएएसआर), अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई को व्यापक अध्ययन करने का काम सौंपा गया है और 1 मार्च, 2021 को परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12.05.2021 के द्वारा व्यापक अध्ययन पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

स्थापना रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 27.05.2021 को श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में सीएएसआर के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। सीएएसआर ने क्रमशः दिनांक 31.05.2021 और 31.07.2021 के पत्रों के माध्यम से अंतरिम रिपोर्ट–1 और अंतरिम रिपोर्ट–2 को अग्रेषित किया है। तदनुसार, विशेषज्ञ समिति की बैठकें क्रमशः दिनांक 23.08.2021 और 18.11.2021 को अंतरिम रिपोर्ट–1 और अंतरिम रिपोर्ट–2 पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई।

इसके अलावा, सीएएसआर ने 30.09.2021 और 31.12.2021 को 'आपदा प्रबंधन में यूएवी/ड्रोन की भूमिका' पर किए गए अध्ययन पर एक मसौदा अंतिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट अग्रेषित की है। सीएएसआर द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की टिप्पणियां/सुझाव को सीएएसआर को अग्रेषित किया गया। सीएएसआर से संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, संयुक्त सचिव (पीपी) द्वारा सीएएसआर टीम के साथ 09 मार्च, 2022 को चेन्नई में एक अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई थी।

5.20 पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण निधि के लिए दिशानिर्देशः

15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि एनडीएमए, गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत ''पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए दिशानिर्देश'' खिड़की तैयार करेगा। तदनुसार, एनडीएमए ने प्रक्रिया शुरू की और केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ–साथ स्वतंत्र विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया।

(i) प्रक्रिया के दौरान एनडीएमए ने पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश के मसौदे के घटकों पर चर्चा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ बैठकें कीं।

(ii) **राज्यों के साथ बैठक**

श्री कृष्ण एस वत्स, सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में संबंधित राज्य सरकारों के साथ 15.02.2021 और 10.03.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के मसौदे पर चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित की गईं।

(iii) **विशेषज्ञों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ बैठक**

श्री कृष्ण एस वत्स, सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 16.02.2021 को विशेषज्ञों/गैर सरकारी संगठनों के साथ भी बैठकें आयोजित की गईं।

एनडीआरएफ/एसडीआरएफ सहायता के तहत 'पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण पर दिशानिर्देश' के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए 07.01.2022 को सचिव (आई/सी), एनडीएमए की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, अन्य के साथ–साथ, सभी मंत्रालयों और विभागों और राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे सहायता के मदों के मानदंडों पर अपने विचार/सुझाव साझा करें।

5.21 तटीय और नदी कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास पर नीति का निर्माण

- 15वें वित्त आयोग ने तटीय और नदी कटाव को रोकने और तटीय और नदी कटाव से

प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रशमन उपायों के लिए विशिष्ट सिफारिशें की हैं। तटीय और नदी कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए निधि संचालित करने के लिए, आयोग ने सिफारिश की कि तटीय और नदी कटाव के कारण लोगों के व्यापक विस्थापन से निपटने के लिए दोनों केंद्र और राज्य सरकार एक नीति विकसित करें।

- नदी और तटीय कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए नीति तैयार करने की पृष्ठभूमि को समझने के लिए एनडीएमए ने 13.04.2021 को तटीय और नदी कटाव पर काम कर रहे गैर–सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया।

- तटीय कटाव के प्रति संवेदनशील राज्यों और तटीय कटाव से जुड़े गैर–सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों के साथ दिनांक 10.08.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा, नदी कटाव के प्रति संवेदनशील राज्यों और नदी कटाव से जुड़े गैर–सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों के साथ 18.08.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। एनडीएमए नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

- जमीनी स्तर की धारणाओं, मुद्दों और चुनौतियों को समझने के लिए जो लोग अनुभव कर रहे हैं एनडीएमए ने तटीय और नदी कटाव की संभावना वाले राज्यों के विशेष जिलों के चयनित गांवों में स्थानीय संगठनों के माध्यम से एक घरेलू सर्वेक्षण शुरू किया है।

एनडीएमए ने घरेलू सर्वेक्षण करने के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में 8 संगठनों (तटीय कटाव और नदी कटाव के लिए प्रत्येक 4 संगठन) के साथ एक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

5.22 अंतरराष्ट्रीय सहयोगः

आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-जर्मन वर्चुअल बैठक

5.23 5 अक्टूबर, 2015 को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और जर्मनी के संघीय गणराज्य के अंतरिक मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित उद्देश्य की संयुक्त घोषणा के अनुसरण में, एक इंडो–जर्मन वर्चुअल बैठक 2 जून, 2021 को आपातकालीन प्रबंधन पर (i) अग्निशमन, (ii) आपदा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और (iii) शहरी खोज और बचाव पर सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिए आयोजित की गई थी।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर ब्रिक्स संयुक्त कार्यबल की तीसरी बैठक

5.24 एनडीएमए ने वर्चुअल रूप से 16 अप्रैल, 2021 को श्री संजीव कुमार, सदस्य सचिव, एनडीएमए, भारत सरकार की अध्यक्षता में आपदा जोखिम प्रबंधन पर ब्रिक्स संयुक्त कार्य बल की तीसरी बैठक आयोजित की। बैठक में ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने भाग लिया। बैठक के दौरान तीन विषयों– बहु–खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबधन में स्वयंसेवा की भवना और आपदा समुत्थानशील अवसंरचना पर चर्चा की गई।

5.25 सदस्य देशों ने बैठक के परिणामों पर संतोष व्यक्त किया और ब्रिक्स देशों के भीतर डीआरएम पर सहयोग को और बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

इटली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

5.26 24 जून, 2021 को आयोजित वर्चुअल एमओयू हस्ताक्षर समारोह के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एनडीएमए, भारत सरकार और इटली गणराज्य के मंत्रिपरिषद के नागरिक सुरक्षा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत में आपदा जोखिम शासन रूपरेखा को मजबूत करने पर अध्ययनः वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना

5.27 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के एक भाग के रूप में एनडीएमए ने भारत–जापान प्रयोगशाला, कीयो विश्वविद्यालय, जापान सामाजिक और पर्यावरण संक्रमण संस्थान – अंतर्राष्ट्रीय (आईएसईटी), संयुक्त राज्य अमेरिका; और रेजिलिएंस इनोवेशन नॉलेज एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 'भारत में आपदा जोखिम शासन रूपरेखा को मजबूत करनाः वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना' विषय पर एक अध्ययन किया, जो आठ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूदा डीआरएम शासन संरचनाओं (और इसके अच्छे अभ्यासों) को समझने के लिए, जो भारतीय संदर्भ में अपनाया जा सकता है।

अध्याय 6

कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन

'याद रखें: जब आपदा आती है, तब तैयारी करने का समय निकल चुका होता है।'
'जब तक आप बेहतर स्थिति के लिए तैयार हैं तब तक सर्वश्रेष्ठ की आशा करने में काई बुराई नहीं है'

प्रस्तावना

6.1. भारत कई प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है– और घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) किसी भी खतरे या आपदा की स्थिति की प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त तंत्र के रूप में निर्धारित है। यद्यपि कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आईआरएस को अधिसूचित किया है और अन्य इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, केवल आईआरएस की अधिसूचित करने और घटना मोचन टीमों (आईआरटीएस) के गठन से कुशल और प्रभावी प्रतिक्रिया की अगुवाई नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में एकीकृत कृत्रिम अभ्यास काम आता है। ये भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्तरों पर जन–शक्ति और उपकरण के साथ जमीनी स्तर पर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक कृत्रिम अभ्यास राज्य और जिलों के प्राथमिक खतरे के प्रकोप पर आधारित है और बहु आपदा घटनाओं के लिए गए सुसंगत, जमीनी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, जो कि प्राथमिक खतरे के प्रकोप के प्रकट होने की संभावना है।

एकीकृत कृत्रिम अभ्यास

6.2 कृत्रिम अभ्यास के उद्देश्यों में शामिल हैं (i) आईआरएस–आईआरटी निर्माण के साथ प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरुकता प्रदान करना जो आपदा जोखिम प्रबंधन का समर्थन और इसमें सुधार करती है; (ii) राज्य और जिलों के साथ–साथ प्रत्येक विभाग की आपदा प्रबंधन (डीएम) योजनाओं की समीक्षा; (iii) आईआरएस के अनुसार आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न नियुक्तियों/हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को चिह्नांकित करना; (iv) जिला स्तर पर आपातकालीन सहायता कार्यों के बीच समन्वय बढ़ाना; और (v) संसाधनों, जन–शक्ति, संचार, प्रतिक्रिय क्षमताओं आदि में अंतर, यदि कोई हो, की पहचान करना। कामिकों के त्वरित आवागमन के चलते, उर्पयुक्त सभी कार्रवाई नए कार्मिकों और स्टॉक को औपचारिक रूप से तैयार करने में सहायक है।

6.3 एकीकृत कृत्रिम अभ्यास एक मजबूत प्रक्रिया का हिस्सा है, जो प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कैलेंडर के निर्माण के साथ शुरू होती है और निम्नलिखित क्रम में आयोजित की जाती है:–

चरण	कार्यक्रम	प्रतिभागी
चरण– I	• एनडीएमए समन्वयक द्वारा घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) और संबद्ध पहलुओं में प्रशिक्षण: o भाग–I: आपदा प्रबंधन के महत्व की पुनरावृत्ति: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत् विकास में इसका संबंध; भारत की त्रि–स्तरीय संस्थागत आपदा प्रतिक्रिया तंत्र, आपदाओं के अनौपचारिक वर्गीकरण (एल 1, एल 2 और एल 3) में इसका जुड़ाव; और कैसे ये तंत्र, वर्गीकरण और सहकारी कार्य संबंध विभिन्न स्तरों के प्रतिक्रिया बलों/मोचकों (जिला, राज्य और केंद्र) को एक साथ कार्य करने की अनुमति देते हैं।	• जिला स्तर: वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों और अन्य हितधारक

	o भाग–II: आईआरएस पर प्रशिक्षण में शामिल है कि किस प्रकार: ➢ आईआरटी का गठन करें। ➢ प्रतिक्रिया के लिए एक घटना कार्रवाई योजना बनाएं। ➢ प्रतिक्रिया, राहत और पुनरुद्धार कार्यों के लिए आरंभिक दल/कार्य बल/समूह की संरचना करें। o भाग–III: आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का लाभ कैसे उठाएं। इसमें शामिल हैं कि कैसे: ➢ संसाधन मानचित्र तैयार करें। ➢ स्थितिजन्य/क्षेत्र जागरूकता का निर्माण करें। ➢ भू–स्थानिक संसाधनों का लाभ उठाएं। ➢ खतरा विशिष्ट डेटा, हानि मूल्यांकन डेटा और कोर डेटा में तालमेल स्थापित करना। • अभिविन्यास और समन्वय सम्मेलन: आसन्न कृत्रिम अभ्यास के लिए आवश्यक विस्तृत तौर–तरीके और तैयारियों पर चर्चा की जाती है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।	• राज्य स्तर: वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग में भौतिक उपस्थिति के माध्यम से अधिकारियों और अन्य हितधारक
चरण–II	टेबल–टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) – एनडीएमए समन्वयक द्वारा आयोजित	
चरण–III	कृत्रिम अभ्यास (एमई) – संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/सचिव, (आपदा प्रबंधन) के समग्र मार्गदर्शन के तहत एनडीएमए समन्वयक द्वारा आयोजित।	कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों के चार्टर के अनुसार सभी स्तरों पर भौतिक आयोजन/भागीदारी
चरण–IV	• एनडीएमए समन्वयक द्वारा एनडीएमए को की कार्रवाई के बाद की रिपोर्ट • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एनडीएमए को अंतिम रिपोर्ट • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जहां आवश्यक हो, अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी 'सीखे गए सबक' और 'सर्वोत्तम अभ्यास' की सूचना	संयुक्त रूप से एनडीएमए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

6.4 आपदा प्रबंधन की पहलों जिन पर चरण–I के प्रशिक्षण के दौरान जोर दिया गया और चरण–II और III में अभ्यास किया गया है, को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

(क) प्रत्येक स्तर पर आईआरएस के घटना मोचन टीमों (आईआरटी) की संरचना और आईआरटी नियुक्तियों की भूमिका कैसे तय करें।

(ख) वार्धिक कदमों जिसमें आपदा के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है और एक सुसंगत प्रतिक्रिया दी जाती है, जिसमें घटना कार्य योजना की तैयारी भी शामिल है।

(ग) विभिन्न आईआरएस सुविधाओं की संरचना और काम–काज।

(घ) विभिन्न प्रतिक्रिया और पुनरुद्धार कार्यों के लिए आरंभिक दल/कार्य बल/समूहों की व्यवस्था प्रस्तावित।

(ड.) आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए एक विश्वसनीय, सुरक्षित संचार संरचना का निर्माण कैसे करें। इसमें शामिल है: किसी आपदा की स्थिति के दौरान पुलिस रेडियो नेटवर्क का उपयोग कैसे किया जाए।

(च) तीन महत्वपूर्ण तत्वों जो किसी आपदा के आने

पर त्वरित, विश्वसनीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे:

i. एक आपदा प्रतिरोधी आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी); इसके घटक, उपकरण और प्रोटोकॉल सहित कार्य करना।

ii. किसी आपदा के तत्काल बाद में 'स्थिति जागरुकता' का महत्व और इसे प्राप्त करने का साधन।

iii. सामान्य/पूर्व–आपदा अवधि के दौरान 'संसाधन मानचित्र' और किसी आपदा के दौरान मोचकों की स्थिति सहित संसाधन जागरुकता प्राप्त करने के साधन।

(छ) प्राकृतिक खतरे की निगरानी के लिए राष्ट्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली (एनईडब्ल्यूएस); इसमें शामिल एजेंसियों और उनके द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल; और प्रत्येक द्वारा दी गई जानकारी; और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए इस जानकारी का लाभ कैसे उठाया जाए।

(ज) भुवन, आपातकालीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीईएम) और भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) जैसे पोर्टलों का लाभ कैसे उठाया जाए।

(झ) जीआईएस प्लेटफॉर्म का महत्व और उपयोग।

6.5 इस प्रकार एकीकृत कृत्रिम अभ्यास आईआरएस–आईआरटी निर्माण के बारे में जागरुकता पैदा करने और किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता निर्माण के लिए एक इष्टम, लागत प्रभावी साधन प्रदान करते है। इसके लिए एनडीएमए के प्रचालन प्रभाग बहु–राज्य, राज्य और विशेष मामलों में जिला स्तर पर भी एकीकृत कृत्रिम अभ्यास का संचालन कर रहा है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्पष्ट अनुरोध पर आईआरएस पर स्टेंड अलोन (अकेले चल सकने योग्य) प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

कोविड-19 महामारी और कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम को नई दिशा

6.6 एकीकृत कृत्रिम अभ्यास प्रक्रिया (उपरोक्त पैरा 6.3 संदर्भित) के चरण–III में बड़ी संख्या में अधिकारियों, अन्य हितधारकों और समुदाय/जनता की भौतिक उपस्थिति और भागीदारी की आवश्यकता होती है। मार्च, 2020 को कोविड–19 के प्रकोप के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि लोगों के भौतिक सभा से बचना होगा। इसलिए अनुशंसित सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, एनडीएमए ने सक्रिय रूप से एक छोटा लेकिन व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल है:

(क) राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), चिकित्सा योजना और प्राथमिक खतरे के प्रकोप के प्रबंधन के लिए इसकी तैयारी की समीक्षा।

(ख) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्राथमिक खतरे पर चेतावनी एजेंसियों अर्थात् आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, एनसीएस, आईएनसीओआईएस (जो भी लागू हो) द्वारा प्रस्तुतीकरण।

(ग) खतरे के उत्पन्न होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सहायता करने के लिए लाइन विभाग/अन्य हितधारकों और एनडीआरएफ द्वारा उनकी तैयारियों पर एक प्रस्तुति।

(घ) कृत्रिम अभ्यास प्रक्रिया के चरण I और II अर्थात आईआरएस पर संक्षिप्त प्रशिक्षण और एक टेबल–टॉप आभ्यास का संचालन।

आयोजन विधि:

6.7 यह ऑनलाइन प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाता है जिसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, जिला प्राधिकारियों, लाइन विभाग, प्रथम मोचक जैसे एसडीआरएफ, पुलिस,

एफ एंड ईएस, सामुदायिक स्वयंसेवक, एनजीओ और केंद्रीय एजेंसियां जैसे, पूर्व–चेतावनी एजेंसी, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ शामिल होते हैं। वैश्विक महामारी की स्थिति सामान्य होने के बाद मार्च 2022 में वास्तविक कृत्रिम अभ्यास आयोजित करने की अनुशंसा की गई थी और ईक्यू परिदृश्य संबंधी ऐसा अभ्यास सिक्किम में आयोजित किया गया था।

वर्ष 2021-2022 की अवधि में ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण तथा टेबल टॉप अभ्यास

6.8 यह ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण एवं टेबल टॉप अभ्यास का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के क्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श किए गए थे और तद्नुरूप कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। प्रशिक्षण वर्ष अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि में एनडीएमए ने इस प्रकार के 19 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए तथा 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दो वास्तविक कृत्रिम अभ्यास का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के प्रमुख विववरण निम्नलिखित हैं :–

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
05/06 अप्रैल 2021	**राज्य :** उत्तराखंड **परिदृश्य :** महाकुंभ मेला–2021 का प्रबंधन **कार्यक्रम :** हरिद्वार में महाकुंभ मेला–2021 के प्रबंधन के लिए वास्तविक टेबल टॉप और कृत्रिम अभ्यास	इसका उद्देश्य वृहद तीर्थयात्रा के प्रबंधन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और एनडीआरएफ, सीएपीएफ, सशस्त्र बलों, प्रथम मोचकों/घटकों को प्रशिक्षित करना और तैयार करना तथा करोड़ों भक्तों के बड़ी तादाद में सामूहिक जुटान के ऐसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के दौरान किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण अनहोनी घटना से निपटने के लिए था। कृत्रिम अभ्यास संसाधन व्यक्ति, एनडीएमए और संयुक्त सलाहकार (प्रचालन) के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव (डीएम) एवं राहत आयुक्त, उत्तराखंड सरकार, मेला अधिकारी, आईजी, पुलिस और कलक्टर हरिद्वार, शामिल हुए थे। इसमें राज्य/ जिला आईआरटी के अधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग, सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि, सीएपीएफ, एनएसजी और एनडीआरएफ के साथ अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
16 जुलाई, 2021	**राज्य :** उत्तर प्रदेश **परिदृश्य :** बाढ़ **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और 40 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास	बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिनका सामना उत्तर प्रदेश राज्य समय–समय पर करता है। इसलिए, बाढ़ से ठीक पहले ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण तथा टीटीएक्स अभ्यास आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त रूप से ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और ले. जनरल आर पी साही (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष, यूपी एसडीएमए ने की और इसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस) द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव (डीएम) एवं राहत आयुक्त, यूपी सरकार, राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया टीम (आईआरटी) के विशिष्ट अधिकारीगण, एसडीएमए तथा डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ एवं एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
02 सितंबर, 2021	**राज्य :** तमिलनाडु **परिदृश्य :** बाढ़ **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और 16 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास	बाढ़ उन खतरों में से एक है जिनका सामना तमिलनाडु समय–समय पर करता है। इसलिए बाढ़ से ठीक पहले ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण तथा टीटी अभ्यास आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) सदस्य, एनडीएमए ने की और इसका अयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस) द्वारा किया गया। अपर मुख्य सचिव/राजस्व आयुक्त, तमिलनाडु सरकार, राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया टीम (आईआरटी) के विशिष्ट अधिकारीगण, एसडीएमए तथा डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसी/सीडब्ल्यूसी, शस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
30 सितंबर 2021	**राज्य :** गुजरात **परिदृश्य :** रासायनिक (औद्योगिक) आपदा **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय एवं 07 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	गुजरात देश के सबसे अधिक औद्योगीकृत राज्यों में से एक है और फार्मा, रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योगों का केंद्र है। उद्योगों के बसे हुए क्षेत्रों के निकट होने के कारण, औद्योगिक–रासायनिक आपदाओं का जोखिम बढ़ गया है। इसलिए, राज्य के लिए आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास का ऑनलाइन आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए ने की तथा इसका आयोजन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। अपर मुख्य सचिव/राहत आयुक्त, गुजरात सरकार, राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया टीम के विशिष्ट अधिकारीगण, एसडीएमए एवं डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग, डीजी, एफएएसएलआई, सीपीसीबी, एसपीसीबी, कारखाना/उद्योग विभाग, मुख्य दुर्घटना खतरा (एमएएच) इकाई और सशस्त्र बल के प्रतिनिधि, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
21 अक्तूबर 2021	**राज्य :** हिमाचल प्रदेश **परिदृश्य :** हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय एवं 12 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	जलवायु परिवर्तन से प्रेरित खतरा और आपदा के रूप में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की घटनाएं प्रमुखता से उभर रही है। हिमाचल प्रदेश में 1239 हिमनद और 212 हिमनद झील हैं। इसलिए हिमनद झीलों या जीओएलएफ के विस्फोट के कारण अचानक बाढ़ आने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में तैयारियों को बढ़ाने के लिए, जीएलओएफ की पृष्ठभूमि में एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। यह एनडीएमए या किसी अन्य एजेंसी द्वारा जीएलओएफ पर आयोजित किया गया पहला अभ्यास था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और इसका आयोजन सलाहकार (एमई और आईआरएस) एनडीएमए द्वारा किया गया। प्रधान सचिव (राजस्व/डीएम) हिमाचल प्रदेश सरकार, आईआईटी रुड़की, हिमकोस्टे तथा राज्य/ जिला घटना प्रतिक्रिया टीम(आईआरटी) के विशिष्ट अधिकारीगण, एसडीएमए और डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग एवं ईडब्ल्यू एजेंसी/आईएमडी के प्रतिनिधि, डीजीआई, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
03 नवंबर, 2021	**राज्य :** मिजोरम **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय एवं 11 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	भूकंपीय जोन IV में अवस्थित मिजोरम में दो अपूर्णता हैं। एनडीएमए द्वारा जिला स्तर तक के अधिकारियों और हितधारकों के लिए आईआरएस पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण, उसके बाद 8.5 तीव्रता के भूकंप के परिदृश्य को दर्शाने वाला एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और मुख्य सचिव, मिजोरम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई तथा कार्यक्रम का आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस) एनडीएमए द्वारा किया गया है। सचिव (गृह एवं डीएम) मिजोरम सरकार, राज्य/ जिला घटना प्रतिक्रिया टीम (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण, एसडीएमए एवं डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और एनसीएस के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ एवं एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
26 नवंबर, 2021	**राज्य :** गोवा **परिदृश्य :** चक्रवात **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय एवं 02 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	गोवा हालांकि अब तक किसी भी बड़ी आपदा से प्रभावित नहीं हुआ है, फिर भी बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, खनन खतरों और समुद्री कटाव, आग, औद्योगिक दुर्घटनाओं आदि जैसे खतरों/आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। गोवा एक छोटा–सा राज्य है जिसमें केवल 02 जिले हैं अर्थात उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति संवेदनशील तटीय राज्य होने के कारण, चक्रवात परिदृश्य पर एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण एवं टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की तथा इसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), गोवा सरकार, राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया टीम (आईआरटी) के विशिष्ट अधिकारीगण, एसडीएमए तथा डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू/आईएमडी के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
03 दिसंबर, 2021	**राज्य :** त्रिपुरा **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय एवं 08 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	त्रिपुरा राज्य भूकंपीय क्षेत्र V में अवस्थित है। इसके अलावा, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भूकंप का इतिहास रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में/इसके आसपास तीन एनडीआरएफ बटालियन तैनात हैं। इस क्षेत्र में बड़े भूकंप की स्थिति में इन बटालियनों के संसाधनों को प्रभावित राज्यों में बांटना होगा। इसलिए, एनडीआरएफ की प्रतिस्पर्धी मांगों को ध्यान में रखकर, और त्रिपुरा की कनेक्टीविटी को देखते हुए, यह जरूरी है कि त्रिपुरा राज्य आईआरएस–आईआरटी का उपयोग करके सुनहरे घंटों में त्वरित आंतरिक प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार हो। इसलिए राज्य के लिए ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिलांग की 1897 के 8.7 तीव्रता वाले भूकंप का अनुकरण किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और इसका आयोजन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। सचिव (राजस्व/डीएम) त्रिपुरा सरकार, राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया टीम (आईआरटी) के विशिष्ट अधिकारीगण, एसडीएमए और डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और एनसीएस के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
10 दिसंबर, 2021	**राज्य :** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय एवं 03 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भूकंपीय क्षेत्र–V में अवस्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश के तीन जिले हैं, वे हैं– दक्षिण अंडमान, उत्तर और मध्यम अंडमान और निकोबार। यह केंद्र शासित प्रदेश कई प्रकार के खतरों/आपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी गतिविधि के प्रति संवदेनशील है। इस प्रकार इस केंद्र शासित प्रदेश और इसके सभी जिलों के लिए 8.7 तीव्रता के भूकंप के परिदृश्य को दर्शाने वाला एक टेबल टॉप अभ्यास किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए ने की तथा इसका आयोजन परामर्शदाता (एमई और आईआरएस), एनडीएमए ने किया। आयुक्त–सह–सचिव (डीएम), अंडमान जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) के विशिष्ट अधिकारीगण, एसडीएमए और डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और एनसीएस के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

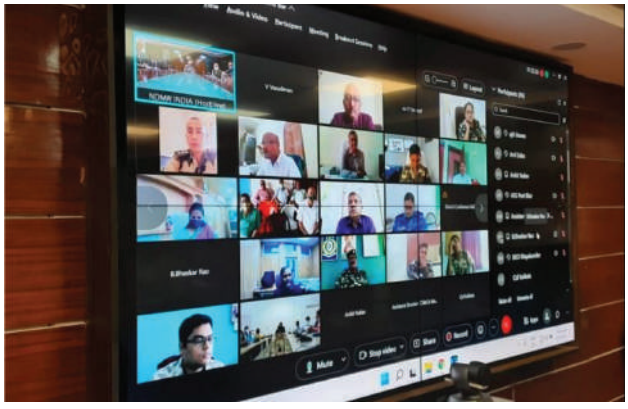

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
04 जनवरी, 2022	**राज्य :** जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** यूटी मुख्यालय और 20 जिलों के लिए यूटी स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	अनूठी भौगोलिक भू–जलवायु सेटिंग के कारण, जम्मू और कश्मीर का संघ शासित क्षेत्र एक बहु–खतरा प्रवण क्षेत्र है और इसने कई प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं को झेला है। इस क्षेत्र की सर्वाधिक त्रासदियों में से एक भूकंप है और यह प्रगति एवं विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। जम्मू और कश्मीर का यूटी भूकंपीय IV और V क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस संघ राज्य क्षेत्र और इसके सभी जिलों के लिए 7.6 तीव्रता के भूकंपीय पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा इसका आयोजन किया गया। सचिव आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण (डीएम आरआरआर), जे एंड के यूटी, यूटी/जिला घटना प्रतिक्रिया टीम (आईआरटी) के विशिष्ट अधिकारीगण, एसडीएमए तथा डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और एनसीएस के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
20 जनवरी, 2022	**राज्य :** पुदुचेरी **परिदृश्य :** चक्रवात **कार्यक्रम :** यूटी मुख्यालय और इसके जिलों के लिए यूटी स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में अवस्थित है और इसके चार छोटे असम्बद्ध जिले हैं। इसके तीन जिले पुदुचेरी, कराईकल और यमन बंगाल की खाड़ी और माहे जिला अरब सागर के पास हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश का अधिकतर भू–भाग बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसे कई प्राकृतिक खतरों से ग्रस्त है और मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित होता है। घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और जनवरी के महीने के लिए एक टेबल टॉप अभ्यास रखा गया था, जबकि इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आने की बलवती संभावना होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और इसका आयोजन सलाहकार (एमई और आईआरएस) द्वारा किया गया। सचिव (राजस्व एवं डीएम), केंद्र शासित प्रदेश (पुदुचेरी, के साथ ही यूटी/जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) विशिष्ट अधिकारीगण, एसडीएमए और डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू/आईएमडी के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ एवं अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

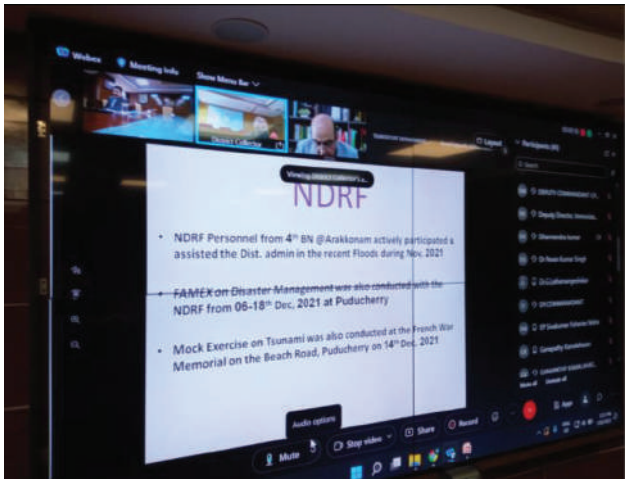

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
10 फरवरी, 2022	**राज्य :** अरुणाचल प्रदेश **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और 25 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	अरुणाचल प्रदेश, भारत का एक अग्रणी राज्य है जो भूकंपीय क्षेत्र V में अवस्थित है, और यहां बड़े भूकंपों का इतिहास रहा है। कभी कभार कम तीव्रता के भूकंप भी आते हैं। ऊँचे पहाड़ों, उग्र नदियों और घने जंगलों ने आमतौर पर विभिन्न नदी घाटियों में रहने वाले लोगों के बीच अंतर–संचार को बाधित किया है। यह अलगाव भूकंप जैसी प्राकृतिक खतरों से और भयावह हो जाता है। इसलिए ये पहलू एक बड़ी आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय बलों की अधिक भगीदारी/एकीकरण की अनिवार्यता को सुदृढ़ करते हैं। इसलिए इस राज्य के लिए एक ऑनलाइन आई आर एस प्रशिक्षण और टेबल ऑप अभ्यास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और इसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आई आरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। सचिव (आपदा प्रबंधन), अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण के साथ एसडीएमए और डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और एनसीएस के प्रतिनिधि, बीआरओ, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ तथा अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
16 फरवरी, 2022	**राज्य :** लक्षद्वीप **परिदृश्य :** चक्रवात **कार्यक्रम :** यूटी मुख्यालय एव 01 जिला और 10 द्वीपों के लिए यूटी स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में 27 द्वीप, 3 चट्टानें और 6 जलमग्न सैंडबैंक शामिल हैं। यहां केवल 10 द्वीप बसे हुए हैं (अगत्ती, अमीनी, एन्ड्रॉट, बिट्रा, चेतलत, कदमत, कलपेनी, कावारत्ती, किल्तान और मिनिकॉय) और एक द्वीप बंगारम में केवल एक पर्यटक स्थल है। विशाल महासागर से घिरे, लक्षद्वीप के द्वीप तूफानी चक्रवातों और भारी बारिस की चपेट में आते हैं। चेतलत, किल्तान, कदमत, अमनी, बिट्रॉ और एन्ड्रॉट

		उपजिले चक्रवाती तूफानी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की चपेट में आने के कारण इस केंद्र शासित क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास चक्रवात के परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और इसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। सचिव (आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त), यूटी लक्षद्वीप, यूटी/जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) कार्मिक, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू/आईएमडी के विशिष्ट पदाधिकारीगण के साथ एसडीएमए तथा डीडीएमए के सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ तथा अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
22 फरवरी, 2022	**राज्य :** बिहार **परिदृश्य :** बाढ़ **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और 38 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	कुल 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ के प्रकोप की चपेट में आते हैं। इन 28 जिलों में से 15 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आते हैं जबकि अन्य 13 जिले आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसलिए बाढ़ के परिदृश्य में ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टीटी अभ्यास का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की सह अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए तथा पी एन राय, भा. पु. सेवा (सेवानिवृत्त) सदस्य, एसडीएमए, बिहार ने किया जिसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। सचिव (डीएम), बिहार सरकार तथा राज्य/जिला घटना मोचन दल (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण, एसडीएमए तथा डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसी/सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

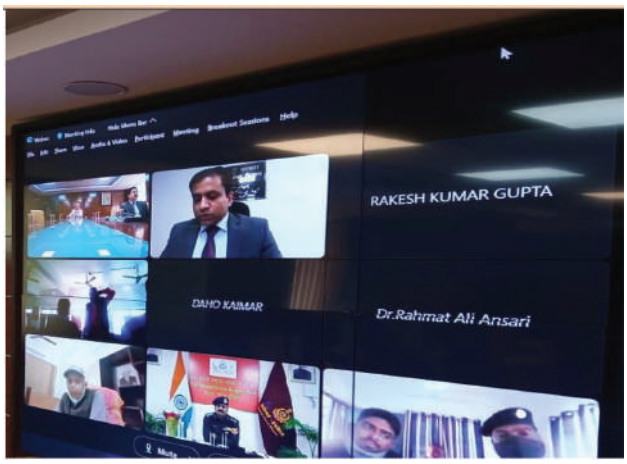

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
23 फरवरी, 2022	**राज्य :** मेघालय **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और 12 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	मेघालय राज्य भूकंपीय क्षेत्र–V में अवस्थित है और विभिन्न तीव्रता के भूकंप आने के यहां का इतिहास रहा है जिसमें 1897 में शिलांग में 8.7 तीव्रता के भूकंप भी शामिल हैं। एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास उस परिदृश्य के आधार पर आयोजित किया गया था जिसमें राज्य के जिलों में 7 से 9 की तीव्रता के झटकों का अनुभव करते हुए 1897 के भूकंप का अनुकरण किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की तथा जिसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। आयुक्त एवं सचिव (राजस्व एवं डीएम), मेघालय सरकार, राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण, एसडीएमए तथा डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और एनसीएस के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

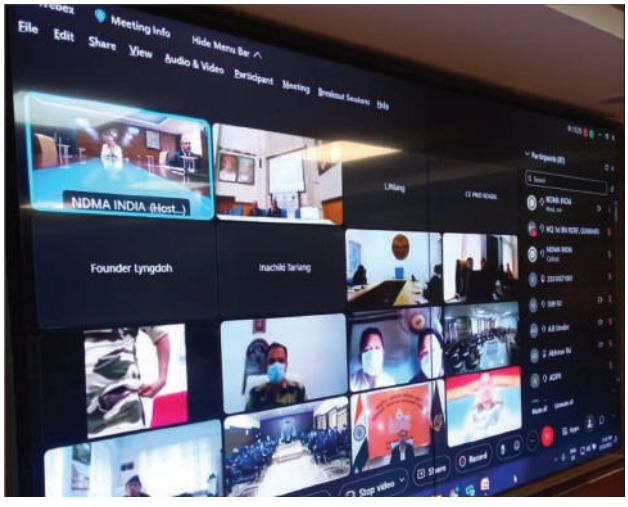

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
25 फरवरी, 2022	**राज्य :** नागालैंड **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और 12 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	नागालैंड राज्य भूकंपीय क्षेत्र V के अंतर्गत आता है और विशेष रूप से, 1950 के भूकंप का केंद्र नागालैंड के मोन जिले में स्थित था। इस प्रकार, नागालैंड के लिए, भूकंप एक 'मध्यम संभावना–उच्च प्रभाव' घटना है। इसलिए राज्य और जिला स्तरीय कार्मिकों के लिए एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास, 8.7 की तीव्रता का अनुकरण करते हुए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और इसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। प्रधान सचिव (गृह एवं डीएमए), नागालैंड सरकार, राज्य/जिला घटना मोचन दल (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण, एसडीएमए तथा डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और एनसीएस के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
01, 08 एवं 10 मार्च, 2022	**राज्य :** सिक्किम **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और सभी जिलों के लिए राज्य स्तरीय वास्तविक कृत्रिम अभ्यास।	सिक्किम राज्य के अधिकतर भाग भूकंपीय क्षेत्र IV के अंतर्गत आते हैं जिनका वहां पर और आस–पास के क्षेत्रों में भूकंप का एक लंबा इतिहास रहा है। इसनें (18 सितंबर 2011 को–6.8 तीव्रता के भीषण भूकंप का झेला, जिसका नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ)। इसलिए राज्य के लिए एक वास्तविक कृत्रिम अभ्यास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की सह अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और श्री एस सी गुप्ता, मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार ने की जिसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण, एसडीएमए तथा डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और एनसीएस के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
10 मार्च 2022	**राज्य :** केरल **परिदृश्य :** बाढ़ **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और 14 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	केरल राज्य बाढ़ और भूस्खलन से ग्रस्त है और पिछले कुछ वर्षों में मानसून प्रेरित और चक्रवाती बाढ़ के कारण जान–माल का नुकसान हुआ है। इसलिए बाढ़ की पृष्ठभूमि वाली ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण तथा टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और इसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। सदस्य सचिव, केरल एसडीएमए, राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसी/सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
16 मार्च, 2022	**राज्य :** लद्दाख यूटी **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** यूटी मुख्यालय और दो जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	लद्दाख यूटी भूकंपीय क्षेत्र IV के अंतर्गत आता है और भूकंप की चपेट में आने वाला अति संवेदनशीलत केंद्र शासित क्षेत्र है। आपदा तैयारियों में लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित क्षेत्र का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए एनडीएमए द्वारा ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसके बाद भूकंप परिदृश्य पर टेबल टॉप अभ्यास किया गया था। इस प्रशिक्षण में अन्य हितधारकों के साथ लद्दाख यूटी मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और इसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। प्रभागीय आयुक्त एवं सचिव (राजस्व एवं डीएम) यूटी लद्दाख, लद्दाख यूटी/जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण, एसडीएमए एवं डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग और एनसीएस के प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, सीएपीएफ एवं एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

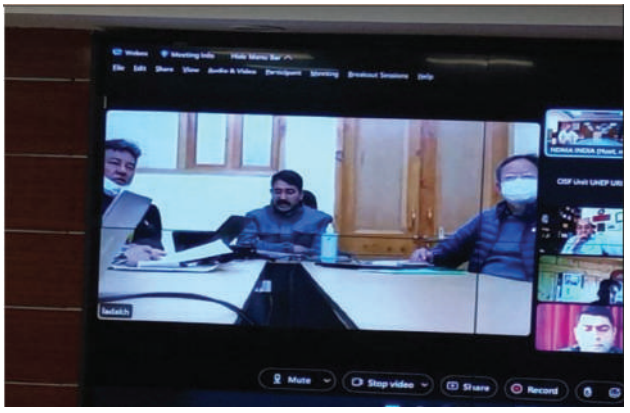

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
24 मार्च, 2022	**राज्य :** कर्नाटक **परिदृश्य :** रासायनिक (औद्योगिक) आपदा **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और 31 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	कर्नाटक देश के सबसे अधिक औद्योगीकृत राज्यों में से एक है और फार्मा रसायन और पेट्रो रसायन उद्योगों का केंद्र है। उद्योगों के समीप बसी हुई आबादी के कारण औद्योगिक– रासायनिक आपदा का खतरा बहुत बलवती हो जाता है। इसलिए रासायनिक (औद्योगिक) आपदा के परिदृश्य में राज्य स्तरीय एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण तथा टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और इसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। प्रधान सचिव (राजस्व एवं डीएम), कर्नाटक सरकार, राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण, एसडीएमए एवं डीडीएमए के कार्मिक, डीजी, एफएएसएलआई, सीपीसीबी, एसपीसीबी, कारखाना/उद्योग विभाग, प्रमुख दुर्घटना खतरा (एमएएच) इकाई, और सशस्त्र बल के प्रतिनिधि, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

तिथि	राज्य, आपदा परिदृश्य और कार्यक्रम	अभियुक्ति
25 मार्च, 2022	**राज्य :** हरियाणा **परिदृश्य :** भूकंप **कार्यक्रम :** राज्य मुख्यालय और 22 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास।	हरियाणा राज्य का पूर्वी भाग भूकंपीय क्षेत्र IV के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, हिमालय क्षेत्र के बड़े भूकंप राज्य के कुछ हिस्सों में नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसलिए राज्य के लिए एक टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ले. जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और इसका आयोजन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, राज्य/जिला घटना प्रतिक्रिया दल (आईआरटी) के विशिष्ट पदाधिकारीगण, एनडीएमए एवं डीडीएमए के कार्मिक, लाइन विभाग एनसीएस के प्रतिनिधि, सशस्त्र सीएपीएफ और एनडीआरएफ के साथ ही अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया।

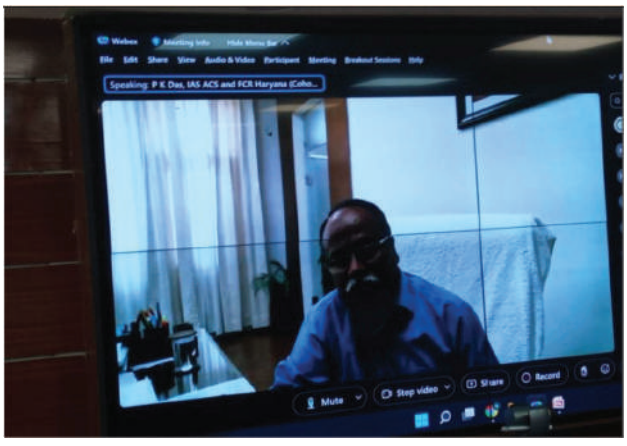

आईआरएस प्रशिक्षण और टीटीएक्स की प्रतिक्रिया साझा करना:

6.9 प्रत्येक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टीटीईएक्स के सफल संचालन के बाद प्रतिक्रिया को संबंधित राजयों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाता है, जो हमारे देश को आपदा के प्रति बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी तैयारी में सुधार और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए पहचानी गई सर्वोत्तम प्रथाओं और कमियों को उजागर करता है।

एकीकृत कृत्रिम अभ्यास प्रक्रिया की बहाली

6.10 सामूहिक टीकाकरण और तीसरी लहर के बाद वैश्विक महामारी की स्थिति में सुधार होने के बाद, एनडीएमए ने शारीरिक रूप से एकीकृत कत्रिम अभ्यास आयोजित करना शुरू कर दिया जैसा कि पहले था।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के लिए ऑफसाइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई)

6.11 एनडीएमए ने "समेकित कमांड कंट्रोल और प्रतिक्रिया" मोड में विकिरणकीय ऑफ साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई) में (जिला पालघर, महाराष्ट्र) 03 सितंबर, 2021 नरोरा (जिलाः बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश) में 08 सितंबर, 2021, एनपीपी, कुडनकुलम (जिला : तिरुनेलवेली, तमिलनाडु) में 23 नवंबर, एनपीपी कलपक्कम (जिला–चेंगलपट्टम, तमिनलाडु में 14 दिसंबर, 2021 को भाग लिया और एनपीपी कैगा का ऑनलाइन डिब्रीफिंग 12 जनवरी, 2022 को हुआ। विस्तृत विवरण राज्य प्राधिकारियों और

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के साथ साझा किया गया है।

पैनेक्स- 21 : बिम्सटेक देशों के लिए बहुराष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास

6.12 बिम्सटेक देश अलग–अलग परिमाण की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन का विषय सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक केंद्रीय मुद्दा रहा है। एनडीएमए ने पुणे में 20–22 दिसंबर, 2021से बिम्सटेक देशों के साथ भारतीय सेना द्वारा आयोजित पैनेक्स–21 में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य महामारी की स्थिति के दौरान सदस्य राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और अंतर–सरकारी प्रयासों का संस्थागत बनाने के लिए संयुक्त योजना और तैयारी को बढ़ावा देना था। पैनेक्स–21 इस मायने में एक अनूठा अभ्यास था कि यह न केवल एक जीवित आपदा खतरों के अनुकरण पर आधारित था, बल्कि इसमें बिम्सटेक सशस्त्र बलों की भागीदारी भी शामिल थी, जिन्हें हमेशा आपदा प्रबंधन में सहयोजित किया जाएगा। अभ्यास परिदृश्य एक चल रही महामारी की पृष्ठभूमि में सेट किया गया था जिसमें भूकंप की एक प्राथमिक आपदा को दर्शाया गया था और बाढ़ एक मायमिक प्रभाव के रूप में हुई थी।

इसमें तीन मुख्य कार्यक्रम शामिल किए गए थे, जैसे संगोष्ठी, टेबल टॉप अभ्यास, टीटीएक्स) और बहु–एजेंसी अभ्यास (एमईएस)। सभी बिम्सटेक सदस्य देशों ने क्षेत्रीय बिम्सटेक संरचना को मजबूत करने के लिए सभी सदस्य राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए बड़े प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। माननीय रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख, नीति आयोग के सदस्य और मुख्य वैज्ञानिक, डब्ल्यूएचओ जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने शामिल होकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में शामिल सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एजेसियों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे।

एनडीआरएफ द्वारा जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम

6.13 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा

30 जनू, 2020 को, भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं श्री अमित शाह ने देश की आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा की और उसके बाद निदेश दिया की देश के प्रत्येक जिले में हर तीन साल में कम से कम एक बार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए:

क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक जिला आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षेत्र प्रशिक्षित टीमों का गठन कर सके।

ख) प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन योजनाओं और उसकी तैयारियों के घटक की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए।

ग) विभिन्न हितधारकों के बीच अधिक सामंजस्य और समन्वय लाने के लिए।

6.14 यह भी निदेश दिया गया था कि जिले में कृत्रिम अभ्यास के दिन, संबंधित जिले और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं (एफ एण्ड ईएस) भी अपने क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर 10 से 20 पूर्व निर्धारित स्थानों में कृत्रिम अभ्यास आयोजित करेंगी।

6.15 निदेशानुसार, एनडीआरएफ को जिला स्तर पर

चरण	वित्त वर्ष	शामिल जिले
चरण–I	2020–21	98
चरण–II	2021–22	239
चरण–III	2022–23	जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास का वार्षिक कैलेंडर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है।

कृत्रिम अभ्यास आयोजित करने का काम सौंपा गया है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, यह प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है:

एनडीएमए के सदस्यों ने जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास के संचालन संबंधी समीक्षा बैठक एनडीआरएफ के साथ 16 सितंबर, 2021 को आयोजित की थी जिसमें एनडीआरएफ द्वारा यह बताया गया था कि कुछ ऐसे हालात थे जो एनडीआरएफ के नियंत्रण से बाहर थे, जैसे मानसून के दौरान तैनाती, चक्रवात, अन्य आपदाओं के अलावा चल रहे कोविड–19 महामारी के कारण कृत्रिम अभ्यास के आयोजन में काफी बैकलॉग है। इसलिए तीन वर्षों की समयावधि में देश के सभी जिलों में कृत्रिम अभ्यास का आयोजन मुश्किल लग रहा था। फिर भी, आगामी अत्यल्प समयावधि में वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की अधिक भागीदारी और नेतृत्व

6.16 एनडीएमए द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से अधिकृत जीडी महिला कर्मियों को सीएपीएफ से संबंधित एनडीआरएफ बटालियन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप, कुल 178 जीडी महिला कार्मिकों ने एनडीआरएफ में ज्वाइन किया है।

आपदाओं से लड़ने के लिए विशेष मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए सार्वजिनक/निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करना और आईडीआरएन पोर्टल पर संसाधनों की सूची को अद्यतन करना

6.17 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन), उपकरण, कुशल मानव संसाधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति की सूची के प्रबंधन के लिए एक वेब–आधारित मंच है ताकि निर्णय निर्माताओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण और मानव संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। आईडीआरएन का संधारण एनआईसी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जिम्मे है। अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए एनडीएमए ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित की है और उन्हें अनुरोध किया गया है कि वे अपने मंत्रालय/विभाग के अधीन आने वाले सार्वजनिक/निजी उद्योगों को विशिष्ट प्रकार की मशीनें/उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें जिसका दोहरा उपयोग हो सके अर्थात, आपदा के समय वे इसका स्वयं इस्तेमाल करें और इन मशीनों/उपकरणों की सूची जिला प्राधिकारियों से साझा करें। जो आईडीआरएन पोर्टल पर संसाधनों की इंवेटरी अपडेट करें। इस प्रकार की विशिष्ट मशीनों/उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए सीएसआर फंड से आवश्यक प्रावधान किया गया है। एनआईडीएम ने आईडीआरएन पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया है। एनआईडीएम और एनडीएमए द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया है कि जिला प्राधिकारी नियमित आधार आईआरडीएन पोर्टल पर संसाधन इंवेंटरी को अद्यतन करते रहें। इसके फलस्वरूप, आई आर डी एन पोर्टल पर (सरकारी/सार्वजिनक/प्राइवेट) प्रविष्टियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

आपदा के दौरान विभिन्न जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा स्थानीय संसाधनों/एपलाएंसेस/उपकरणों के उपयोग पर अध्ययन/विश्लेषण

6.18 एनडीएमए ने विश्लेषण की सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया और देश के विभिन्न क्षेत्रों में 12 जिलों को कवर करने वाली 05 प्रमुख हालिया आपदाओं का अध्ययन किया ताकि विभिन्न जिला प्रशासनों/राज्यों सरकारों द्वारा पीएसयू/निजी क्षेत्र के उद्योगों के पास उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का आपात/आपदा की स्थिति में आईडीआरएन पोर्टल के उपयोग की वास्तविक स्थिति के सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। एनआईडीएमए और एनडीएमए के सम्मिलित अध्ययन दल ने जिला

दंडाधिकारियों/कलेक्टरों के सुझावों को भी संज्ञान में लिया है। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व प्रथम मसौदा अध्ययन रिपोर्ट और सिफारिशों पर चर्चा की गई और उन पर विचार–विमर्श किया गया है।

6.19 कोविड–19 के प्रबंधन संबंधी गतिविधियां

(क) एनडीएमए ने कोविड–19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए वांछित संसाधनों तक पहुंच बनाने हेतु 26 स्वास्थ्य संबंधी मदों/संसाधनों की एक सूची तैयारी की थी और इसे 'स्वास्थ्य सेवाएं' श्रेणी के तहत एनआईडीएम द्वारा भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) पोर्टल पर प्रबंधन प्राधिकारियों को सहायता प्रदान की जा सके।

(ख) ऑक्सीजन की मांग के सुचारु प्रबंधन के लिए एनडीएमए ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों से अनुरोध किया था कि वे आईडीआरएन वेब पोर्टल पर विभिन्न लाइन विभागों/एजेंसियों/अस्पतालों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को अपडेट करें।

(ग) कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रबंधन में आईडीआरएन पोर्टल की महत्ता को ध्यान में रखकर और इस सुविधा की महत्तम उपयोग हेतु, एनडीएमए ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया था कि स्वास्थ्य संबंधी इनवेंटरी पर विशेष ध्यान देते हुए अपने संसाधन इंवेंटरी को अपडेट करें।

6.20 नियंत्रण कक्ष गतिविधियां

(क) कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान अप्रैल और मई, 2021 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लॉकडाउन/सप्ताहांत लॉकडाउन/कर्फ्यू/रात्रि कर्फ्यू संबंधी पारित आदेशों के आंकड़ों को एनडीएमए सारणीबद्ध और संकलित करने में शामिल था।

(ख) दक्षिण पश्चिम मानसून/उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए तैयारी की समीक्षा हेतु सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 22 अप्रैल,2021 को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए थे, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्रों (एसईओसी) का कामकाज, कोविड–19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के साथ–साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का गठन और उसका सुदृढ़ीकरण करना।

(ग) 12 मई, 2021 को संभावित प्रभावित/राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को आसन्न चक्रवात 'टुकटुक' के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई तैयारियों को साझा करने के संबंध में एक ई–मेल भेजा गया था।

(घ) चक्रवात 'टुकटुक' (13 मई, 2021) के लिए तैयारियों के उपायों की समीक्षा के लिए संभावित प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 02 बैठकें आयोजित की गई और 'यास' (21 मई, 2021) जिसमें अतिरिक्त बुनियादी ढांचे, मानव और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पर जो, समवर्ती कोविड–19 वैश्विक महामारी की स्थिति के साथ चक्रवात के प्रबंधन के लिए तैयारियों और प्रतिक्रिया योजनाओं के संशोधन विषय शामिल थे।

(ङ) 23 मई, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक, संभावित रूप से प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, आईएमडी और दूरसंचार विभाग के साथ आयोजित की गई जो तटीय समुदायों/मछुआरों को आसन्न चक्रवात यास पर चेतावनी/संदेश जारी करने के विषय में था)। एनडीएमए ने चक्रवात की चेतावनी के लिए एसएमएस सामग्री, चक्रवात में क्या करें और क्या न करें पर वीडियो लिंक साझा किए ताकि स्थानीय रूप से इसे और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके तथा व्यापक प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके।

(च) 07 जून, 2021 को, चक्रवात 'टुकटुक' और

'यास' के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक डीब्रिफिंग सत्र आयोजित किया गया था जिसमें आरंभिक चेतावनी और ट्रैकिंग पर आईएमडी द्वारा संक्षिप्त जानकारी, आईडी मुख्यालय द्वारा जानकारी, आईसीजी और डीओटी द्वारा संक्षिप्त जानकारी शामिल थी।

अतिरिक्त गतिविधियां

6.21 वित्त वर्ष 2021–2022 में, एनडीएमए ने विशेष मार्गदर्शन भी दिया, जागरूकता अभियान चलाया और विभिन्न एजेंसियों/संगठनों के लिए कई मुद्दों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया। इनमें कुछ के विवरण निम्नलिखित हैं:–

तिथि	विषय/कार्यक्रम
07 अप्रैल 2021	एनडीएमए ने 'जन–स्वास्थ्य ईओसी (पीएचईओसी) की स्थापना' विषय पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर एनसीडीसी, नई दिल्ली की बैठक में भाग लिया था।
29 अप्रैल 2021	'वैश्विक आपदा के दौरान एचएआरडी' पर 16वें एशियन रक्षा मंत्रियों (एडीएमएम) और विशेषज्ञ कार्यदल (ईडब्ल्यूजी) की बैठक में एनडीएमए ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में समेकित रक्षा स्टाफ के प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय के साथ ही विदेशी शिष्टमंडलों ने भी भाग लिया।
02 जून 2021	भारत सरकार की ओर से, एनडीएमए ने 02 जून, 2021 को आयोजित आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत–जर्मन आभासी बैठक की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधियों के रूप में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डी जी (एफएस, सीडी और एचजी), एनडीआरएफ के अलावा जर्मनी के 16 शिष्टमंडलों ने भाग लिया।
26 जुलाई 2021 16 सितंबर 2021 07 फरवरी 2022	एनडीएमए द्वारा एनडीआरएफ के साथ बातचीत और विचार–मंथन • परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनडीआरएफ को अधिकृत डीएमए उपकरणों की समीक्षा/उन्नयन। • जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास के संचालन पर एनडीआरएफ के साथ समीक्षा बैठक और आगामी एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर संबंधी मुद्दों का जायजा लिया गया। • सदस्य और प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एनडीआरएफ में 28 नए आरआरसी और प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) की स्थापना के लिए एनडीआरएफ के प्रस्ताव पर चर्चा की। एनडीएमए के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीजी, एनडीआरएफ और उनके सहयोगी अधिकारियों के दल ने बैठक में भाग लिया। विस्तृत चर्चा के उपरांत 28 नए अतिरिक्त आरआरसी का एनडीआरएफ में गठन की अनुशंसा की गई।
23–24 नवंबर 2021	एनडीएमए ने आईएनसीओआईएस द्वारा आयोजित आईसीजी ओटीडब्ल्यूएमएस की ऑनलाइन मध्यस्थता बैठक में भाग लिया।
24 नवंबर 2021	एनडीएमए ने एडीएमएम के ईडब्ल्यूसी (एचएडीआर) के 17वीं बैठक में भाग लिया जिसका आयोजन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर किया संयुक्त सलाहकार (चिकित्सा तैयारी और जैविक आपदाएं) और परामर्शदाता (प्रचालन ने वैश्विक महामारी के दौरान नागरिक सैन्य समन्वय तंत्र और आपदा राहत तंत्र के मध्यस्थ के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

25 नवंबर 2021	एनडीएमए ने तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली, द्वारा आयोजित 19वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव (एनएमएसएआर) बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
30 नवंबर 2021	हेली सेवा पोर्टल संबंधी नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में एनडीएमए ने भाग लिया।
21 दिसंबर 2021	जिन जिलों में परमाणु विद्युत संयंत्र अवस्थित हैं, उन जिलों के प्राधिकारियों के साथ परमाणु आपातकाल संबंधी तैयारी का जायजा लेने के लिए ऑनलाइन बैठक आयोजित की। सदस्य एवं प्रभारी सचिव, सदस्य (आरएस) और परामर्शदाता (आप्स) एवं परामर्शदाता (परमाणु एवं विकिरणकीय), एनडीएमए ने इस बैठक में भाग लिया जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण और 07 जिला कलेक्टरों/डीएम ने भी भाग लिया था।
20–24 दिसंबर 2021	कार्यरत रेलवे अधिकारियों के लिए भारतीय रेल प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान, लखनऊ द्वारा "संरक्षा और आपदा प्रबंधन" विषय पर सत्र आयोजित किया गया। एनडीएमए ने "भीड़ प्रबंधन", "आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र" और "रासायनिक, जैविकीय, विकिरणकीय और परमाणु आपदा" विषयों पर व्याख्या दी।
19 जनवरी 2022	मिलिटरी इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे में एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय नीति और आपदा प्रबंधन का संस्थागत तंत्र और संयुक्त आपदा प्रबंधन सेवाएं पाठ्यक्रम–21 के तहत ''सशस्त्र बलों की भूमिका'' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया।
02 फरवरी 2022	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएं केंद्र आयोजित ऑनलाइन इंटिग्रेटेड यूजर समेकन कार्यशाला (यूआईडब्ल्यू) में हैदराबाद में भाग लिया।

6.22 सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाल (सचेत) चरण–I

पृष्ठभूमि

1. आम आदमी के साथ ही प्रतिक्रियादाता एजेंसियां दोनों के स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम लोगों को आपदा की पूर्व चेतावनी के त्वरित प्रसार की आवश्यकता है। इस चक्र के घटक हैं चेतावनी जारी करने वाली एजेंसियां (आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, एफएसआई, डीजीआरआई, आईएनसीओआईएस आदि) चेतावनी प्रसार करने वाली एजेंसियां (सेल्यूलर नेटवर्क, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि) और इस चेतावनी के प्राप्तकर्ता (आम जनता और मोचक)। इस श्रृंखला के कुशल कार्य प्रवाह की निगरानी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

2. वर्तमान में भारत में चेतावनी सृजित एजेंसियों द्वारा फैक्स, ई–मेल, टेलीफोन आदि जैसे विभिन्न तरीकों से चेतावनी का प्रसार स्वायत्त रूप से किया जा रहा है। हालांकि, अधिकांश विकसित देशों ने एकीकृत चेतावनी प्रसार प्लेटफॉर्मों पर आधारित सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) को अपनाया है।

3. सीएपी एक मानक संदेश प्रारूप को परिभाषित करता है जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण होते हैं जैसे कि खतरों के प्रकार, इसकी तीव्रता, अवधि, प्रभावित क्षेत्र, की जाने वाली कार्रवाई आदि। विश्वभर में मानकीकरण और अंतरकार्य क्षमता को लागू करने के अलावा, सीएपी संदेश, कुशल रूटिंग, प्राथमिकता भू–निर्धारण आदि को भी सक्षमता प्रदान करता है। सीएपी कंप्लाएंट प्रणाली और डिवाइस जैसे जीएसएम नेटवर्क, रेडियो टेलीवीजन पीए सिस्टम, तटीय साइरन आदि सीएपी आधारित चेतावनी प्रणाली के साथ प्लग एंड प्ले हैं। गैर कंप्लाएंट और पुराने सिस्टम और उपकरणों को भी एक उपयुक्त अंतर

संचालनशीलता (इंटरोऑपरेबिलिटी) परिवर्तित उपकरण द्वारा अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) किया जा सकता है।

परियोजना संक्षेप्त

6.23 एनडीएमए ने चेतावनी सृजन एजेंसियों, चेतावनी प्रसार एजेंसियों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सीएपी आधारित एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना की परिकल्पना की है। तमिलनाडु में सफलतापूर्वक प्रायोगिक परियोजना को क्रियान्वित करने के पश्चात् सरकार द्वारा सीएपी परियोजना के चरण–I के अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वयन को स्वीकृत किया गया है। यह परियोजना हितधारकों के बीच चेतावनी के प्रवाह को स्वचालित करेगी जो निम्नलिखित है:–

a) चेतावनी सृजन एजेंसियां: सभी प्रकार के खतरों के लिए चेतावनी जारी करने वाली एजेंसियां इस प्रकार हैं:–

   i. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)

   ii. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)

   iii. भारतीय राष्ट्रीय महारागर सूचना सेवाएं केंद्र (आईएनसीओआईएस)

   iv. रक्षा भू–सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई)

   v. भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)

   vi. भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)

b) चेतावनी स्वीकृत करने वाली एजेंसिया: राष्ट्रीय स्तर पर (गृह मंत्रालय) और राज्य स्तर पर (एसडीएमए), जो लागू हो, संबंधित आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों, चेतावनी प्रसार के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होंगे।

c) चेतावनी प्रसार एजेंसी: स्थानीय भाषा में भू–लक्षित चेतावनी निम्नलिखित माध्यमों से प्रसारित किए जाएगें:–

   i. मोबाइल फोन पर एसएमएस और सेल प्रसारण (सीबी)

   ii. प्रसारण मीडिया जैसे टेलीविजन, केवल टीवी, सेटेलाइट टीवी (डीटीएच) और आकाशवाणी केंद्र

   iii. इंटरनेट पर सोसल मीडिया, ब्राउजर अलर्ट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन

   iv. रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली

   v. तटीय साइरन और अन्य विरासत समुदाय चेतावनी प्रणाली

   vi. गगन और नाविक उपग्रह चैनल

परियोजना क्षेत्र

6.24 टेलीमेटिक्स (सीडॉट) के विकास के लिए केंद्र द्वारा परियोजना को दो चरणों में निम्नानुसार क्रियान्वित किया जा रहा है:–

a) सीएमपी परियोजना (चरण–I) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और दिनांक 23 अगस्त, 2021 को कार्यादेश निर्गत किया गया है। निम्निखित बिंदुओं को हासिल करने के लिए परियोजना को 18 महीनों (22 अगस्त, 2023 तक) में पूरा किया जाना है:–

   i. आईएमडी, आईएनसीओआईएस, सीडब्ल्यूसी, डीजीआइई और एफएसआई के साथ एकीकरण

   ii. सभी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के एसएमएस के लिए एकीकरण

   iii. मोबाइल एप्लीकेशन का विकास और प्रकाशन

   iv. अधिसूचना के लिए इंटरनेट ब्राउजर क्लाइंट का विकास और प्रकाशन

   v. गूगल अलर्ट का एकीकरण और आरएसएस फीड का प्रकाशन

माननीय गृह मंत्री द्वारा एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस पर 28.09.2021 को सीएपी दस्तावेज का विमोचन

vi. गगन और नाविक सेटेलाइट टर्मिनल का एकीकरण

vii. टीवी के लिए कंसेप्टप्रूफ (पीओसी), तटीय साइरन और आईआर रेलवे स्टेन, आकाशवाणी केंद्र और सभी टीएसपी के लिए सीवी।

b) परियोजना के दूसरे चरण–II में अखिल भारतीय आधार पर पीओसी का कार्यान्वयन शामिल होगा।

c) परियोजना प्रगति पर है

परियोजना का प्रभाव

6.25. त्वरित अधिसूचना, अनुमोदन और चेतावनी के प्रसार के लिए सभी हितधारकों का निर्बाध वेब आधारित एकीकरण।

6.26. नागरिकों और प्रतिक्रियादाताओं को चेतावनी का लगभग वास्तिवक समय में प्रसार जिसे जान–माल के नुकसान को कम करने के लिए तैयारी सुनिश्चित की जा सके।

6.27. तेजी से प्रसार के लिए क्षेत्र की स्थानीय भाषाओं में भू–लक्षित चेतावनी।

6.28. चेतावनी को मंजूरी/संपादित करने और प्रसार के लिए मीडिया चुनने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड।

6.29. आपदा प्रबंधकों के लिए शक्तिशाली जीआईएस आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण।

6.30 आपदा आपातस्थिति के लिए आपातकालीन मौसम सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) (डायल 112) का विस्तार

पृष्ठभूमि

6.31. आपातकालीन मोचन सहायता मोचन प्रणाली

(ईआरएसएस) आपातस्थिति में नागरिकों के लिए एक अखिल भारतीय एकल नंबर (112) आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है। नागरिक तत्काल सहायता के लिए घटना संबंधी पुलिस सहायता, आग, एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा के लिए आवास कॉल, एसओएस, एसएमएस, ई–मूल, वेब अनुराध और मोबाइल एप पर पैनिक बटन के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। गृह मंत्रालय (डब्ल्यूएस प्रभाग) द्वारा पहल की गई इस योजना का कार्यान्वयन सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण हो चुका है (28 राज्यों/यूटी में सीडैक तथा 08 राज्यों/यूटी में सीडैक के अलावा अन्य वेंडर द्वारा)।

6.32 वर्तमान में ईआरएसएस आपदा से संबंधित आपातकालीन कॉलों का समर्थन नहीं करता है। ईआरएसएस, एसईओसी और आपदा प्रतिक्रियादाताओं के साथ भी संबद्ध नहीं है।

परियोजना संक्षेप

6.33 माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना ''देश में सभी आपातस्थितियों के लिए एकल नंबर'' को साकार करने के लिए एनडीएमए ने ''आपदा की आपातस्थितियों के लिए ईआरएसएस का विस्तार'' की कल्पना की है। प्रस्तावित परियोजना आपदा आपातस्थिति को पूरा करने के लिए मौजूदा ईआरएसएस प्रणाली का विस्तार करेगी। प्रस्तावित परियोजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

a. आपातस्थिति से निपटने के लिए वर्तमान ईआरएस समाधान में वृद्धि करना

b. सार्वजिनक सुरक्षा पहुंच बिंदुओं (पीएएसपी) पुलिस नियंत्रण पक्षों को लीज पर ली गई लाइनों के एसईओसी के साथ एकीकृत करना

c. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसईओसी में दो/एक ऑपरेटर पदों के लिए हार्डवेयर की स्थापना

d. लोड में वृद्धि को पूरा करने के लिए सैनिक राज्यों के लिए पीएसएपी पर हार्डवेयर का संवर्द्धन

e. आठ राज्यों में जहां सीडैक द्वारा ईआरएसएस का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, वहां मिनि डेटा केंद्र की स्थापना

f. एसईओसी में लीज लाइन इंटरनेट कनैक्टिविटी का प्रावधान

g. एनडीएमए में परियोजना प्रबंधन इकाई के कर्मचारियों के लिए तीन साल की अवधि के लिए जन–शक्ति, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण

h. यात्रा शुल्क और मजदूरी का प्रावधान

6.34. सीडैक, जिनके पास मॉजूदा ईआरएस प्रणाली को 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन का अनुभव है, योजना को लागू करने के लिए नामित किया गया है।

6.35. परियोजना विविध समय–सीमा निम्नवत् हैः–

a. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और 02 अगस्त 2021 को कार्यादेश निर्गत

b. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों 02 फरवरी 2023 को संस्थापन कार्य पूरा करना

c. एनडीएमए द्वारा संपोषण और वारंटी अवधि – प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का भार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए

6.36. यह योजना एनडीएमए द्वारा पूर्णरोपण वित्तपोषित है। निम्निलिखित पहलुओं को पूरा किया जा चुका हैः–

a. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, स्थापना और एकीकरण

b. तीन साल के लिए इंटरनेट और पीएसएपी से कनैक्टिविटी के लिए लीज पर ली गई लाइन

c. तीन साल की अवधि के लिए राज्यों द्वारा काम पर रखी जाने वाली जन–शक्ति के लिए मजदूरी

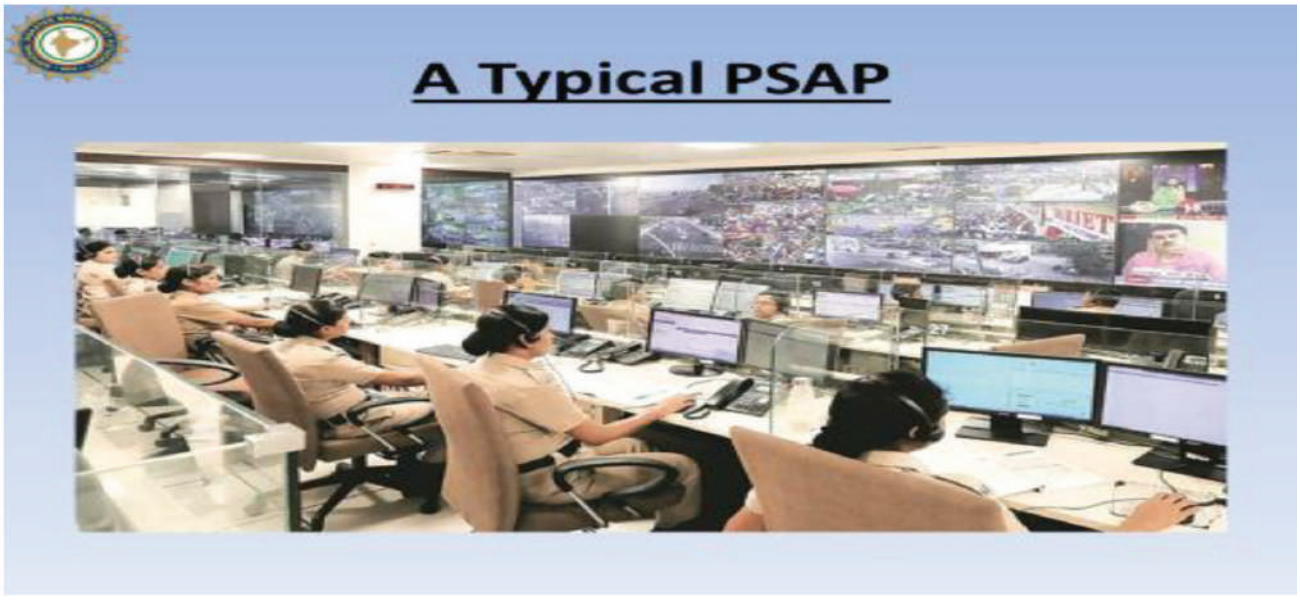

d. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जन–शक्ति का प्रशिक्षण

e. एनडीएम में परियोजना प्रबंधन इकाई (ईएमयू) की स्थाना जिसमें फर्नीचर की अधिप्राप्ति और कार्यालय की जरूरतें शामिल हैं

f. परियोजना अवधि (18 महीना क्रियान्वयन अवधि तथा 36 महीना संपोषण अवधि) के दौरान परियोजना प्रबंधन इकाई में काम पर लगाए गए जन–शक्ति के लिए मजदूरी

6.37. तीन वर्षों की समाप्ति पर राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में परियोजना के संपोषण हेतु सीधे सीडैक से एएमसी करना होगा और जन–शक्ति को अपने संसाधनों से काम पर रखना होगा।

6.38 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

"सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार (एससीबीएपीपी)" की भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में कल्पना की गई थी। यह पुरस्कार वार्षिक आधार पर 'व्यक्तियों/संस्थानों' को प्रदान

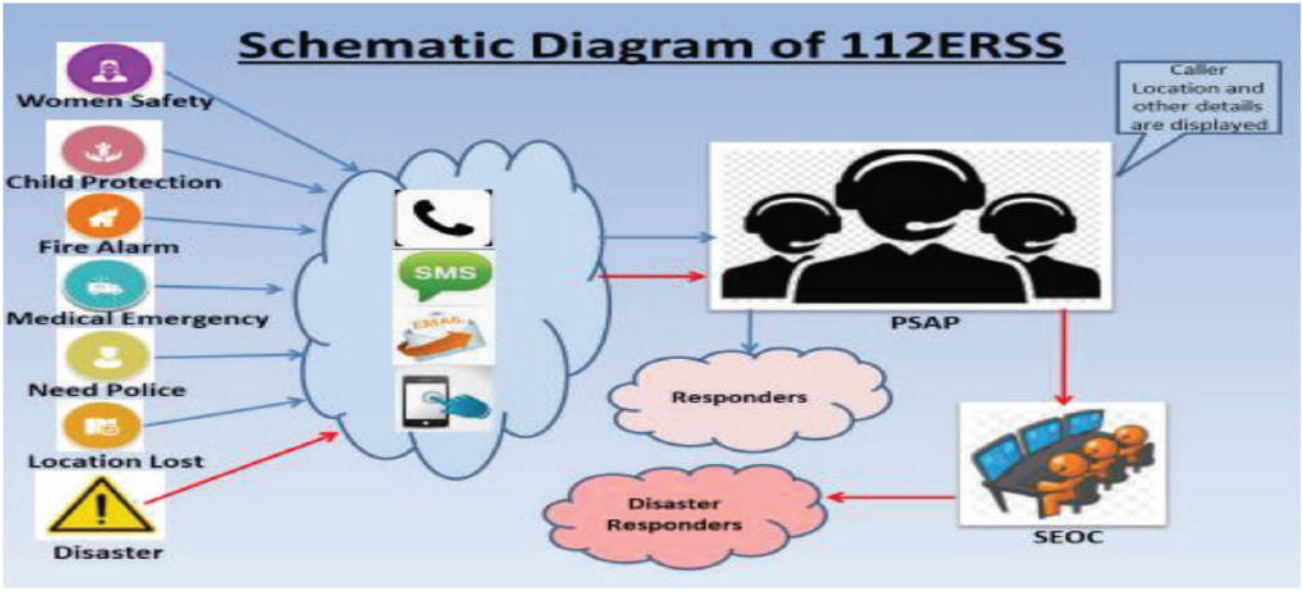

किया जाता है जिसने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट योगदान दिया है। रोकथाम, प्रशमन, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/नवाचार और पूर्व चेतावनी प्रणाली के क्षेत्र इसमें शामिल हैं, यद्यपि इस पुरस्कार के आरंभ के वर्ष से प्रत्येक वर्ष इसकी घोषणा की जाती रही है, लेकिन अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन पहली बार 23.01.2022 को इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर हुआ था। जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों और वर्ष 2021–22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानिक किया जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

क्रम सं.	पुरस्कार विजेता	वर्ष	श्रेणी
1.	8वीं बटालियन, एनडीआरएफ, गाजियाबाद	2019	संस्थागत
2.	आपदा प्रशमन एवं प्रबंधन केंद्र (डीएमएमसी) उत्तराखंड	2020	संस्थागत
3.	श्री कुमार मुन्नन सिंह, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य, एनडीएमए	2020	व्यक्तिगत
4.	डॉ. राजेन्द्र कुमार भंडारी, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग फॉर्म ऑन डिजास्टर मिटिगेशन	2021	व्यक्तिगत
5.	सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकॉलॉजिकल डिवेलपमेंट सोसाइटी (सीड्स)	2021	संस्थागत
6.	प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा	2022	व्यक्तिगत
7.	गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (जीआईडीएम)	2022	संस्थागत

जागरूकता सृजन

6.39 जनता के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रसास में, पीआर एंड एजी प्रभाग, एनडीएमए, प्रिंट और इलैक्ट्रनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में माध्यम से समय–समय पर विभिन्न जन–जागरूकता अभियान पूरे वर्ष चलता है। आपदा रोधी समाज तैयार करने के लिए जनता को सूचित, शिक्षित और संचार द्वारा एक उपयुक्त वातारण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह जागरूकता अभियान विभिन्न प्रकार से चलाया जाता है जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनी, सोशल मीडिया आदि। कोविड–19 वैश्विक महामारी को देखते हुए इस वर्ष जागरूकता अभियान रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से चलाया गया। जागरूकता अभियान के दो मुख्य उद्देश्य हैं:–

a) किसी भी आसन्न आपदा (भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, वैश्विक महामारी आदि) की स्थिति के लिए नागरिकों को तैयार करना।

b) अधिकतम सीमा तक क्षति (नुकसान) को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की रोकथाम और प्रशमन उपायों के बारें में लोगों को सूचित और शिक्षित करना।

6.40 वर्ष 2021–22 (31/03/2022 तक) की अवधि में निम्नलिखित जागरूकता अभियान चलाए गए थे।

श्रव्य-दृश्य अभियान

6.41 दूरदर्शन/आकाशवाणी/लोक सभा टीवी: प्राकृतिक आपदाओं पर श्रव्य–दृष्य स्थलों पर जैसे चक्रवात, आंधी–तूफान एवं आकाशीय बिजली, बाढ़, शहरी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, शीत लहर, हिमस्खलन और लू की घटनाओं को दूरदर्शन (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्रों से) और आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया था और आपदा प्रवण तट संबंधी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए 'क्या करें, क्या न करें' से संबंधित स्पॉट दिखाए/प्रसारित किए गए। वर्ष के दौरान चलाए गए अभियानों का विवरण निम्नलिखित है:

आपदा/खतरा	दूरदर्शन	आकाशवाणी	लोक सभा टीवी
चक्रवात	09/04/2021 से 13/04/2021 तक 5 दिनों के लिए		
चक्रवात – 'ताउते'	15/05/2021 से 19/05/2021 तक 5 दिनों के लिए	15/05/2021 से 19/05/2021 तक 5 दिनों के लिए	
चक्रवात – 'यास'	22/05/2021 से 26/05/2021 तक 5 दिनों के लिए	22/05/2021 से 26/05/2021 तक 5 दिनों के लिए	
मॉनसून पूर्व चक्रवात	27/10/2021 से 02/11/2021 तक 7 दिनों के लिए		
आंधी–तूफान और आकाशीय बिजली	15/04/2021 से 19/04/2021 तक 5 दिनों के लिए	12/04/2021 से 16/04/2021 तक 5 दिनों के लिए	
	10/06/2021 से 14/06/2021 तक 5 दिनों के लिए	10/06/2021 से 14/06/2021 तक 5 दिनों के लिए	
बाढ़	07/06/2021 से 12/06/2021 तक 7 दिनों के लिए	22/06/2021 से 28/06/2021 तक 7 दिनों के लिए	
	22/06/2021 से 28/06/2021 तक 7 दिनों के लिए		
शहरी बाढ़	07/06/2021 से 12/06/2021 तक 7 दिनों के लिए	22/06/2021 से 28/06/2021 तक 7 दिनों के लिए	
	22/06/2021 से 28/06/2021 तक 7 दिनों के लिए		
भूकंप	22/07/2021 से 28/07/2021 तक 7 दिनों के लिए	22/07/2021 से 28/07/2021 तक 7 दिनों के लिए	19/07/2021 से 13/08/2021 तक 26 दिनों के लिए
	04/03/2022 से 09/03/2022 तक 6 दिनों के लिए		
भूस्खलन	28/07/2021 से 03/08/2021 तक 7 दिनों के लिए	28/07/2021 से 03/08/2021 तक 7 दिनों के लिए	
शीत लहर	20/12/2021 से 26/12/2021 तक 7 दिनों के लिए	05/01/2022 से 11/01/2022 तक 7 दिनों के लिए	
हिमस्खलन	30/01/2022 से 05/02/2022 तक 7 दिनों के लिए		
ग्रीष्म लहर	25/02/2022 से 14/03/2022 तक 18 दिनों के लिए		
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार		07/09/2021 से 13/09/2021 तक 7 दिनों के लिए	

चक्रवात, शीत लहर, भूकंप, आंधी–तूफन और आकाशीय बिजली (आईसीसी टी–20 पुरुष विश्व कप, 2021 के दौरान)		24/10, 31/10, 03/11, 05/11, 08/11, 10/11, 11/11, 14/11 को आयोजित 8 मैचों के दौरन	
भूकंप और भूस्खलन (नव वर्ष समारोह कार्यक्रम–ओम–सोल कनेक्ट के दौरान)	31/12/2021, 01/01/2022 एवं 02/01/2022 तक 3 दिनों के लिए		

6.42 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार (एससीबीएपीपी) का प्रचारः आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को पहचानने के लिए एक पुरस्कार, अर्थात् सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार (एससीबीएपीपी), जिसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को की जाती है। नामांकन आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में 01/07/2021 को विज्ञापन के माध्यम से और आकाशवाणी पर विशेष रूप से एक सप्ताह के अभियान के माध्यम से पुरस्कार का व्यापक प्रचार किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का पुरस्कार समारोह पहली बार 23/01/2022 को इंडिया गेट पर आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री ने पिछले वर्षों के पुरस्कार विजेताओं और वर्ष 2021–22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पिछले वर्ष के पुरस्कार विजेताओं के साक्षात्कार वाले लघु वीडियो/पॉडकास्ट तैयार किए गए थे। इन वीडियो को सोशल मीडिया और एनडीएमए की वेबसाइट पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था।

6.43 'आपदा का सामना' दूरदर्शन पर पैनल चर्चा/टॉक शो का एक विशेष कार्यक्रमः जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, एनडीएमए ने डीडी न्यूज पर पैनल चर्चा/टॉक शो 'आपदा का सामना' का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तटीय खतरों और नदी तथा तटीय कटाव पर दो एपिसोड क्रमशः 13/03/2022 और 27/03/2022 (रविवार) को डीडी न्यूज के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं, शनिवार को उसी एपिसोड के दोबारा प्रसारण के साथ।

एनडीएमए ई-न्यूज़लेटर और ब्लॉग

6.44 'आपदा संवाद' नामक एक डिजिटल मासिक समाचार पत्र जारी किया जाता है, जिसमें हितधारकों को एनडीएमए, एसडीएमए की प्रमुख गतिविधियों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर सफलता की कहानियों, विशेषज्ञ साक्षात्कारों, लेखों आदि के बारे में सूचित और उजागर किया जाता है। समाचार पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापक रूप से मीडियाघरों के प्रमुख संपादकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ साझा किया गया था। इसी तरह, ब्लॉग को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। सोशल मीडिया पर विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके उनकी पहुंच को भी अनुकूलित किया गया है।

सोशल मीडिया अभियान

6.45 टीवी और रेडियो पर जागरूकता अभियानों के अलावा, #heatwaveawareness] #earthquakesafety] #floodsafety] #urbanflood] #ligtningsafety] #coldwave] #avalanche] #covid-19] #Wear Your Mask इत्यादि, जैसे हैशटैग का

उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे वर्ष आपदाओं की रोकथाम, प्रशमन और तैयारियों, आपदाओं से पहले, आपदा के दौरान और बाद में, से संबंधित जागरूकता अभियान भी चलाए गए। क्या करें और क्या न करें को उजागर करने वाले सोशल मीडिया क्रिएटिव और लघु फिल्मों को भी समय–समय पर एनडीएमए के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया।

ट्विटर रिपोर्ट

6.46 एनडीएमए के ट्वीट और फेसबुक अपडेट बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये न सिर्फ उनके पर्सनल अकाउंट पर दिखाई देते हैं, बल्कि इन्हें शेयर भी कर रहे हैं। अद्यतन इस प्रकार उन द्वितीयक उपयोगकर्ताओं तक भी पहुँच रहे हैं जो एनडीएमए खातों का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अपडेट पढ़ रहे हैं।

- 31 मार्च, 2022 को अनुसरणकर्ता : 3,33,410
- 31 मार्च, 2021 को अनुसरणकर्ता : 2,51,306
- बढ़े हुए अनुसरणकर्ता की संख्या : 82,104

एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस का समारोह

6.47 एनडीएमए का 17वां स्थापना दिवस 28/09/2021 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में ''हिमालयी क्षेत्र में आपदा घटनाओं के सोपानन प्रभाव'' विषय के साथ मनाया गया। श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री के साथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में और श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री निसिथ प्रमाणिक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समापन सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर विषय पर विशेषज्ञ चर्चा के अलावा निम्नलिखित पांच महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जारी किए गए:

i. आपदा मित्र योजना दस्तावेज

ii. आपदा मित्र प्रशिक्षण नियमावली

iii. सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) योजना दस्तावेज़

iv. भूकंप प्रतिरोधी निर्मित पर्यावरण के लिए दिशानिर्देश

v. शीत लहर और पाला पर दिशानिर्देश

जबकि मंत्रालयों/विभागों, निवासी आयुक्तों, सीएपीएफ के महानिदेशकों ने स्थापना दिवस में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, एसडीएमए, संबंधित संगठनों और प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों ने वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

6.48 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संचार: एनडीएमए ने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए चक्रवात, बाढ़, आकाशीय बिजली, ग्रीष्म लहर, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, शीत लहर और शहरी बाढ़ आपदाओं पर 39 एनिमेशन फिल्मों का निर्माण किया है। इन फिल्मों को एनडीएमए की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के अलावा, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने–अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता पैदा करने के लिए इन फिल्मों का उपयोग करें।

तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज अर्थात् आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी), 2019 का अनुसूचित क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना था। संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे इन दस्तावेजों का अपनी–अपनी अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करवाएं और आम जनता और अन्य हितधारकों के उपयोग के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर डालें।

6.49 आईईसी सामग्री: एनडीएमए में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न लघु वीडियो स्पॉट, एनीमेशन फिल्में, सांकेतिक भाषा वीडियो हैं। ये सामग्री जागरूकता पैदा करने के लिए एनडीएमए की वेबसाइट के साथ–साथ एनडीएमए के यूट्यूब चैनल 'भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'

घटना के समय निम्नलिखित पोस्ट लाइव किए गए थे:

- माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन भाषण :

- माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा योजनाओं के दस्तावेजों का विमोचन:

- माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा द्वारा दिशानिर्देशों का विमोचन:

पर भी उपलब्ध हैं। इन सामग्रियों का उपयोग एनडीएमए द्वारा समय–समय पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर किया जा रहा है।

6.50 ऊपर बताए गए जागरूकता सृजन कार्यों ने निश्चित रूप से देश के लोगों को जीवन और आजीविका बचाने में मदद की है। गौरतलब है कि एनडीएमए के सोशल मीडिया अकाउंट यानी ट्विटर के अनुसरणकर्ताओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार, एनडीएमए की आईईसी गतिविधियों में लोगों और सभी हितधारकों की जागरूकता पैदा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है।

अध्याय 7

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

7.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग शामिल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं–(i) नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन तथा समन्वय प्रभाग और (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन प्रभाग

7.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों के निर्माण और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण है। यह प्रभाग क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यकलाप तथा परियोजनाओं का संचालन करता है।

7.3 जनसंपर्क और जागरूकता सृजन इस प्रभाग का एक अन्य प्रमुख कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा निपटाया जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर लोगों के मन में बैठाई जाए। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ–साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा बनाने और निष्पादन का काम भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारी (स्टाफ) की संख्या 20 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), चार संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), एक अनुभाग अधिकारी तथा दस सहायक स्टाफ शामिल हैं।

प्रशमन प्रभाग

7.4 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में केंद्रीय सरकार और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं (चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों जैसे खतरे और अबाधित संचार व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी योजना आदि) का काम करना शामिल है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण (मॉनिटर) भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 14 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और नौ सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

7.5 एन.डी.एम.ए. को आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य

है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण अद्यतन रहना अनिवार्य है। इसके लिए एन.डी.एम.ए. के पास आपदा विनिर्दिष्ट सूचना एनडीएमए के अधिकारियों और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है। यह प्रभाग किसी आपदा के मोचन चरण के दौरान सभी हितधारकों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। इसकी देश के प्रथम मोचकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में प्रमुख भूमिका है। यह प्रभाग केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों तथा सीएपीएफ समेत सभी हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए राज्य तथा बहु–राज्य स्तर के कृत्रिम अभ्यासों का संचालन करता है। यह प्रभाग आईआरएस पर प्रशिक्षण समेत प्रशिक्षण कार्यकलापों से संबंधित आपदा प्रबंधन के कार्य तथा देश में शीर्ष संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने के काम में भी शामिल है। इसके अलावा, यह प्रभाग पुनर्वास तथा पुनर्बहाली से जुड़े कार्यों से भी निकटता से जुड़ा रहता है। यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की संकट प्रबंधन योजनाओं की जांच करता है।

7.6 यह प्रभाग एनडीएमए के लिए संचार तथा आईटी से संबंधित समाधानों को लागू करता है। यह संचार, आईटी, जीआईएस के क्षेत्र में सभी केंद्रीय तथा राज्य के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देता है तथा उनकी क्षमता निर्माण में मदद करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 15 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और सात सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

7.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ व्यापक संयोजन (इंटरफेस) रखना शामिल है। यह प्रभाग सभी स्तरों पर एनडीएमए के सदस्यों और कर्मचारियों को प्रशासनिक और साजो–सामान संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 21 है, जिनमें संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव, एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो अनुभाग अधिकारी और 15 सहायक स्टाफ हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

7.8 वित्त और लेखा प्रभाग खातों का रख–रखाव, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति की निगरानी (मॉनिटर) भी करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या आठ है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का), एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी (ए.एस.ओ.) और दो सहायक स्टाफ हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- योजनाओं और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों को तैयार करने में, उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराग्राफों आदि के निपटारे का काम देखना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।
- एनडीएमए के बजट को तैयार करना तथा उसकी निगरानी (मॉनिटरिंग) करना।

7.9 एन.डी.एम.ए. के लेखा (अकाउंट्स) का हिसाब–किताब मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है: एन.डी.एम.ए. के भुगतान तथा प्राप्ति कार्यकलापों का प्रबंध भी मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट:

अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए योजना–वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं व्ययः

(रुपए करोड़ में)

परियोजना का नाम	बजट अनुमान 2021–22	संशोधित अनुमान 2021–22	अंतिम अनुमान 2021–22 / गृह मंत्रालय से पुर्नविनियोजन	31.03.2022 तक व्यय
विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	296.27	185.12	171.27	169.99
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ.डी.एम.पी.)	50.32	15.79	18.59	16.00
स्थापना प्रभार	51.72	48.69	45.48	42.83
आपदा समुत्थानशील अवसंरचना सोसाइटी के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)	50.00	15.00	15.00	15.00

टिप्पणी: *सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय-डीएवीपी के आंकड़े समाहित।

(रुपए करोड़ में)

अनुदान सं. 48–गृह मंत्रालय					
मुख्य शीर्ष	परियोजना	बजट अनुमान 2021–22	संशोधित अनुमान 2021–22	अंतिम अनुमान 2021–22 / गृह मंत्रालय से पुर्नविनियोजन	31.03.2022 तक व्यय
2245	ओडीएमपी	23.68	5.69	3.99	2.49
3601	ओडीएमपी (राज्य सरकार को जारी)	26.00	10.00	14.25	13.16
3602	ओडीएमपी (विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों को जारी)	0.64	0.10	0.35	0.35
	कुल (क)	50.32	15.79	18.59	16.00
2245	एनसीआरएमपी (स्थापना प्रभार)	26.27	15.12	12.57	11.07
3601	एनसीआरएमपी (जीआईए)	270.00	170.00	158.70	158.92
	कुल (ख)	296.27	185.12	171.27	169.99
2245	स्थापना प्रभार	51.72	48.69	45.48	42.83
	कुल (ग)	51.72	48.69	45.48	42.83
2245	सीडीआरआई	50.00	15.00	15.00	15.00
	कुल (घ)	50.00	15.00	15.00	15.00
	एनडीएमए का कुल योग	448.31	264.60	250.34	243.82

अनुबंध I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

वर्तमान संघटन

1.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से) सचिव (01.10.2021 से प्रभारी)
3.	श्री संजीव कुमार	सदस्य सचिव (27.01.2021 से 30.09.2021 तक)
4.	ले.ज. (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम एवं बीएआर	सदस्य (21.02.2020 से)
5.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (20.02.2020 से)
6.	श्री कृष्ण स्वरूप वत्स	सदस्य (04.05.2020 से)

पूर्व सदस्य

1.	जनरल एन.सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014 तक) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक) सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
3.	ले. जनरल (डॉ.) जे.आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
4.	डॉ. मोहन कांडा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
5.	प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
6.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
7.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014 तक) सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012 तक)

10	श्री टी. नन्दकुमार	सदस्य (08.10.2010 से 28.02.2014 तक)
11	श्री वी.के. दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
12	मेजर जनरल जे. के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से 11.07.2014 तक)
13	श्री मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015 तक)
14	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014 तक)
15	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014 तक)
16	श्री के.एन. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014 तक)
17	श्री आर.के. जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015 तक) सदस्य (01.12.2015 से 30.11.2018 तक)
18	ले.ज. (सेवानिवृत्त) एन.सी. मारवाह, पीवीएसएम, एवीएसएम	सदस्य (30.12.2014 से 29.12.2019 तक)
19	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से 18.01.2020 तक)

अनुबंध II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	श्री संजीव कुमार, सदस्य सचिव (30.09.2021 तक)
2.	श्री रविनेश कुमार, वित्तीय सलाहकार
3.	डॉ. वी. तिरुपुगल, अपर सचिव (नीति एवं योजना) (30.06.2021 तक)
4.	श्री रमेश कुमार गंटा, संयुक्त सचिव (प्रशा.) (01.06.2021 तक)
5.	ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार) (31.10.2021 तक)
6.	सुश्री श्रेयसी चौधरी, परियोजना निदेशक, एनसीआरएमपी
7.	श्री कुनाल सत्यार्थी, सलाहकार (नीति एवं योजना)

VPS Engineering Impex Pvt. Ltd.
e mail: marketingvps2013@gmail.com